राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 13

मंगलवार, दिनांक 30 मार्च, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, चिकित्सा, वन, सिंचाई, शिक्षा, विद्युत्, सहायता, खाद्य, यातायात, समाजकल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 135

श्री रामकुमार नन्दवाना।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

एम. सी. डब्ल्यू. सेन्टर, जैतारण का भवन

136. **श्री शंकरलाल (जैतारण) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जैतारण (जिला पाली) में एक दानदाता ने एम. सी. डब्ल्यू. सेन्टर का भवन बनाकर देने की लिखित में प्रार्थना राज्य सरकार को पेश कर रखी है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है और अब स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जी हां, श्री देवराज शान्तिलाल चौधरी ने एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, जैतारण में खोलने हेतु एक प्रस्ताव सीधे ही राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था। दानदाता द्वारा प्रस्तावित कुछ शर्तों को सरकार ने आपत्तिजनक माना है, इसलिये दानदाता से वार्तालाप चल रही है।

श्री शंकरलाल : उसकी कौनसी शर्त आपत्तिजनक है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसकी तीन शर्तें हैं। एक तो यह है कि उस भवन में कोई भी एडीशनल आल्ट्रेशन जब कभी हो तो पहले उससे पूछा जाये। और दूसरा है...

(विराम)

श्री अध्यक्ष : है भी सही या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : "The building will be donated without

Page No 2

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
any equipment and no recurring expenditure will be borne by him. The donor shall provide blueprints of the building to be constructed. No other person will be allowed to make any additions or alteration without giving him first the opportunity to make the desired additions and alterations."

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इस में अनुचित क्या है। जो भी दानदाता है वह यह चाहेगा। पहले आप उससे पूछ लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें यह नहीं है कि वे कितने वर्षों तक के लिए यह चाहते हैं। पांच साल, दो साल ? यह कुछ भी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह सीधासा प्रश्न है। दानदाता जब भी परिवर्तन करावें तो पहले उसको कह दें, उसको पूछ लें। आपका क्या इन्ट्रेस्ट है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरा वे अपने खुद के नक्शे के अनुसार तामीर करवाना चाहते हैं। यह नक्शा हमारी रिक्वायरमेन्ट के मुताबिक है या नहीं यह तो देखना पड़ता है। वे कहते हैं "The blueprints of the building to be constructed are enclosed herewith." उसके अनुसार थोड़े ही बना है। वे तो अपना प्लान देंगे।

श्री शंकरलाल : आपके पास में पूर्ण सूचना नहीं है। उसके बाद उसने खुद ने नक्शा मंगवाया है और वह आपके नक्शे के अनुसार तामीर करवाने के लिए तैयार है। जो आपको आपत्तियां हैं वह उनको अभी तक कन्वे नहीं हुई है। कृपया यह बतावेंगे कि कब तो यह प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है और कब उसको कन्वे किया गया है। आपको यह पता है कि जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे उसको कन्वे कर दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी शर्त उनकी यह है कि वह पूर्णरूपेण अपना ही नाम रखना चाहते हैं। राजकीय नाम भी वे उसमें नहीं रखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरा ही नाम रखा जाये जबकि रेकरिंग एक्सपेंडीचर गवर्नमेण्ट कर रही है। वह तो चाहते है कि पूर्णरूपेण मेरे ही नाम पर रखा जाये जो कि सम्भव नहीं है।

श्री शंकरलाल : आपको जो आपत्तियां हैं वे उसको भेज दी गई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भेज दी गई है।

श्री शंकरलाल : कब ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह डाइरेक्टोरेट की फाइल में है, मेरे यहां सेक्रेटेरियेट की फाइल में यह है। 15 जनवरी, 1971 को सेक्रेटेरियेट से लिखा गया था कि दानदाता की शर्तें 1?-5 व 19 पर अपनी टिप्पणी भेजने की कृपा करें चूंकि दानदाता की यह शर्तें दान नियमों के विरुद्ध पड़ती हैं। अतः श्री देवराज शान्तिलाल चौधरी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

का दान स्वीकार करने से पूर्व इन शर्तों के सम्बन्ध में पुनः जानकारी प्राप्त करली जावे और उसके बाद ही जवाब दिया जाये।

श्री शंकरलाल : दानदाता को कोई सूचना नहीं दी गई है। विभाग से टिप्पणी मांगी गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं और जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री दौलतराम सारण : आप दोनों ही बैठ कर फैसला कर लें।

प्रश्न संख्या 137

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 138

श्री देवीदत्त गाड़िया!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 139

श्री रघुनाथ बिश्नोई!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण!

चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों का चुनाव

140. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की न्याय पचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव बहुत समय से नहीं करवाये गये हैं। यदि हां, तो किन किन के कब कब से?

(2) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील क्षेत्र की न्याय पंचायत क्षेत्र की एक न्याय पंचायत के चेयरमैन एक कत्ल के मामले में बहुत समय से फरार हैं जिससे उस न्याय पंचायत की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि इस न्याय पंचायत के पंचों ने सम्बन्धित अधिकारी तथा पंचायत विभाग को कई बार लिखित शिकायत इस चेयरमैन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये की, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों नहीं की गई? अब राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है और कब तक?

श्रीमती प्रभा मिश्रा (पंचायत उपमंत्री) : यह प्रश्न निर्वाचन विभाग से संबंधित है अतः इसे स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड : श्री आईदानसिंह!

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार पंचायत विभाग ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। उसी तरह के प्रश्न को आज निर्वाचन विभाग के लिये स्थगित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न को पूछेंगे तो वे कहेंगी, मुझे जानकारी नहीं है। इसलिये अच्छा है कि निर्वाचन विभाग ही उत्तर दे दे।

जालौर जिले की विद्युत् योजना

141. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के लिये एक विद्युत् योजना जिला परिषद् जालोर द्वारा बनाई गई थी ? अगर हां, तो उपरोक्त योजना राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई ?

(2) अब तक उपरोक्त योजना पर कितना कार्य हो चुका है ?

(3) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि भीनमाल जिला जालौर को 132 के. वी. लाइन से जोड़ा जा रहा है ? अगर हां, तो इस पर कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उपमंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। उपरोक्त योजना 20-3-70 को मण्डल कार्यालय में प्राप्त हुई।

(2) योजना प्राप्त होने के बाद वर्ष 1970-71 में जालौर जिले में 8 ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा 33 के. वी. की एक लाइन सिरोही, रामसीन, भीनमाल जो करीब 45 मील की है, भी स्वीकृत कर दी गई है।

(3) अभी निश्चित तिथि देना सम्भव नहीं है।

(4) जी हां, इस लाइन के सर्वे का काम अब हाथ में लिया जायेगा तथा इस लाइन को चतुर्थ योजना काल में पूरा करने का लक्ष्य है।

श्री अध्यक्ष : बिजली साथ नहीं दे रही है, कहीं यह गलत तो नहीं है।

(सदन की बिजली गुल हो जाने पर)

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि यह योजना आपके विभाग द्वारा स्वीकृत कर ली गई है ?

श्री खेतसिंह : जी नहीं। पूरी योजना स्वीकृत नहीं की गई है। आपके यहां से जो योजना भेजी गई है उसमें एक साथ 260 गांवों के विद्युतीकरण की योजना है जिसे एक साथ लेना सम्भव नहीं है। इसलिये उसमें से 8 गांवों को विद्युत् दी गई है।

श्री आईदानसिंह : तो उसका कौनसा हिस्सा आपने स्वीकार किया है।

श्री खेतसिंह : उसके 8 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

श्री आईदानसिंह : तहसीलवाइज, पंचायत समिति वाइज, ग्राम वार, हर गांव में इस योजना का नक्शा है। पूरी तरह से कितना कितना लोड कहां कहां पर होगा इतनी विस्तृत योजना आपको कहीं से भी नहीं मिली होगी। उसमें से कौनसा हिस्सा आपने स्वीकार किया है, यह बता दीजिये।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया है। यह योजना मैंने नहीं पढ़ी है। इस मौके पर यही कह सकता हूं कि 8 गांवों को स्वीकृति हो चुकी है। ये इस योजना के अन्दर थे।

श्री आईदानसिंह : क्या ये इस योजना के अन्तर्गत ही स्वीकृत हुए हैं और पार्टली है तो यह उसका कौनसा पार्ट है ?

Page No 5

श्री खेतसिंह : आपने जो योजना भेजी है उस तरह से स्वीकृत नहीं किया गया है इसलिये कि उसमें ज्यादा पैसे का सवाल था। इतने फन्डस् मंडल के पास नहीं थे। आपके सारे गांवों का या एक पोर्शन का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। जहां जहां पहले से लाइन आई हुई है उसको देखते हुये 8 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। 33 के. वी. की लाइन खींची जा रही है।

श्री आईदानसिंह : मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा तो अध्यक्ष महोदय बहुत सीधा प्रश्न है। क्या यह स्वीकृत हो गई है ? इसी पर सारा बेस है......

श्री अध्यक्ष : यह स्वीकृत हो गई है क्या ?

श्री खेतसिंह : आपने जो योजना प्रोडक्शन कमेटी को भेजी थी 18-3-70 को वह इन टोटो स्वीकृत नहीं है। वह विचाराधीन है।

श्री आईदानसिंह : आपने अगले प्रश्न में यह जवाब दिया है। योजना प्राप्त होने के बाद 70-71 में जालोर जिले की स्वीकृति दे दी गई है। क्या इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी है ?

श्री खेतसिंह : इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण करें, कैसे कनफ्यूजन नहीं है।

श्री खेतसिंह : आपकी दृष्टि में जो योजना है और मण्डल की दृष्टि में जो योजना है वह अलग अलग है। जो आपने भेजी है यह जरूरी नहीं है कि वह ऐसे को ऐसे स्वीकार कर ली जाय।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय जब यह योजना बनाई गई थी तब मण्डल के प्रतिनिधि भी थे। जिला परिषद् और प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिश पर भेजी थी। क्या मैं पूछ सकता हूं वह रिकमन्डेशन आपको मिली या नहीं मिली।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया जिस तारीख को भेजी वह बता दी।

श्री आईदानसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं फालो-अप में आपके पास या मण्डल में एक रिकमन्डेशन भेजी गई थी कि इतने गांवों को प्रथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जाय। क्या वह रिकमन्डेशन आपको मिल गई है ?

श्री अध्यक्ष : रिकमन्डेशन जिसको आप योजना मानते हैं।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय इसमें प्रायोरिटी फिक्स करके जिला परिषद् और प्रोडक्शन कमेटी ने सिफारिश करके राज्य सरकार को भेजी। प्रायोरिटी की योजना के अन्तर्गत आपको भेजी थी। क्या वह मिल गई है ?

श्री खेतसिंह : इसकी अभी जानकारी नहीं है। जो रिकमन्डेशन भेजी है वह कौनसी तारीख को भेजी है। मैं यह नहीं कह सकता हूं। 8 गांव आपके स्वीकृत हुये हैं।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय आपने दूसरे प्रश्न में कहा है योजना प्राप्त

Page No 6

(श्री आईदानसिंह)
होने के बाद 8 गांवों को स्वीकृति दे दी गई है। यह स्वीकृति कब दी है ?

श्री खेतसिंह : वर्ष 70-71 में दी है ?

श्री आईदानसिंह : यह तो अध्यक्ष महोदय बहुत लम्बा चौड़ा वर्ष है। तारीख बतायें।

श्री खेतसिंह : मैं आपको 8 गांवों के नाम सुना देता हूं।

श्री आईदानसिंह : मैं पूछ रहा हूं स्वीकृति कब दी ?

श्री अध्यक्ष : विद्युतीकरण हो गया है ?

श्री आईदानसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं यह स्वीकृति कब दी है और क्या उन गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। सो एण्ड सो विलेज हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड।

श्री अध्यक्ष : बिजली लग गई क्या ?

श्री दौलतराम सारण : यह भी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आज आपको खेतसिंह जी.......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : बिजली का फ्यूज उड़ गया।

श्री खेतसिंह : कुछ में नहीं हुआ और कुछ में हो गया है। यह 31 मार्च को खतम हो जाना चाहिये—अगले सप्ताह के अन्दर जहां भी नहीं हुये हैं।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति हुई या नहीं हुई, विद्युतीकरण हुआ या नहीं हुआ, स्वीकृति हुई तो कब हुई, मन्त्री महोदय नहीं कह सकते तो फिर ये क्या कह सकते हैं। यह नहीं कह सकते कितने गांवों में विद्युतीकरण हुआ ? तो फिर इनके पास कहने को क्या है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष:—नहीं कह सकते है तब भी वे विद्युतीकरण करा देंगे यह बहुत बड़ी बात है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : मण्डल के पास दूसरी योजना है वह दूसरी योजना कौनसी है, बता दीजिये।

श्री खेतसिंह : खास बात तो यह है कि जालोर क्षेत्र का विद्युतीकरण होना चाहिये। आपने प्रश्न भी इसी मुद्दे पर पूछा है। आप ख्वामख्वाह के मुद्दों में फंस रहे हैं। मैंने निवेदन कर दिया वहां विद्युतीकरण कर दिया जायेगा अगर नहीं है तो।

श्री दौलतराम सारण : झगड़ा यही है अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या यह झगड़ा इधर से जो प्रस्ताव जिला परिषद और प्रोडक्शन कमेटी ने भेजा है उससे भिन्न प्रस्ताव उधर से आया है—माधोसिंह जी की तरफ से और इसलिये यह घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न है—माधोसिंह जी वाला।

श्री दौलतराम सारण : यह योजना स्वीकृत नहीं होने का कारण है और यही सबसे बड़ा घोटाला है। यह इसलिये होता है जो जस्टीफाइड क्लॉज है उसको इगनोर करके पोलिटिकल प्रेशर से योजना बनाई जाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह तो वह वाली बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मन्त्री महोदय बिलकुल ब्लैंक में हैं और जो कुछ जवाब देते हैं वह अपूर्ण जवाब देते हैं। यह अजीब परिस्थिति है।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय तारीख मेरे पास नहीं है उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। वरना मैं निवेदन करूं मेरे पास जानकारी अपूर्ण नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जालौर जिले का भविष्य बहुत उज्जवल है। 132 के. वी. की लाइन शुरू से जालौर-भीनमाल तक खींची जाने वाली है। उसके अलावा चार 33 के. वी. की लाइन—

(1) 33 K. V. line from Bhinmal to Chak.

(2) 33 K. V. line from Bhinmal to Raniwara.

(3) 30 K. V. line from Bhinmal to Sanchor via Raniwara.

(4) 30 K. V. line from Kobri to Bhabra Junction.

इस तरह काफी बड़ी योजना है। इस जिले का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हमारा विद्युत मण्डल निश्चित तौर से अगले वर्षों के अन्दर विद्युतीकरण की योजना को पूरा कर देगा और अगले साल तक वहां का एग्रीकल्चर पोटेन्शियल भी बहुत बढ़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति हो गई है क्या ?

श्री खेतसिंह : यह विचाराधीन है। बाद में कार्यवाही होगी। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कल विरोधीदल के नेता महोदय ने फरमाया था आसपुर से लाइन ले गये और वहां पर बिजली नहीं दी गई। मैंने मालूम किया तो पता लगा आसपुर भी मंजूर हो चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत धन्यवाद। लेकिन मन्त्री महोदय यह भी बतायें कितने बरसों के बाद यह कृपा की और यह तो आपको भी पता है।

श्री आईदानसिंह : सिरोही-भीनमाल की 33 के. वी. लाइन है इसकी स्वीकृति कब हुई है ?

श्री अध्यक्ष : यह भी है कि नहीं, यह देख लें।

श्री खेतसिंह : यह मंजूर हो चुकी है।

श्री आईदानसिंह : कब ?

श्री खेतसिंह : तारीख का तो सारा झगड़ा ही है। कब मंजूर होती है, कितना काम होता है......

एक माननीय सदस्य : आप पहले ही उसको टाल रहे हैं।

Page No 8

श्री अध्यक्ष : काम प्रारम्भ हो गया है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : (माननीय मन्त्री महोदय के कुछ पढ़ने पर) उसमें तो कुछ लिखा है आप पढ़ कुछ रहे हो- केवल टिप्पे लगा रहे हो। रानीवाड़ा दल-बदलुओं का क्षेत्र है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय नतीजा कुछ निकला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कह दिया, भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी का भी हाथ हो माधोसिंह जी का हो, या और किसी का हो, यह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वीकृति कब हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काम अब शुरू होगा मैटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है।

श्री आईदानसिंह : कहां किया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काम अब होगा।

श्री अध्यक्ष : मैटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है वह भी तो काम में ही है।

श्री आईदानसिंह : आखिर 33 के. वी. लाइन विचाराधीन है और 132 के. वी. सिरोही से भीनमाल तक मण्डल द्वारा स्वीकृति हो गई है तो यह किस योजना के... ...

श्री खेतसिंह : फोर्थ फाइव इयर प्लान के अन्दर स्वीकृति होगी। यानि इसमें अभी समय लगेगा।

श्री आईदानसिंह : अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है तो उसकी रूट सर्वे करा रहे हैं यह किस लिये... ... ...

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य सर्वे पहले होता है और स्वीकृति बाद में होती है।

प्रधान पंचायत समिति लाडनूं द्वारा यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई राशि

142. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के प्रधान द्वारा सन् 1965 से लेकर अब तक प्रति माह कितने कितने रुपयों के यात्रा भत्ते के बिल किस किस तारीख को समिति कोष से उठाये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस अवधि में प्रधान द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर की यात्रायें भी की गई हैं जिनका यात्रा भत्ता लिया है ? यदि हां, तो कहां कहां की यात्राएं कब कब किस किस कार्य हेतु समिति क्षेत्र से बाहर की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(2) जी हां, सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हरजीराम बुरड़क : सूची के आइटम नं. 54 में जो 1900 रुपये का टी. ए. बिल बताया वह यात्राएं कहां कहां की हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : इस प्रश्न में साफ पूछा गया है।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न के भाग 2 में अंकित है "जिनका यात्रा भत्ता लिया है ? यदि हां, तो कहां कहां की यात्राएं कब कब किस किस कार्य हेतु समिति क्षेत्र से बाहर की गईं ?" यह प्रश्न में पूछा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, इस सूची में 35 यात्राएं दी हैं जो कि क्षेत्र से बाहर की हैं और जहां तक यात्रा के भत्ते उठाने का सवाल है यह कलेक्टर के कन्ट्रोल में है और इनके लिए ऑडिट ऑब्जेक्शन है और कलेक्टर इसके ऊपर कार्यवाही कर रहा है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह कलेक्टर के कन्ट्रोल में कब से है और कब से कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कलेक्टर के कन्ट्रोल में तो जब से नियम बने तब से ही है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि ये प्रधान हैं और यह भी माथुर साहब के व्यक्ति हैं और हर तरह से नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह : हमारे पास है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो सूची दी है उसमें हैदराबाद, बम्बई आदि की यात्राएं लिखी हैं तो पंचायत समिति क्षेत्र में बाहर की यात्राओं से क्या मतलब है ? इनको बाहर जाने का क्या काम था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, इसी चीज का ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ है और उसके लिए कलेक्टर उसकी ओपिन कार्यवाही कर रहा है और यह सवाल कलेक्टर की सीमा के अन्दर है।

श्री विजयसिंह : यह ऑडिट ऑब्जेक्शन किस तारीख को हुआ और कलेक्टर कब से कार्यवाही कर रहा है और आज दिन तक क्या क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, सूची के आइटम नम्बर 54 में 1941 रुपये का एक टी. ए. बिल है और उसमें यात्रा का कारण नहीं दिया, कहां यात्रा की गयी है, किस काम के लिए की गयी है—इनका उसमें कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह से आप सूची में देखेंगे कि 600-700 रुपये

(श्री हरजीराम बुरड़क)
का प्रति माह का बिल है और सारी यात्राएं जयपुर, जोधपुर, बम्बई, अहमदाबाद आदि स्थानों पर की गयी हैं और आप कह रहे हैं कि कलेक्टर अब कार्यवाही कर रहा है तो क्या राज्य सरकार विचार करेगी कि पंचायत समिति क्षेत्र के बाहर की यात्राएं किस प्रकार से कन्ट्रोल होनी चाहिए ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि पंचायत समिति के बाहर की यात्राएं होती हैं वे पंचायत समिति की सिफारिश और उसकी एप्रूवल से ही होती हैं और स्वीकृति के अनुसार नहीं होती हैं तो उन पर आपत्ति होती है और उसको कलेक्टर देखता है। तो इसके ऊपर चूंकि आपत्ति हो चुकी है, कलेक्टर उसके ऊपर कार्यवाही कर रहा है वह बाद में ही बताया जा सकता है।

श्री विजयसिंह : बम्बई गये थे समाजवाद लाने के लिए !

श्री हरजीराम बुरड़क : अगर कोई प्रधान पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर की यात्रा करता है तो राज्य सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वह पंचायत समिति की स्वीकृति से कर सकता है और उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : ऐसे कौन कौन से टी. ए. बिल हैं जिनके लिए पंचायत समिति ने आपत्ति की है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सारी स्थिति की इन्क्वायरी कलेक्टर द्वारा हो रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर के यहां यह जांच कब से चालू है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तिथि मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर अब तक कितनी जांच कर चुका है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह भी जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने अब तक कोई जांच शुरू नहीं की है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह भी नहीं कहा जा सकता।

श्री दौलतराम सारण : फिर क्या कहा जा सकता है? कलेक्टर ने जांच शुरू नहीं की, की या नहीं की–यह पता नहीं। कलेक्टर कितनी जांच कर चुका है–इसका पता नहीं। कर रहा है या नहीं—यह मालूम नहीं। तो आपको क्या पता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जांच कर रहे हैं यह तो मैंने बताया है ?

श्री दौलतराम सारण : कब से कर रहे हैं—यह बतायें ?

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को देना चाहिये। मिनिस्टर प्रधान के खिलाफ नहीं जाते हैं और इस क्वेश्चन को, अध्यक्ष महोदय, पोस्टपोन किया जाये और इसका जवाब वापिस इसी सत्र में आना चाहिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र की बात है और वह कर रहा है।

श्री विजयसिंह : वह कौन सा खुदा है ! वह भी तो आपके ही अण्डर में है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पंचायत समिति से बाहर की यात्रा के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अनुमति आवश्यक है।

श्री दौलतराम सारण : पूर्व अनुमति आवश्यक है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर कोई यात्रा करे तो पूर्व अनुमति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : किसकी ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायत समिति की नहीं जिलाधीश की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप बता रहे हैं तो अवश्य देखेंगे।

श्री दौलतराम सारण : यह जो यात्रायें की हैं पंचायत समिति के बाहर तो कलेक्टर द्वारा समय समय पर इसके निरीक्षण की व्यवस्था है और जो कार्य होते हैं वह विशेष तौर से नोट लगाते हैं और कार्यवाही करते हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने कहा कि आपत्ति हुई है और उसकी जांच हो रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : ऑडिट पार्टी ने क्या एतराज किया और कलेक्टर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऑडिट की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह : इस क्वेश्चन को स्थगित किया जाये क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और आपके द्वारा हमेशा इस प्रकार का हमें पूरा आश्वासन दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा, पूरा आश्वासन दिया जाता है स्थगित करने के लिए ? एक दो सवाल और देख लेते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : ऑडिट के बारे में आपने बताया था कि ऑडिट पार्टी ने एतराज किया तो आपको यह मालूम नहीं कि क्या किया है, कलेक्टर किस बात की जांच कर रहा है—यह मालूम नहीं और पंचायत समिति ने कौनसी यात्रा एप्रूव कर दी, कौनसी नहीं की—यह भी नहीं मालूम, तो फिर किस बात का मालूम है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रधान यदि अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाता है तो जब तक पंचायत समिति का एप्रूवल नहीं हो वह भत्ता उठा नहीं सकते हैं। नियमों के अनुसार यह है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी प्रश्न पूछना है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : पंचायत समिति ने कौन सी यात्रा एप्रूव नहीं की जिसकी कलेक्टर जांच कर रहा है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह तो पोस्टपोन कर दिया जाये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे यह अर्ज करना है कि मैने कई दफा कहा कि पंचायत समितियां राज्य सरकार को खा जायेंगी और जब प्रधान का केस सामने आता है तो उस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जायेगा तो यही स्थिति होगी। आप इसको स्थगित कर देंगे तो अच्छा होगा ।

श्री विजयसिंह : यह प्रधान शराब पीने वालों में भी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, इसमें यात्राओं का विवरण है उसी विवरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की उद्विग्नता है । आपने जैसा प्रकट किया कि इसकी कार्यवाही कलेक्टर के यहां हो रही है, उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ और उसके साथ साथ इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी या नहीं । यात्राओं के ये सारे प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं और कम से कम इस विवरण को देखते हुये कि बम्बई, हैदराबाद वगैरह वगैरह भी गये ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : ये फोरेन नहीं गये बस ।

श्री अध्यक्ष : साथ में कलेक्टर के यहां पर कार्यवाही किस स्टेज पर है, कब से आरम्भ हुई, कब समाप्त हो जायेगी और क्या एलीगेशन्स हैं और क्या उसका निर्णय हो—इन सब को जानने के लिए इस सीमा तक—मैं इसको स्थगित करता हूं ।

श्री शंकरलाल !

मजदूरों की बकाया का भुगतान

143. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के अधीन सिंचाई विभाग द्वारा पाली जिले की रायपुर तहसील में जो कार्य गत वर्ष कराये गये उनमें कई गावों में मजदूरी बकाया होने की शिकायतें मजदूरों द्वारा अपने क्षेत्र के विधायक के मार्फत कई मर्तबा किये जाने पर भी अभी तक मजदूरों को मजदूरी का चुकारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किया गया तो कब ?

(2) पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव बगड़ी, सोडपुरा, चोग, चिन्ताड़, सेन्दड़ा, रेलड़ा के सिंचाई विभाग के अधीनस्थ अकाल राहत कार्यों के मजदूरों के पेमेन्ट का ब्यौरा देने की कृपा करें ।

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, लेकिन भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया जाता था जिसके लिये आवश्यक राशि चैक द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जा चुकी थी । भुगतान हुआ या नहीं—यह विभाग को मालूम नहीं ।

(2) मजदूरों को भुगतान के लिये जो राशि इन गांवों के लिए चैक द्वारा

(श्री जसराज)
सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी गई है उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शंकरलाल : आप कह रहे हैं कि भुगतान हुआ है या नहीं यह पता नहीं, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ ? यही तो मैंने पूछा है। प्रश्न यही है कि उनका बकाया पेमेन्ट है और आप कह रहे हैं कि पता नहीं है।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, कार्य तो कराया जाता है सिचाई विभाग के द्वारा, मगर इसका भुगतान राजस्व विभाग द्वारा कराया जाता है। जहां तक सिंचाई विभाग का संबंध है वह कार्य करता है और जहां तक भुगतान का सवाल है वह काम राजस्व विभाग का है। इस केस में एक चेक बनाकर विकास अधिकारी, रायपुर को भेज दिया गया था और यह 29-9-70 को भेजा था। उसका हिसाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि किस का भुगतान हुआ है या किसका नहीं हुआ है।

श्री शंकरलाल : सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मजदूरों ने कार्य किया है और उनका राजस्व विभाग से पेमेन्ट होता है या नहीं तो उनको वापिस जानकारी करनी चाहिए कि किनका पेमेन्ट हुआ है और किनका नहीं और विशेष रूप से जब शिकायत पेश की जाय तो क्या विभाग का कार्य नहीं है कि वह मालूम करे ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह आवश्यक है ? क्या यह विभाग का कर्तव्य है ?

श्री जसराज : विकास अधिकारी को भेजा जा चुका है और विकास अधिकारी की ओर से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि किस का भुगतान हुआ है और किस का नहीं हुआ।

इसके अलावा एक नीति का प्रश्न यह है कि इस प्रकार से यह तय कर दिया गया था कि कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जायेगा और पेमेन्ट राजस्व विभाग द्वारा कराया जायगा। इसलिए इसका सम्बन्ध पेमेन्ट का वैसे राजस्व विभाग से है। फिर भी सूचना देने की दृष्टि से कुछ सूचना एकत्रित करने की कोशिश की है लेकिन पूरे डिटेल्स में वह आ नहीं पाई है इसलिए नहीं कह सकता कि किस का भुगतान हुआ है और किस का नहीं।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है......

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का सवाल क्वेश्चन आवर में नहीं उठा करता है फिर भी मैं अलाउ करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न से सम्बन्धित सवाल है। कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं तो सूचना प्राप्त करने के लिए और राज्य सरकार सूचना देने को बाध्य है, लेकिन हम रोज देखते हैं कि प्रश्नों का उत्तर देते समय कहा जाता है कि इस विभाग का इससे सम्बन्ध नहीं है। हमें कैसे पता चले कि राज्य सरकार ने अपनी आन्तरिक व्यवस्था क्या कर रखी है और कौन सा विभाग काम करता है और कौनसा विभाग पेमेन्ट करता है ? यह आन्तरिक मामला है उनका,

(श्री दौलतराम सारण)
प्रशासन का। इसका हम से सरोकार नहीं है। हमारी जानकारी में यह है कि सिंचाई विभाग कार्य कराता है तो सिंचाई विभाग को चाहिए कि जब प्रश्न पूछा जाय तो उसकी पूरी सूचना प्राप्त करके दे, लेकिन हम प्रत्येक प्रश्न में देखते हैं—यह कह कर, कि इस प्रश्न का इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है, उसको टरका देते हैं। यह विभाग का फर्ज है कि सूचना प्राप्त करके प्रस्तुत करे। इसलिए मैं यह व्यवस्था चाहता हूं, आगे के लिए यह व्यवस्था करें कि एक प्रश्न का पूरा उत्तर प्राप्त करके यहां पर सूचना दी जाये।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और जानकारी का प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी का नहीं व्यवस्था का मामला है।

श्री शंकरलाल : पेमेन्ट नहीं हुआ इसीलिए तो जानकारी मंगवाई थी कि पेमेन्ट हुआ है या नहीं लेकिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और कई गांवों में बगड़ी, सेंदड़ा आदि 13-13 गांवों में पेमेन्ट नहीं हुआ है। जब इलाके में जाते हैं तो मजदूर चिल्लाते हैं कि उनका पेमेन्ट नहीं हुआ और बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए पेमेन्ट कराना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी करना सिंचाई विभाग का काम है। जहां पर पेमेन्ट राजस्व विभाग से अच्छी तरह से नहीं हुआ तो खुद जाकर कराये।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त करके जिस किसी का भी पेमेन्ट नहीं हुआ है उसका पेमेन्ट जल्दी ही करवाये जाने की व्यवस्था की जायगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को भी जानकारी दें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): केवल एक ही प्रश्न नहीं है—....

प्रश्न संख्या 144

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : केवल एक तहसील का ही सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न मैंने ले लिया है।

हरिश्चन्द्र सागर बान्ध"

145. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) महाराणा हरिश्चन्द्र सागर बान्ध जिला झालावाड़ कितनी लागत से कितने क्षेत्र को सिंचित करने हेतु बनाया गया था व इस पर अब तक कितनी रकम खर्च करदी जाकर कितने रकबे में सिंचाई की जा रही है ?

(2) बनने की तारीख से अब तक हरिश्चन्द्र सागर बांध (काली सिन्ध पिक अप वेअर) कितनी बार कब कब टूट चुका है और हर टाइम इसकी दुरुस्ती पर

(श्री जुझारसिंह)
कितना कितना रुपया व्यय किया गया है। कृपया यह भी बतायें कि क्या किसी इन्जीनियर को इसके टूटने पर जिम्मेदार भी ठहराया गया है ?

(3) हरिश्चन्द्र सागर बांध कब तक मरम्मत होकर मुकम्मल हो जाने वाला है और उसके मरम्मत हो चुकने पर कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकने की सम्भावना है ?

(4) क्या इस बांध से निकाली गई नहरों में होने वाले सीपेज को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस काम पर कितना रुपया व्यय किया गया है ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) महाराणा हरिश्चन्द्र सागर बांध (काली सिन्ध) सन् 1955-56 में 18,84,753 रुपये की लागत से बना है तथा इससे अधिकतम सिंचाई 30,000 एकड़ होने का प्रावधान है लेकिन इसकी नहरें अभी तक केवल 18,000 एकड़ के लिए बनी हैं सन् 1956, 60, 61 एवं 69 में बाढ़ आने के कारण बांध क्षतिग्रस्त हुआ एवं इसकी मरम्मत तथा नहरों का खर्चा मिलाकर कुल खर्चा 55,34,582 रु० हुआ है। इस बांध से 1968-69 में 5193 एकड़ भूमि सिंचित हुई थी। गत 7 वर्षों के सिंचाई आंकड़े संलग्न हैं।

(2) यह बांध चार बार क्षतिग्रस्त हुआ है। वर्ष 1956, 1960, 1961 एवं 1969 में टूटा है। इसकी मरम्मत पर 1956 में 1,46,404 रु०, 1960 में 49,263 रु०, 1961 में 4,02,1?5 रु०, 1969 में 6,57,280 रु० खर्च हुआ है। इसके टूटने पर किसी इन्जीनियर को जिम्मेदार ठहराकर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि बांध अप्रत्याशित बाढ़ के पानी के कारण टूटा था।

(3) 1969 के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत जून 1972 तक पूर्ण होने की आशा है तथा इससे 20,000 एकड़ अधिकतम सिंचाई हो सकेगी।

(4) चट्टानों को काटकर नहर निकालने से पानी का सीपेज होता या उसे रोकने के लिए 3,68,766 रु० का लाईनिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया था। अभी तक इस पर 33,766 रु० खर्च हो चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जुझारसिंह : क्या आपने जब यह बांध सबसे पहले टूटा था उस वक्त में उसके लिए कोई जांच कमेटी बिठाई थी और उससे इसकी जांच करवाई थी कि यहां पर पानी का कितना प्रेशर है और कितने प्रेशर पर यह बान्ध टिक सकेगा ? यदि कराई हो, तो उसकी रिपोर्ट क्या आई है ?

श्री जसराज : 1959 में जांच करवाई गई है इसको केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग से और पूना रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा जो मोडर्न टेस्ट के अनुसार डिजाइन दिया गया और उसी के अनुसार क्षतिग्रस्त बान्ध की मरम्मत की गई थी।

श्री जुझारसिंह : 1961 में बान्ध दूसरी बार टूटा था। जब पहली बार टूटा तो क्या जांच करवाई है ? यदि पहली बार टूटने पर जांच नहीं करवाई इसके बारे में तो क्या टूटने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं आती है ?

Page No 16

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : ये खुद ही टूट कर गये हैं।

श्री जसराज : 1959 में जब बाढ़ आई थी तो 11-5 क्यूसेक्स से ऊपर पानी बहा था और 1961 में 12-5 क्यूसेक्स से ऊपर पानी बहा था। अप्रत्याशित बाढ़ के कारण यह बान्ध टूटा था। अप्रत्याशित बाढ़ आई थी और पानी ऊपर से निकल रहा था। इन सारी चीजों की जांच केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग से करवाई थी।

श्री जुझारसिंह : इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। यह नदी ही ऐसी है और इसमें इसी तरह की बाढ़ें आया करती हैं और इसी तरह की बाढ़ें आती रहती हैं। 1961 में इसकी नेसेसिटी महसूस हुई कि इसकी जांच करवाना आवश्यक है। तो पहली बार जब यह बांध टूटा तो पहले बनाते समय इसकी जांच क्यों नहीं करवाई और पहली बार टूटने पर जांच क्यों नहीं करवाई ?

श्री जसराज : पहले 11-5 क्यूसेक्स से ऊपर जाकर पानी बहा और फिर दूसरी बार उसी तरह से 12-1 क्यूसेक्स से ऊपर पानी बहा। 1956 से 1961 तक केवल यह दो बार टूटा है बीच में....

श्री जुझार सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसी बान्ध को बनाने के लिए कितने वर्षों के आंकड़े लेते हैं ? उसके लिए 30-40 वर्षों का फ्लड़ का रेकार्ड लिया जाता है ? उस बान्ध को बनाते समय कितने साल पहले का रेकार्ड उपलब्ध किया था ? क्या इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध किये थे कि यहां पर वाटर लेवल इस हद तक जाया करता है ?

श्री जसराज : यह सारी की सारी जांच करवाई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने कुछ नहीं पूछा है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने यह कैनाल के सीपेज के बारे में बताया है सीपेज बहुत होता है और सीपेज का सबसे पहले जब नहर में पानी डाला तभी से महसूस करने लगे कि 50 पर्सेन्ट पानी सीपेज होकर वापस नदी में चला जाता है और उसको ठीक कराने के लिए आपने जो रकम भेजी उसका 10 पर्सेन्ट ही उसकी मरम्मत में खर्च किया तो इसका क्या कारण है ?

श्री जसराज : मैंने बतलाया था करीब 96 हजार रुपया खर्च हो चुका है। बाकी काम चालू है।

श्री जुझारसिंह : आपने जो बताया है उसके अगेन्स्ट में 33 हजार रुपया खर्च करवाया। बांध बनाने को 12 हजार रुपये खर्च करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आखिरी सवाल है।

श्री जसराज : कार्य प्रगति पर है।

श्री जुझारसिंह : यह प्रगति पर है !

श्री जसराज : स्पीड और तेज कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां

146. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में मान्यता व सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल कितने हैं ? जिले वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस मान्यता व सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने छात्र अध्ययन करते हैं ?

(3) क्या इन मान्यता व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

(4) क्या इन स्कूलों में पढ़ने वाले उक्त जातियों के छात्रों की फीस माफ की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) राजस्थान में मान्यता प्राप्त 422 व सहायता प्राप्त 658 शालाएं हैं। सहायता प्राप्त संस्थाओं की सूची संलग्न है।

(2) इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति के करीब 15,342 व जनजाति के करीब 4,251 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) समाज कल्याण विभाग के नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकार किये जाने का प्रावधान है।

(4) सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले इन छात्रों को पाठ्य शुल्क से मुक्ति प्रदान की हुई है। तथा अन्य शुल्क आधे लिये जाते हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को कुछ संस्थाएं फीस में माफी देती हैं और अधिकतर नहीं क्योंकि ये अन्य रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री गंगासहाय : जिन संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को फीस माफ नहीं की जाती है, उनके लिए कोई कार्यवाही कर माफ क्यों नहीं कराते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : उन फीसों को रिए-म्बर्स करने का प्रावधान है। जो माफ करना चाहते हैं, वे कर देते हैं लेकिन अन्यों को मजबूर नहीं किया जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या गवर्नमेन्ट अप्रूव्ड एक्सपेण्डीचर में मन्जूर हो सकता है ? ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

राव श्री धीरसिंह: विचार किया जाएगा कि अप्रूव्ड एक्सपेण्डीचर में व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामचन्द्र आर्य !

घग्घर कन्ट्रोल चैनल का पानी

147. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि घग्घर कन्ट्रोल चैनल के पानी को सिचाई के उपयोग में नहीं लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो कितने काश्तकारों को मोघे दिये हैं और कितनों की मांग जेर तजवीज है?

(2) क्या यह सही है कि घग्घर कन्ट्रोल चैनल का पानी नाली बेंड में भी छोड़ा जाता है? यदि हां, तो कितना क्यूसेक छोड़ा गया है? व घग्घर कन्ट्रोल चैनल में कितना पानी चलता है?

(3) क्या यह सही है कि घग्घर कन्ट्रोल चैनल के नजदीक लगने वाली अन-कमाण्ड भूमि में एञ्जिन से काश्तकार पानी लगाना चाहते हैं लेकिन उनको सिंचाई विभाग के अधिकारी पानी नहीं दे रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो कितने काश्तकारों को एन्जिन से व अरहट से पानी दिया जाता है?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) जी नहीं। 101 मोघे दिये जा चुके हैं तथा बाकी कोई मांग नहीं है।

(2) जी हां। बाढ़ की स्थिति, पानी की आवक व आवश्यकतानुसार पानी नाली बेंड तथा घग्घर चैनल में चलता है।

(3) (अ) जी हां।

(ब) जी नहीं। सिंचाई विभाग ने 101 मोघे लगा दिये हैं। एन्जिन अरहट व साधारण प्रवाह से पानी लेते है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि घग्गर कन्ट्रोल चैनल से पानी लेने के लिए सिंचाई विभाग को पैसा देना पड़ता है?

श्री मनफूलसिंह : निराधार है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जो मोघे लगाना चाहते हैं उनको इजाजत नहीं दी जाती है? यह किस आधार पर?

श्री मनफूलसिंह : बराबर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आधार का है। क्या आधार है?

श्री मनफूलसिंह : क्या आधार है?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : वाटर अवेलेबिल हो तो दे सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अगर कोई अनुदान लेना चाहता हो?

श्री मनफूलसिंह : दे सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मदद करने के लिए?

श्री मनफूलसिंह : मदद को नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या सिंचाई विभाग में इसके लिए कोई नियम बनाया गया है कि कोई दरख्वास्त दे तो उसको दे सकते हैं?

श्री मनफूलसिंह : ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है।

Page No 19

श्री रामचन्द्र आर्य : क्यों नहीं बनाया गया है ? फालतू टीबों में पानी डाला जाता है। पानी बहता रहता है।

श्री मनफूलसिंह : कहां बहता है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : तीस तीस फुट पानी बहता है।

श्री मनफूलसिंह : 18 डिप्रेशन बने हुये हैं। उनके अन्दर जमीन है। काश्त होती है उनमें तीन चार हजार एकड़ जमीन दी गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आयन्दा कोई मांगे तो उसको मिल जाएगी ?

प्रश्न संख्या 148

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

खाचरोल की घाटी में एनीकट बनाने की योजना

149. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ की पंचायत खाचरोल की घाटी का मौका सिंचाई मन्त्री महोदय देख चुके हैं और एनीकट बनवाने का वायदा भी किया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस घाटी के न बंधने से भूमि का कटाव भी हो रहा है और खाचरोल तथा अन्य गांवों के लोग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं ?

(3) क्या इसी वर्ष काम प्रारम्भ होने की आशा है ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता: अध्यक्ष महोदय, वहां एनीकट बन जाने से भूमि का विकास हो सकता है। आपने आश्वासन दिया था। क्या एनीकट बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जसराज : उसकी जांच करवाई थी तो पता चला कि उसका आकार बहुत छोटा है। इसलिए वह पंचायत समिति के क्षेत्र का कार्य होगा। पंचायत समिति के पास जैसे ही धन या वित्तीय राशि उपलब्ध होगी, वह बना सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने तो पूछा ही यह है कि क्या एनीकट बन जायगा ?

श्री जसराज। एनीकट पंचायत समिति ही बना सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि बना दिया जायगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासहाय।

शक्कर विक्रेताओं के विरुद्ध मामले

150. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले के सरकारी शक्कर विक्रेताओं के खिलाफ काला बाजार में खाण्ड फर्जी खर्च मांड कर बेचने के आरोपों के मुकदमें विचाराधीन हैं ?

(2) यदि हां, सन् 1968 से आज तक किन किन व्यापारियों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं ? और उन पर आज तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह): (1) जी नहीं।

(2) किसी भी व्यापारी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

प्रश्न संख्या 151

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासहाय !

ग्राम कुचेरा की हरिजन बस्ती के लिए स्वीकृत राशि

152. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कुचेरा जिला नागौर में एक हरिजन बस्ती के निर्माण हेतु 20,000 रु. स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो यह राशि कब स्वीकृत की गई थी ?

(2) यह धन राशि किस को दी गई थी ? क्या यह बस्ती निर्मित हो चुकी है ? और क्या धनराशि की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र विभाग को मिल चुका है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री जी !

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) : (1) जी हां। ग्राम कुचेरा, जिला नागौर, में समाज कल्याण विभाग के द्वारा गृह निर्माण हेतु 18,000 रु. वर्ष 1959-60 में स्वीकृत किये गये थे।

(2) यह स्वीकृति जिलाधीश, नागौर को दी गई थी और उन्होंने ही धन राशि प्राप्त की थी। 24 परिवारों में से जिन्हें मकान सहायता स्वीकृत की गई थी, 20 ने मकान पूरे कर लिये तथा उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हो गये तथा शेष 4 की धन राशि राज्य कोष में जमा करा दी गई।

श्री विजयसिंह : यह राशि जमा क्यों कराई गई ? किन कारणों से जमा कराई गई है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसे चार व्यक्ति अपनी रकम का उपयोग करने की स्थिति में नहीं रहे। दो गांव छोड़ कर चले गये। दो की मृत्यु हो गई। इसलिए वह यूटिलाइज नहीं हो सका।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या वहां एक भी मकान नहीं बनाया ? क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय जी, क्या यह सही है जो मन्त्री महोदय ने कहा है ?

श्री गंगासहाय : वह तो मन्त्री महोदय जानें ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरी जानकारी में सही नहीं है । चार आदमियों का उपयोग नहीं हो पाया, वह जमा हो गया है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : मकान बने नहीं । बनने के बाद वह बाढ़ में बह गये । दो का प्रमाण-पत्र भी नहीं दिया जा सका है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मुझे कतई याद नहीं है, आप बतला दें ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : ये कहां पर बनाये गये थे ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ग्राम कुचेरा नागौर में बनाये गये थे ।

श्री रामसिंह कुड़ी : दक्षिण में जाने वाली सड़क या पश्चिम में जाने वाली सड़क पर ? किस जगह पर बनाये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये 18 मकान जो बनाये गये थे, वह पृथक पृथक थे या एक ही कॉलोनी के रूप में बनाये गये थ ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : यह राशि अलग अलग दी गई है या एक साथ दी गई है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : देखिये, ये चार व्यक्ति हैं जिनकी राशि काम में नहीं आयी है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : 18 और हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने प्रश्न यह किया है कि वह कॉलोनी बसाई गई है या अलग अलग बसाये गये हैं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके लिये मैं निवेदन करूं कि ये अलग अलग बसाये गये हैं । या कॉलोनी के रूप में बसाये गये हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : हरिजन बस्ती बसाई गई है, आपने ऐसा कहा है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह सही है कि ग्राम कुचेरा के हेतु निर्माण किये गये थे ।

श्री हरजीराम बुरडक : जिलाधीश कार्यालय से अलग अलग दिया गया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मकान किस एजेन्सी से बने हैं—इसके बारे में प्रश्न नहीं था । यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह रकम किसको दी गई, व्यक्ति को दी गई या पंचायत को दी गई ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह उन्हीं व्यक्तियों को दी गई, परिवार के हिसाब से दी गई। चार को नहीं दी गई। जिनको दी गई उनके नाम मैं बता देता हूं, मोवाना, कस्तूरी, मीरा, बाबुरी, हीरा ...

श्री अध्यक्ष : व्यक्तियों को दी गई। माननीय मंत्री महोदय !

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि एक भी मकान नहीं बना है और इस सम्बन्ध में ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आया था, उसका बाद में जवाब दिया था कि मकान बाढ़ में बह गये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरी जानकारी में यह सही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था, गत वर्ष यह बताया था कि मकान बाढ़ से बह गये हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उत्तर है क्या ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि वास्तव में उन लोगों को पैसा मिला है या नहीं ? और अगर मिला है तो वह मकान कहां बने ? अलग अलग जगह पर बने हैं या एक बस्ती में बने हैं ? और इनका पैसा किसको दिया गया ? अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया या केवल एक व्यक्ति को दिया गया जो पैसा लेकर खा गया। आप इसकी जांच करें—यह हम आश्वासन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : और बाढ़ में मकान बह गये हैं या नहीं—इसका भी जवाब दे दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने जो जांच के लिए कहा है उसमें मुझे ऐतराज नहीं है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जो जांच की रिपोर्ट आयेगी उसकी मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या इस सम्बन्ध में गांव के लोगों ने दरख्वास्त दी है कि कोई बस्ती नहीं बसाई गई है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अलग से प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य !

गंगानगर जिले की नहरों में पानी की कमी

153. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर जिले की सभी नहरों का पानी यानी गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल का पानी कोटे से कम चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो कोटे से कम पानी चलने का क्या कारण है ?

(3) क्या सतलज, व्यास और रावी वगैरह नदियों का पानी बिल्कुल ही सूख गया है ?

(4) सतलज नदी के पानी पर पूरा कन्ट्रोल होकर भाखरा डेम में जमा कर

Page No 23

(श्री हंसराज आर्य)
लिया गया है फिर पानी की इतनी जल्दी कमी का क्या कारण है ?

(5) इस समय किस किस नहर में कोटे से कितना कितना कम पानी चल रहा है ?

(6) क्या भविष्य में और भी पानी कम होगा ?

(7) क्या पानी की कटौती के साथ साथ बिजली में भी कटौती होगी ?

(8) यदि हां, तो कितनी और उसका राजस्थान पर क्या असर पड़ेगा ?

राज्य मंत्री, सिचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) राजस्थान के पानी के हिसाब (वाटर एकाउन्ट) के अनुसार राजस्थान नहर में पानी कम चल रहा है। गंग कैनाल व भाखरा नहर में पानी अपने कोटे के हिसाब से चल रहा है।

(2) वर्तमान में राजस्थान नहर को रावी व व्यास नदियों के बहते हुए पानी में हिस्सा मिलता है। पानी के हिसाब में राजस्थान व पंजाब में कुछ मूलभूत मुद्दों पर मत भेद है जो विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं।

(4) इस साल वर्षा कम होने के कारण भाखरा बांध पूरा नहीं भर सका जिसके कारण पानी की कमी रही है।

(5) सूची संलग्न है।

(6) भविष्य में पानी की मात्रा वर्षा एवं नदियों के बहाव पर निर्भर करता है।

(7) जी नहीं, राजस्थान को समझौते के अनुसार पूरे उत्पादन का 15-22 प्रतिशत हिस्सा बराबर मिलता है।

(8) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : क्या फर्माया, गंग कैनाल, भाखरा में पानी पूरा चल रहा है ?

श्री मनफूलसिंह : गंग कैनाल और भाखरा में अपने कोटे के मुताबिक पानी चल रहा है।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची दी गई है, भाखरा में 1920 के बजाय 1250 बताया है, गंग कैनाल में 1350 के बजाय 1516 बताया गया है।

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप गंग कैनाल की कैपेसिटी की बात करते हैं। मैं जो फेक्चुअल रिसीट्स हैं उसकी बात करता हूं। उसके हिसाब से जितना पानी हमको मिलना चाहिये उतना हमको मिला है।

श्री हंसराज आर्य : भाखरा में पानी पूरा चल रहा है तो फिर लोग किस बात के लिए रो रहे हैं ? वहां पानी पूरा नहीं चल रहा है।

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य भादरा से आने वाले हैं, वह भादरा के रहने वाले हैं वहां पर दूसरा सिस्टम है, अमरसिंह और जसाणा वहां पर फाटियावास से पानी लेते हैं, उसमें वास्तव में पानी बहुत कम है। सार्दुलसिंह और करणीसिंह ब्रांच है, उसमें पानी पूरा मिलता है।

श्री हंसराज आर्य : आप अमरसिंह और जसाणा को भाखरा में नहीं मानते हैं ?

श्री मनफूलसिंह : पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था, मैंने उस वक्त यह उत्तर दिया था कि हम प्रयत्नशील हैं। हमारी राजस्थान कैनाल हरियाणा में बहती है, उसमें से हरियाणा पानी लेना चाहता है। हरियाणा में जो खडियावास ब्रांच है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा कर अमरसिंह और जसाणा को पानी देना चाहते हैं।

श्री हंसराज आर्य : यह कब तक काम पूरा हो जायगा ? कब तक पानी मिलने लग जायगा ?

श्री मनफूलसिंह : इसकी एक लिंक बना रहे हैं, वह तीन महीने में पूरी हो जायगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार से भी बातचीत चल रही है। हम इस कोशिश में हैं कि अमरसिंह और जसाणा में पानी पूरा मिले।

श्री हंसराज आर्य : पाकिस्तान से जो पानी मिलने वाला था, क्या वह पूरा ले लिया गया है ? पाकिस्तान से जो कोटा मिला है, क्या उसका उपयोग हो रहा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल में जो प्रि-पार्टीशन शेयर है, उसके अलावा रावी और व्यास में जो पानी आता है उसमें से भी गंग कैनाल में पानी की कमी होने की वजह से अथवा एरिया कमाण्ड का बढ़ जाने की वजह से पानी की पूर्ति नहीं होती है। वैसे हम अधिक पानी रावी और व्यास के हिस्से में से गंग कैनाल को प्रि-पार्टीशन शेयर से ओवर एण्ड अबाव देते रहे हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे।

श्री हंसराज आर्य : जसाणा में पानी की कमी है, उसको कुल पानी में से तीस पर्सेन्ट, अट्ठाइस पर्सेन्ट मिल रहा है। उसके अन्दर पानी पूरा कब तक कर देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके सम्बन्ध में हरियाणा सरकार से बातचीत चल रही है। कोशिश करेंगे कि जल्दी ही बातचीत होकर यह फाइनलाइज हो जाय, तभी पूरा पानी मिल सकता है।

श्री हंसराज आर्य : बात से क्या पूरा हो जायगा। इतनी कैपेसिटी है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाइनल होने के बाद में अगर कैपेसिटी नहीं भी होगी तो बढ़ाई जायगी। लेकिन यह हरियाणा सरकार से तय हो जाने पर होगा।

श्री हंसराज आर्य : क्या हरियाणा इसमें सहमत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हरियाणा सरकार से बातचीत में यह मसला सामने आया था, उनको कुछ पानी की आवश्यकता है। यह राजस्थान कैनाल है और उनका जो पानी खडियावास सिस्टम पर है, हमने कहा कि जितना पानी हम देंगे, उतना पानी हमें इस सिस्टम पर दे दो तो बात बैठ सकती है। वह योजना बन रही है कि कैसे पानी ले लें। हम योजना बना रहे हैं कि खडियावास से कैसे पानी ले लें।

श्री हंसराज आर्य : हरियाणा कौनसी जगह पानी लेना चाहता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान कैनाल से वह लिफ्ट इरिगेशन से पानी लेना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
चाहता है अपने प्रदेश में। अपन फाटियावास सिस्टम पर पानी लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि गंग नहर की अव्यवस्था के कारण गंगानगर की फसल बरबाद हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बरबाद होने की बात सामने नहीं आई ?

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि नहीं आई।

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी की कमी की वजह से फसल बरबाद हो गई है, चने की फसल बरबाद हो गई है। आप कहते हैं यह बात सामने नहीं आई ? क्या आप कभी वहां गये हैं, दौरे पर ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बतलाए इसका क्या कारण है कि पानी नहरों में कम है ? नहरों में पानी नहीं है, नहरें बन्द पड़ी हैं इसलिए फसल नष्ट हो गई है, करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई है। इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न !

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं अध्यक्ष महोदय, पानी की कमी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, पूरा पानी नहीं दिया गया है इस वजह से फसल नष्ट हो गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि हर साल फसल जब पकने को आती है उस वक्त नहरों में पानी कम हो जाता है ?

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, दरियाओं में जितना पानी होता है, उसके हिसाब से पानी आता है। जानबूझ कर पानी की कमी नहीं करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिन लोगों की फसल खराब हो गई है क्या सरकार उनसे आबियाना वसूल नहीं करेगी, क्या उनको हर्जाना देगी ?

श्री मनफूलसिंह : ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न समाप्त हुए, यह कब समाप्त होंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह भी आपके साथ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति चित्तौड़गढ के प्रधान का चुनाव

135. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में 1 मार्च, 1963 से प्रधान के इस्तीफा देने के बाद से ही उपप्रधान श्री शान्तिलाल भड़कत्या इस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) नये प्रधान का चुनाव क्यों नहीं कराया गया है और कब तक प्रधान का चुनाव कराने का सरकार का इरादा है ?

Page No 26

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(3) क्या यह सही है कि उप प्रधान के प्रति पंचायत समिति के सदस्यों में असन्तोष फैल रहा है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

चराई की बकाया की वसूली

137. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की ग्रटरू रेन्ज ऑफिस द्वारा सन् 47-48 तक के पुराने पशु चराई के बकाया की राशि किसानों से वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो इतनी पुरानी वसूली अब तक क्यों बकाया पड़ी रही तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(2) क्या इससे सम्बन्धित अधिकारियों को सरकार निर्देश देगी कि भविष्य में इतनी बकाया राशि इतने लम्बे अर्से तक नहीं रहनी चाहिये ?

(3) क्या सरकार महसूस करती है कि सन् 47-48 की बकाया छोटी छोटी रकमों को काश्तकार इतने लम्बे अर्से तक ध्यान में रख सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस वसूली को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । किन्तु 1948-49 से 1956-57 तक लोगों द्वारा पूरी चराई समय पर तकाजा करने पर भी जमा नहीं कराने के कारण यह बकाया चलती रही है । इस पुरानी छोटी छोटी बकाया के लिये बाकीदार स्वयं ही जिम्मेदार हो सकते हैं ।

(2) सम्बन्धित अधिकारियों को बकाया राशि लम्बे अर्से तक नहीं रहने देने के निर्देश दिए हुए हैं ।

(3) इन छोटी छोटी बकाया रकमों की वसूली के प्रयत्न पहले से ही चल रहे हैं अतः इनके काश्तकारों की जानकारी में नहीं होने का प्रश्न नहीं होता । वसूली को समाप्त करने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

बारां क्षेत्र में चम्बल नहर के पानी के फैलाव को रोकने की योजना

138. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र की तहसील मांगरोल के ग्राम बोरदा, धाकड़खेड़ी, बड़गांव, उदयपुरिया आदि गांवों में चम्बल नहर के पानी के फैलाव के कारण गांवों का यातायात अवरुद्ध है ? यदि हां, तो किन किन गांवों में है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के गांवों में बारह महीनों नहरी पानी के भराव के कारण कृषकों को अपने खेतों में बैल गाड़ियों से फसलों का माल ले जाना व लाना मुश्किल रहता है और उक्त गांवों में बस व ट्रक आदि का भी आना जाना असम्भव रहता है ?

(3) उक्त गांवों के यातायात को ठीक करने एवं गांवों को चारों तरफ पानी के फैलाव को रोकने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) जी हां, बारां क्षेत्र में मांगरोल तहसील के बोरदा व धाकड़खेड़ी ग्रामों में

(सिंचाई मन्त्री)

चंम्बल की नहर के पानी के पोरिसन (भरन) से ग्रामों का यातायात अवरुद्ध हो गया है। परन्तु बड़गांव व उदयपुरिया आदि ग्रामों में तो कृषकों द्वारा नहरी पानी अधिकता से लेने तथा पानी खराब करने से गांवों का यातायात अवरुद्ध होता है।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार ने केवल बोरदा व धाकड़खेड़ी ग्रामों के रास्ते ठीक कराने की योजना तैयार की है। जिसमें से धाकड़खेड़ी का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा ग्राम बोरदा के रास्ते वर्ष 1971-72 के वित्तीय वर्ष में पूरा कराये जाने की योजना है। परन्तु इनके अलावा अन्य ग्रामों के रास्ते ठीक कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। क्योंकि इन ग्रामों के रास्ते काश्तकारों की लापरवाही के कारण अवरुद्ध होते हैं।

सांचोर राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में जीव विज्ञान विषय की पढ़ाई

139. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में अभी तक जीव विज्ञान शास्त्र का विषय नहीं खोला गया है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त विषय की उपरोक्त पाठशाला में काफी अर्से से मांग की जा रही है? अगर हां, तो वह विषय अब तक क्यों नहीं खोला गया है?

(3) क्या सरकार उक्त विषय, उपरोक्त पाठशाला में आगामी सत्र से खोलने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है। सत्र 1969-70 सांचोर राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में जीव विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर थी जिनकी पूर्ति न होने के कारण विषय नहीं खोला गया:—

(1) निर्धारित माप की प्रयोगशाला का कमरा उपलब्ध हो, या

(2) प्रयोगशाला के कमरे के लिये 15000 रु. की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराई गई हो।

(3) आगामी वर्ष 1971-72 में बजट में प्रावधान होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत ड्योढी के उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

144. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गुमानसिंह उप सरपंच ग्राम पंचायत ड्योढी, पंचायत समिति सांभर, जिला जयपुर के विरुद्ध आये हुए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उप जिला विकास अधिकारी, जयपुर ने पहले तारीख 16 अप्रेल, 1969 निश्चित

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
की तथा उसी प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिये 30 मई, 1969, 30 जुलाई 1969 तथा 10 सितम्बर, 1969 निश्चित की ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तरीके से बैठकें स्थगित करके राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 15 (5) के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आयोजित बैठकें बुलाने का अधिकार उप जिला विकास अधिकारी को न होकर, कलेक्टर (पंचायत) का है ?

(4) यदि यह सही है तो उप जिला विकास अधिकारी ने उपरोक्त चार तारीख पर गलत तरीके से बैठक बुला कर कानून का क्यों उल्लंघन किया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ओला वृष्टि से क्षति

148. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सहायता मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1971 में 15-20 दिन के भीतर भीतर तहसील छबड़ा के कुछ गावों में ओला वृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है ? यदि हां, तो कितना नुकसान कितने गांवों में किस किस फसल को पहुंचा है।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम मोरेला, मोरली आदि गावों के काश्तकार जो तहसील छबड़ा में हैं, इस ओला वृष्टि से प्रभावित हुये हैं ?

उत्तर

(1) तहसील छबड़ा में दिनांक 26 व 27 फरवरी, 1971 को 18 गांवों में वर्षा व ओला वृष्टि हुई, किन्तु किसी फसल को हानि नहीं हुई।

(2) जी नहीं।

मनोहरथाना-सालपुरा मार्ग पर चलने वाली बसें

151. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मनोहरथाना से सालपुरा वाया इकलेरा-सारथल-छीपा बड़ोद जो बसें चलतीं हैं, वो अक्सर समय पर नहीं चलतीं ?

(2) इस रूट पर कितनी बसों के चलने के परमिट जारी हो रहे हैं ? प्रत्येक बस मालिक या रूट होल्डरों के नाम बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस रूट पर चलने वाली सारी बसें बहुत पुराने समय की हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की जनता के आवागमन के साधन प्रायः खत्म से हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस

Page No 29

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
रूट पर चलने वाली बसों की हालत व मॉडल सुधारने को प्रयत्नशील है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) केवल एक ही बस चलती है । 150 मील लम्बे रास्ते में से 20 मील रास्ता कच्चा और खराब है । इसलिये बस का लेट हो जाना सम्भव है ।

(2) इस रूट पर 4 परमिट जारी हुये थे उनमें से 3 सन् 69 में निरस्त हो चुके हैं सन् 70 में 3 परमिट और दिये गये लेकिन मियाद के अन्दर किसी ने परमिट नहीं उठाया । बस मालिकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) इस समय जो बस आर. जे. आर. 1227 इस मार्ग पर चल रही है वह राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मॉडल 1957 की है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नहरों से सिंचाई

127. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भाखड़ा कैनाल, गंग नहर, राजस्थान नहर व घग्घर नहर से मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1970 चारों मासों में राजस्थान में कितने हैक्टर सिंचाई हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) मार्च, 1970 से जनवरी, 1971 तक अलग अलग नहरों से कितना पानी राजस्थान को प्राप्त हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है ।

(2) सूची "ब" संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जालोर जिले में सिंचाई कार्य

128. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में चल रहे सिंचाई के अकाल राहत कार्यों के संचालन के बारे में जनता की ओर से कोई शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थीं, अगर हां, तो कब कब और इन शिकायतों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) भविष्य में ऐसे कार्यों पर और शिकायतें न आयें, इस बारे में सरकार ने क्या सोचा है ? सिंचाई अकाल राहत कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) सिंचाई के अकाल राहत कार्य जिला जालोर में शीघ्र मंजूर हो सकें, इसके बारे में सिंचाई विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति एवं सर्वेक्षण लघु सिंचाई कार्यों के बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्य-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वाही की गई है ? इस प्रकार की तकनीकी स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, सुमेरपुर के पास कितनी योजनाएं कितने समय से पड़ी हैं ? अब ये योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जावेंगी ?

(4) अकाल राहत सिंचाई कार्यों के जरिये पिछले साल अकाल वर्ष में सांचोर में कितने लघु सिंचाई बंध पूरे कराये गये एवं कितने कार्य अधूरे रह गए ? अधूरे सिंचाई कार्यों को पूरे कब तक कराए जायेंगे ? अधूरे सिंचाई कार्यों को पूरे कराने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(5) इस वर्ष बंधाए गए कितने बांध इस वर्षा से टूट गए ? उनकी मरम्मत के लिए सरकार की क्या योजना रहेगी ? उनकी मरम्मत कब तक करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जो शिकायतें सिंचाई विभाग को प्राप्त हुई हैं तथा उन पर की गई कार्यवाही की सूची संलग्न है।

(2) भ्रष्टाचार को रोकने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये जैसे मस्टररोल का भुगतान राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा करना तथा उनको विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय समय पर जांच करवाना आदि।

(3) इसके लिये आवश्यक अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ताओं को दे दिये गये। इसके अलावा सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण उप खण्ड की स्थापना कर दी गई। ऐसी कोई योजना अधिशासी अभियन्ता सुमेरपुर के पास तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

(4) सूची संलग्न है। अधूरे कार्यों को रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

(5) इस वर्ष 3 बांध टूटे जिनकी वर्षा से पहिले मरम्मत करा दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बिजली के बिलों का भुगतान

129. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर):क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बिजली के बिल भरने की तारीख रानी स्टेशन (जिला पाली) पर क्या दिनांक 28 फरवरी, 71 रविवार की दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले विद्युत बिलों के पीछे की ओर भुगतान सम्बन्धी छपे हुए निर्देश 'क' में यह लिखा हुआ है कि यदि भुगतान का दिन छुट्टी के दिन पड़ता हो तो उसे दिन के पश्चात के (नेक्स्ट) कार्यकारी दिवस को भुगतान की तारीख मानी जायगी ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, पाली द्वारा पहली मार्च को छुट्टी घोषित की गई थी क्योंकि उस दिन लोक सभा के चुनावों हेतु मतदान होना था ?

(4) (I) यदि उपर्युक्त आइटम संख्या (2) तथा (3)

(श्री फूलचन्द बाफणा)

की बातें सही हैं तो क्या तारीख 28 फरवरी,71, रविवार को होने वाले भुगतानों की तारीख फिर ता. 2 मार्च, 71 ही नियमानुसार तारीख थी ?

(II) यदि हां, तो ता. 2 मार्च, 71 को विद्युत बिलों के शुल्क लेने का रानी-विद्युत घर में कोई प्रवन्ध क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उपर्युक्त परिस्थिति की ओर लोगों ने तार व पत्रों द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, फालना का ध्यान खींचा ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) नियमानुसार ड्यू तारीख 2 मार्च, 71 के बदले (क्योंकि इस दिन शुल्क प्राप्ति का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था) कौनसी ड्यू तारीख मुकर्रर की गई ? यदि ड्यू तारीख फिर से मुकर्रर नहीं की गई तो जनता को इस प्रकार का कष्ट देने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ? और उस सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया ?

(7) नई ड्यू तारीख मुकर्रर यदि की गई तो वह कौनसी तारीख थी और उस नई ड्यू तारीख को उपभोक्ताओं से कौनसा शुल्क लिया गया—ड्यू तारीख को लिया जाने वाला एमाउन्ट अथवा ड्यू तारीख के पश्चात् लिया जाने वाला एमाउन्ट कितना था ?

उत्तर

(1) रानी स्टेशन जिला पाली के उपभोक्ताओं के मास फरवरी के बिलों पर भुगतान की अन्तिम तारीख 28-2-71 की दी गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। रानी में कैश मास के प्रत्येक दिन (अलावा छुट्टी के) नहीं लिया जाता है। फालना में किसी भी वर्किंग डे को बिलों का भुगतान किया जा सकता है।

(5) जी हां। अधिशासी अभियन्ता ने सम्बन्धित लोगों को सूचित किया कि दिनांक 2-3-71 को वह अपनी रकम अन्डर प्रोटेस्ट फालना आकर जमा करा दें।

(6) नियमानुसार 2 मार्च, 71 को रकम जमा करानी चाहिये थी अतः कोई दूसरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। किसी पर जिम्मेदारी ठहराने का प्रश्न नहीं उटता।

(7) रानी स्टेशन में जिन 131 उपभोक्ताओं ने 2-3-71 को बिलों का भुगतान नहीं किया था उनको रिबेट की रकम करीब 160 रुपये थी।

बिजली का उत्पादन

130. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनवरी, 1970 से 1971 की जनवरी

(श्री भगवानदास शास्त्री)
तक बिजली का उत्पादन दुगुना हुआ है ? यदि हां, तो कितने कि. वा. की बढ़ोतरी हुई।

(2) जनवरी, 1970 से 1971 तक कितने कि. वा. बिजली किसानों को दी गई ?

उत्तर

(1) विद्युत उत्पादन एवं पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स से राज्य में उपलब्ध विद्युत जनवरी, 1970 में लगभग 90.0464 एम.के.डब्ल्यू.एच.(Million kilowatt hours or units) थी, जबकि वह जनवरी, 1971 में लगभग 114.4 एम.के डब्ल्यू. एच. थी, इस प्रकार विद्युत उपलब्धि करीब 27.1 प्रतिशत बढ़ी।

(2) किसानों को दी जाने वाली बिजली किलोवाट में आंकना सम्भव नहीं है। फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 69 से नवम्बर, 1970 तक अनुमानतः 88.8 एम. के. डब्ल्यू. एच. (Million Units) बिजली किसानों को कृषि पम्पों के लिए दी गई।

अटरू तहसील में कृषि कार्य के लिए बिजली

131. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अटरू तहसील में बिजली पहुंच चुकी है ? यदि हां, तो वहां पर बिजली कृषि कार्य हेतु (पम्पिंग सेट) अभी तक क्यों नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बिजली की मेन लाइन से 1 मील तक के कुओं को कृषि कार्य हेतु बिजली दी जायेगी ? यदि हां, तो अटरू तहसील क्षेत्र के काश्तकारों को कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

(3) क्या यह सही है कि बिजली विभाग से जिन जिन गांवों को बिजली दी जाने वाली है उनका सर्वे करा लिया है ? यदि हां, तो कृपया अटरू तहसील क्षेत्र के गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें—जिन गांवों को बिजली दी जाने वाली है ?

उत्तर

(1) अटरू तहसील में अटरू एवं खेडली गंज में बिजली पहुंच चुकी है और वहां पर कृषि कार्य हेतु बिना किसी प्रतिबन्ध के बिजली उपलब्ध है। दो कनेक्शन दिये जा चुके हैं और कोई डिमांड पेंडिंग नहीं है।

(2) बारां से अटरू और अटरू से छींपाबडोद जाने वाली 33 के. वी. की लाइन है और इस लाइन को जगह जगह पर टेप करके बीच में बिजली देना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है।

(3) अटरू तहसील के किसी भी ग्राम की सर्वे रिपोर्ट इस वर्ष प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई स्वीकृति दी गई है।

सिंगोली-धाकड़खेड़ी-जोजवा-मांडलगढ़ बस रूट

132. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं, कि मांडलगढ़ क्षेत्र में जोजवा गांव महत्त्वपूर्ण स्थान है जहां की आबादी अढ़ाई हजार के लगभग है?

(2) क्या यह सही है कि यहां मिडिल स्कूल, औषधालय, पटवारघर, सहकारी समिति आदि हैं लेकिन यहां अब तक बस की व्यवस्था नहीं है?

(3) क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि भीलवाड़ा से मांडलगढ़ वाया बड़ल्यास बरुदनी, सिंगोली जाने वाली बसों में से दो बसें सिंगोली से ही वाया धाकड़खेड़ी, जोजवा होती हुई मांडलगढ़ पहुंचे। यदि यह मुमकिन न हो तो क्या आप नया रूट कायम करने का इरादा रखते हैं? यदि रखते है तो कब तक वहां बसें चलने लग जावेंगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) रूट का सर्वे हो चुका है। स्कोप निर्धारित करने के पश्चात आवेदन पत्र मांगे जावेंगे। निश्चित समय के विषय में नहीं कहा जा सकता।

छीपा-बड़ौद-सालपुरा मार्ग पर चलने वाली बसें

133. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या यातायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद से सालपुरा रेल्वे स्टेशन तक छीपाबड़ौद एरिये की जनता के लिए सिर्फ एक ही बस का छीपाबड़ौद से सालपुरा तक परमिट दिया हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि एक ही बस के इस रूट पर चलने की वजह से सवारियों को रेल्वे स्टेशन सालपुरा से छीपाबड़ौद व छीपाबड़ौद से सालपुरा आने जाने में भारी असुविधा होती है तथा बसों में सवारियों की बहुत अधिक भीड़ होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस छीपाबड़ौद से सालपुरा रूट पर और भी नये परमिट देने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक नये परमिट जारी कर दिये जावेंगे तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी नहीं। सालपुरा से छीपाबड़ौद मार्ग पर सालपुरा, छीपाबड़ौद, लुहारू, इकलेरा, मनोहरथाना मार्ग पर चलने वाली 4 बसें 3 रिटर्न ट्रिप्स प्रति दिन लगाती हैं और सालपुरा-छीपाबड़ौद, कलमोदिया-हरनावदा-मनोहरथाना मार्ग की 1 बस 1 रिटर्न ट्रिप लगाती हैं और सालपुरा, छीपाबड़ौद चलने वाली 1 बस 2 रिटर्न ट्रिप्स लगाती है। इस प्रकार इस समय प्रति दिन

(यातायात मन्त्री)
6 बसें 6 रिटर्न ट्रिप करती हुई इस रास्ते पर सालपुरा से छीपाबड़ोद तक आती जाती हैं।

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कोटा ने इस मार्ग पर 3 परमिट और दिये थे जो उठाये नहीं गये अत: मंजूरी स्वत: निरस्त हो गई। अब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने जनहित की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये सालपुरा छीपाबड़ौद मार्ग पर अपने प्रस्ताव सं. 63 दिनांक 4-12-1970 से 2 बसें व 4 रिटर्न ट्रिप का स्कोप निर्धारित कर दिया हैं। प्राप्त हुये आवेदन-पत्रों पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अपनी अगली बैठक दिनांक 10, 11, 12 मई, 1971 में विचार करेगी।

हरनावदाशाहजी-सालपुरा रेल्वे स्टेशन मार्ग पर बसें

134. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद तहसील के हरनावदाशाहजी कस्बे को सालपुरा रेल्वे स्टेशन से किसी भी बस सेवा से सीधा नहीं जोड़ा गया है?

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष से ही हरनावदाशाहजी के रहने वाले लोग यातायात की सुविधा से वंचित रहे हैं क्योंकि हरनावदाशाहजी से होकर कोई भी बस नहीं चलती? यदि हां, तो सरकार इस रूट पर चलने वाली बसों के बस मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सुविधा से तो वंचित नहीं रहे लेकिन चार बसों में से तीन के परमिट बसों के समय पर नहीं चलने से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कोटा ने निरस्त कर दिये और केवल एक ही बस रिटर्न ट्रिप लगाती है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने प्रस्ताव संख्या 61, दिनांक 3-12-70 से इस मार्ग पर 3 परमिट और मन्जूर किये हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी परमिट उठाये नहीं हैं।

कोटा-शिवपुरी बस सर्विस

135. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा से शिवपुरी रोड राष्ट्रीय मार्ग में आता है? यदि हां, तो इस पर अब तक राजस्थान राज्य परिवहन की बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? जब कि मध्यप्रदेश परिवहन की बसें चल रही हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इस मार्ग पर राज्य परिवहन की बसें चलाने पर कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो कारण बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, निगम ने इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना नहीं बनाई है और न निगम को इस मार्ग पर वाहन चलाने के लिए परमिट प्राप्त हुए हैं।

[redacted]

(यातायात मन्त्री)

(2) निगम ने इस मार्ग पर परमिट प्राप्त करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रार्थना-पत्र दे रखा है। परमिट मिलने पर वाहन चलाई जावेगी।

टैक्सों की बकाया

136. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में बसों, कारों, ट्रकों व ट्रैक्टरों के मालिकों की ओर राज्य सरकार के टैक्सों की गत 5 वर्षों की कितनी रकम बकाया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान में बसों, कारों, ट्रकों व ट्रैक्टरों के मालिकों की ओर राज्य सरकार के टैक्सों की गत 5 वर्षों की बकाया 1-4-66 को 11,38,270 रुपये थी लेकिन 30-9-70 को बाद वसूली यह बकाया रु. 3,66,492 रही।

टैक्सों की बकाया का हिसाब रीजन वार रखा जाता है जिलेवार नहीं अतः 3,66,492 रु. की बकाया जो 30-9-70 को थी उसका रीजनवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1. जयपुर	2,49,287) रु.
2. जोधपुर	4,340) रु.
3. उदयपुर	75,786) रु.
4. बीकानेर	6,666) रु.
5. कोटा	3,961) रु.
6. गंगानगर	26,452) रु.
कुल रुपये	3,66,492)

बारां-छीपाबड़ौद बस सर्विस

137. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां (कोटा जिला) से छीपाबड़ौद बस सर्विस है ? यदि हां, तो यह कहां कहां से होती हुई निकलती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी बस मार्ग में अटरू से सालपुरा (कवाई) तक वर्तमान में कोई गांव नहीं पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कोटा में आर. टी. ए. की बैठक हुई थी उसमें इस मामले को लेकर बस मार्ग परिवर्तन करके निकालने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो वह किस किस गांव में होकर निकालने का आदेश था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उस आर. टी. ए. के आदेश की बस मालिक ने पालना नहीं की ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर वहां की जनता की भावना को समझते हुए बस मालिक को बरलां हानिहेड़ा, सोंदनी आदि गांवों से बस निकालने हेतु आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह बारां से छीपाबड़ौद वाया अटरू, सालपुरा, कवाई टांचा, चलती है।

(यातायात मन्त्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां, आर टी. ए. ने 26-10 70 की बैठक में उपरोक्त मामला श्री नन्दलाल जी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा जयपुर के आवेदन-पत्र दिनांक 15-10-70 पर परिभ्रमण टिप्पणी से इस मार्ग का अस्थाई डाइवरसन अटरू से बाया बरला, पटना, हानीहेड़ा सीथली होकर के स्वीकृत किया था।

(4) उस समय के वर्तमान बस ऑपरेटर्स श्री मंजूर अहमद को आर. टी. ए. के आदेश वास्ते पालनार्थ दिनांक 28-10-70 को भेजा था और स्वीकृत डाइवरसन पर वाहन स्वामी के बस न चलाने की शिकायत का मामला धारा 60 का नोटिस देकर आर. टी. ए. की मार्च 71 की बैठक में रखा हुआ था। इस मीटिंग में मामला समयाभाव के कारण नहीं लिया जा सका जो अब मई, 71 की बैठक में लिया जावेगा।

(5) बस मालिक को स्वीकृत डाईवरसन मार्ग पर चलने हेतु फिर से हिदायत जारी करदी है परिवहन प्राधिकरण, कोटा ने इस अस्थाई स्वीकृति का अर्थात् मार्ग का स्थाई डाइवरसन करने हेतु मामला राज-पत्र में प्रकाशन कराके आर. टी. ए. की मई, 71 में होने वाली बैठक में रखा गया है, ताकि जनता की मांग स्थाई तौर पर पूरी की जाये।

राजस्व विभाग की हस्तान्तरित भूमि

138: श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग राजस्थान ने वन विभाग की काफी जमीनें राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की हैं? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी?

(2) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद रेन्ज में भी वन विभाग की सैंकड़ों बीघा जमीन राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गई है?

(3) क्या इसी प्रकार तहसील छबड़ा में भी वन विभाग की जमीनें राजस्व विभाग को ट्रान्सफर की गई है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मिल्क पाउडर का वितरण

139: श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गगवाना (अजमेर) राजकीय चिकित्सालय में दिनांक 26-9-70 को मिल्क पाउडर 225 किलो ग्राम आया था?

(2) यदि हां, तो किन किन बच्चों को प्रतिदिन पिलाया गया सूची, सदन की मेज पर रखने को कृपा करें?

उत्तर

(1) जी नहीं गगवाना (अजमेर) राजकीय चिकित्सालय में दिनांक 25-9-70 को मिल्क पाउडर 225 कि. ग्राम आया था।

(2) प्रतिदिन दूध पिलाये गये बच्चों की संख्या की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

140. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) 1969-70 तक एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज अजमेर द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ?

(ख) अब तक कितने प्रार्थियों ने प्रार्थना-पत्र दर्ज कराये थे, और अभी कितने शेष हैं ?

(ग) नौकरी दिये गये व्यक्तियों की प्रतिशत क्या है।

उत्तर

(1) 1-4-69 से 31-3-70 तक 740 व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज, अजमेर द्वारा रोजगार दिलाया गया है।

(2) इसी अवधि में 15,725 आशार्थियों ने अपने नाम अजमेर नियोजन कार्यालय में पंजीयन करवाये थे। 31-3-70 को 11,224 आशार्थी रोजगार की तलाश में नियोजन कार्यालय की चालू पंजिका पर उपलब्ध थे।

(3) लगभग 5 प्रतिशत है।

पंचायत समिति छीपाबड़ौद की ऑडिट रिपोर्ट

141. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद पंचायत समिति की ऑडिट रिपोर्ट में पंचायत समिति छीपाबड़ौद के बी. डी. ओ. द्वारा जीप के दुरुपयोग के बारे में आपत्ति की गई है ? तथा पंचायत समिति छीपाबड़ौद के ऑफिस ने करीब 1,700 रु० के आस पास की रकम बाकी निकाल कर वसूली का नोटिस दिया है? यदि हां, तो नोटिस कब दिया गया तथा किस किस व्यक्ति के खिलाफ कितनी कितनी रकम की वसूली के लिये नोटिस दिये गये हैं ?

उत्तर

जीप से की गई यात्राओं के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में आक्षेप किये गये हैं तथा आक्षेप के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस देने सम्बन्धी सूचना संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पंचायत समिति किशनगढ़ द्वारा ऋण के रूप में दी गई राशि

142. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति किशनगढ़, जिला अलवर की विभिन्न स्थाई समितियों के सदस्यों ने पंचायत समिति से कई प्रकार के ऋण अपने स्वयं के नाम अथवा रिश्तेदारों अथवा भाई भतीजों के नाम ले रखे हैं ? यदि हां, तो किस किस सदस्य ने कितना कितना और किस किस कार्य के लिये ऋण ले रखा है ?

(2) क्या इन ऋणों का उपयोग जिन उद्देश्यों के लिये यह ऋण दिये गये थे

(श्री गंगासहाय)
उन्हीं के लिये हुआ है ? यदि नहीं हुआ तो उसकी एक मुश्त वसूली क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) स्थाई समिति के सदस्यों स्वयं व उनके रिश्तेदारों द्वारा लिये गये ऋण की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

हड्डी के ठेके की नीलामी

143. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालोर जिले की रानीवाड़ा पचायत समिति द्वारा अपने यहां के एक अप्रेल, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक के हड्डी के ठेके नीलामी का टेन्डर नोटिस कब जारी किया गया और आखरी बोली कब लगाई गई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि आखरी बोली खत्म होने पर चौथाई रकम ठेकेदार से जमा कराली गई थी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि चौथाई रकम जमा कराने के पश्चात नीलाम ठेका बोलने की कार्यवाही दूसरे दिन फिर की गई ? यदि हां, तो उसके इश्तिहार जारी किये थे या नहीं ? आखरी बोली खत्म हुई उस रोज कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे ?

(4) क्या यह सत्य है कि चौथाई रकम जमा होने के पश्चात् सब कार्यवाही नियमों के विरुद्ध हैं और दुबारा नीलाम के लिये वाजिब इश्तिहार निकालना चाहिये था ? यदि ऐसा नहीं किया तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा पंचायत समिति ने सन् 1969-70 के हड्डी के ठेके के नीलाम का नोटिस 19-2-69 को जारी किया एवं अन्तिम बोली दिनांक 14 मार्च, सन् 1969 को लगाई गई।

(2) जी नहीं, चौथाई रकम प्रत्येक दिन की सबसे अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार से जमा कराई गई ताकि ठेकेदार बोली स्वीकार होने पर ठेका लेने को मना न कर सके।

(3) नीलामी के प्रत्येक दिन सबसे अधिक बोली के ठेकेदार से चौथाई रकम ली गई है एवं दूसरे दिन भी नीलाम की कार्यवाही चालू रखी गई। 14-3-69 तक नीलाम चालू रखने के लिए 13-3-69 को ही पंचायत समिति ने नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रकाशित कर दी थी। अन्तिम बोली दिनांक 14-3-69 तक ली गई थी। अन्तिम बोली को स्वीकृति 17-3-69 को स्थाई समिति वित्त एवं कर द्वारा दी गई उस रोज स्थाई समिति के सदस्य श्री मंगलसिंह प्रधान, श्री अर्जुनसिंह पंचायत (धामसिंह) श्री बिरमाराम पंचायत (कोडला) श्री लक्ष्मणराम पंचायत (करवाडा) श्री ऊंकारसिंह (पंचायत कटवाडा) उपस्थित थे।

(4) चौथाई रकम प्रत्येक दिन की अधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार से लो

(पंचायत मंत्री)
गई थी। दिनांक 13 मार्च को ठेके की कम बोली-आने पर 14-3-69 तक नीलाम की अवधि बढ़ाई गई जिसके लिए सूचना पट्ट पर आवश्यक सूचना अंकित कर दी गई थी ठेके के लिये जो शर्तें रखी गई थी उनमें नीलाम की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार पंचायत समिति को था और उसके अनुसार नीलाम की कार्यवाही 14-3-69 तक जारी रखी गई अतः दुबारा नीलाम का नोटिस निकालना आवश्यक नहीं था।

ग्राम पंचायत ललासरी की ऑडिट रिपोर्ट

144. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत ललासरी तहसील डीडवाना, जिला नागौर का किस किस वर्ष का ऑडिट कब कब किया गया और आडिट रिपोर्ट में क्या क्या अनियमितताएं पाई गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ऑडिट रिपोर्टों की अनुपालना के लिए क्या कार्यवाहियां की गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

छीपाबड़ौद में गर्ल्स मिडिल स्कूल का भवन

145. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद कस्बे में गर्ल्स मिडिल स्कूल के लिए आज तक कोई भवन उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी जो व्यवस्था लड़कियों के बिठाने की की है वह लड़कों के पुराने मिडिल स्कूल भवन में है ? यदि हां, तो क्या यह भवन कन्या मिडिल स्कूल को सौंप दिये जाने के राज्य सरकार के आदेश हैं ? यदि हां, तो कब व कौनसी तारीख को यह आदेश जारी किये गये हैं तथा इनकी पालना आज तक क्यों नहीं हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि भवन की तंगी होने की वजह से लड़कियों को खुले में बिठाया जाता है जिसकी वजह से पिछले वर्ष भी तीन लड़कियां बेहोश हो गई थीं ? यदि हां, तो इस वर्ष गर्मी के मौसम में लड़कियों के बैठाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) यह सही है कि वर्तमान व्यवस्थानुसार कन्या मिडिल स्कूल की छात्राओं को लड़कों के पुराने स्कूल भवन में बैठाया जा रहा है जो पूर्णतया पर्याप्त नहीं है। यह भवन पूर्णतया गर्ल्स मिडिल स्कूल को दिये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1967 में एवं निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा फरवरी, 1970 में आज्ञा दी गई थी, किन्तु यह लड़कों का पुराना स्कूल भवन पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से नहीं दिया जाकर छात्राओं को बैठाने की व्यवस्था की गई है क्योंकि इस भवन में एक पारी लड़कों

Page No 40

(शिक्षा मंत्री)

के उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8 के छात्रों की भी चलती है, और एक पारी में कन्या उच्च प्राथमिक शाला चलाई जाती है चूंकि लड़कों के उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन में भी पर्याप्त स्थान नहीं होने से इसी भवन में लड़कों की कक्षा 8 भी चलाई जा रही है, इसलिए इस भवन को स्वतन्त्र रूप से कन्या शाला को दिया जाना सम्भव नहीं हुआ है। लड़कों के इस पुराने भवन में कमरे उपलब्ध न होने से कन्या विद्यालय का समस्त सामान एवं रेकार्ड किराये के भवन में ही रखा हुआ है और उसका किराया नियमित रूप से दिया जा रहा है।

(3) जी हां, भवन की तंगी होने से एक कक्षा की कुछ लड़कियां पेड़ की छाया में बैठाई जाती हैं। विद्यालय निरीक्षणालय के ध्यान में यह नहीं लाया गया है कि गत वर्ष तीन लड़कियां बेहोश हो गई थी जब तक अलग भवन का निर्माण नहीं हो समुचित व्यवस्था सम्भव नहीं है।

ग्राम जैपला में मिडिल स्कूल

146. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा, जिला कोटा के ग्राम जैपला में वहां की ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति छबड़ा ने सर्व सम्मति से मिडिल स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया था।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति छबड़ा से प्रस्ताव हो जाने तथा राज्य सरकार के पास पहुंच जाने के बाद भी सरकार की घोषित नीति के अनुसार वहां मिडिल स्कूल नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब यहां पर कब तक मिडिल स्कूल खोल दिया जावेगा।

उत्तर

(1) यह सही है कि सत्र 69-70 में तहसील छबड़ा के ग्राम जैपला की ग्राम पंचायत व पंचायत समिति, छबड़ा द्वारा इस विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव किया था।

(2) यह सही है कि पंचायत समिति, छबड़ा के प्रस्ताव के बाद सरकार द्वारा जैपला में सरकारी खर्चे पर मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किया गया, कारण गत वर्ष इस जिले में कोई भी मिडिल स्कूल कहीं भी राज्य सरकार ने नहीं खोला था। भविष्य में शिक्षा सुविधाओं के उचित प्रसार के समय इस प्रश्न पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायगा ?

राजर्षि कॉलेज अलवर में स्टूडेन्ट फण्ड से आय

147. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) राजर्षि कॉलेज अलवर में गत तीन वर्षों में स्टूडेण्ट्स फण्ड में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा किस किस मद में हुआ ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या गत तीन वर्षों का ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ऑडिट आपत्तियां हुई हैं ?

Page No 41

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) राजऋषि कॉलेज अलवर में वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में स्टूडेन्ट्स फण्ड में हुई आमदनी तथा खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आमद रुपये	खर्च	
		मद	रकम रुपये
1	2	3	4
1967-68	42,627.72	खेल कूद	22,245.03
		पुस्तकालय	8,434.03
		मैगजीन	5,518.59
		संघ	3,071.86
		आन्तरिक परीक्षण	2,193.12
		साइकिल स्टेण्ड	1,260.13
		विकास कार्य	10,098.80
		योग	52,921.56
1968-69	92,129.58	खेल कूद	28,793.35
		पुस्तकालय	1,059.53
		मैगजीन	75.04
		संघ	4,118.51
		आन्तरिक परीक्षण	1,695.55
		साइकिल स्टेण्ड	2,109.21
		पहचान पत्र	275.50
		मनोरंजन	8.00
		विकास	13,667.39
		योग	51,801.98
1969-70	1,11,818.42	खेल कूद	29,454.29
		पुस्तकालय	7,466.04
		मैगजीन	4,244.23

(शिक्षा मन्त्री)

1	2	3	4
		संघ	3,397.40
		आन्तरिक परीक्षण	1,949.25
		साइकिल स्टेण्ड	1,915.57
		पहचान पत्र	317.70
		मनोरंजन	40.00
		विकास	17,542.39
		योग	66,326.67

(2) जी हां।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को नौकरियां

148. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों व जन जातियों के लोगों को 12½ प्रतिशत के स्थान पर अब 28 प्रतिशत नौकरियां दी जावेंगी ? यदि हां, तो कब और उसके बाद उपरोक्त जातियों के लोगों को कितनी प्रतिशत नौकरियां किस किस जिले में दी गई हैं ? जिलेवार नौकरियों की श्रेणी सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार प्रमोशन व कन्फरमेशन में भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत के आधार से इनकी अलग से सीनियोरिटी लिस्ट बनाकर प्रमोशन व कन्फरमेशन करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

(3) राज्य के हर विभाग सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में किस किस प्रतिशत से अनुसूचित जातियों व जन जातियों के कर्मचारी काम कर रहे हैं ? अलग अलग विभाग वार व नौकरियों की श्रेणी वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) जिन विभागों में घोषित नीति के अनुसार उचित मात्रा में अनुसूचित जातियों व जन जातियों के व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया गया है क्या सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पंचायत समितियों को दी गई धनराशि

149. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा किन किन पंचायत समितियों को मकान, बैल, कुआ आदि सहायता के लिये कितनी कितनी धनराशि दी गई ? गत पांच सालों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें,

(2) क्या यह भी सच है कि किसी भी पंचायत समिति ने विभाग द्वारा दी गई धनराशि उसी काम में खर्च नहीं करके अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई ? यदि हां, तो किसने व कितनी धन राशि किस काम में ?

(3) क्या पंचायत समितियों को दी गई राशि पर विभाग का चैकिंग रहता है या खर्च के बाद यूटिलाइजेशन प्रमाण-पत्र विभाग को भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो कितनी रकम के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंचायत समितियों से नहीं आये ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिन पंचायत समितियों को मकान, बैल, कुआ आदि के लिये जो धनराशि सन् 1965-66 से 1969-70 तक गत पांच वर्षों में हस्तान्तरित की गई, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसी सूचना समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (वित्त लेखा एवं बजट) नियम, 1959 के नियम 36 में पंचायत समितियों को यह अधिकार है कि किसी मद के अन्दर आवंटित की गई धनराशि उस मद के अन्तर्गत आने वाली स्वीकृत परियोजनाओं में से किसी में उपयोग करें, इस प्रकार अनुसूचित जन जाति के मद के अन्तर्गत जो भी परियोजनायें हैं उनमें से किसी पर इस मद में दी गई धनराशि व्यय करने का अधिकार पंचायत समिति को है। इसी प्रकार दूसरी योजनाओं के लिए जो विभाग निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से पंचायत समितियों को लिखता रहता है कि एक कार्य के लिये दी गई धनराशि को दूसरे कार्यों में बिना इस विभाग की स्वीकृति के व्यय नहीं करें।

(3) पंचायत समितियों में इस विभाग का कोई प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ही इस विभाग द्वारा दी गई धनराशि के व्यय की देख-रेख करते हैं। वित्त विभाग के नये आदेश संख्या एफ-24 (40) एफ.ए. एण्ड वन/62, दिनांक 28 अक्टूबर, 1970 के अनुसार 31-3-70 तक आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने की शर्त हटा दी गई है तथा इस दिनांक के बाद आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अब लोकल फन्ड ऑडिट डिपार्टमेन्ट को सीधे पंचायत समितियों से भेजे जाते हैं। अतः यह नहीं बताया जा सकता कि कितनी धनराशि के प्रमाण-पत्र समितियों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

छात्रावास अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत

150. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधीक्षक, समाज कल्याण छात्रावास, रामगंज, अजमेर ने छात्रावास के अन्तर्वासियों को खराब आटे की रोटियां खिलाई थी जिसकी शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों को कर दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त श्री ओमप्रकाश शर्मा ने छात्रों को नाश्ता नहीं दिया किन्तु उसका इन्द्राज रजिस्टर में दिखाया गया जो रेकार्ड में मौजूद है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधीक्षक ने छात्रों को नई ड्रेस के स्थान पर कहीं से बदलवा कर पुरानी ड्रेस पहनने को दी जो छात्रों से प्राप्त करके जिला कार्यालय में सुरक्षित रख दी गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधीक्षक ने छात्रों को दिये जाने वाले बिस्तरों की दरी, चद्दरें, खेस, कम्बल आदि को भी बदल कर नये के स्थान पर फटे पुराने दिये जिनके नमूने छात्रावास के स्टोर में सुरक्षित रखे हुए हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि इन्हीं अधीक्षक महोदय ने प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से 5 रुपये से लेकर 50) रुपये तक अलग से लिये थे जिसकी रिपोर्ट छात्रों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कर दी थी ?

(6) क्या यह भी सही है कि छात्रावास में छात्रों के लिये रहने के लिए स्थान की कमी होने पर भी उक्त अधीक्षक ने रिहायश के कमरों को स्टोर के रूप में काम लेकर रोक रखा था ?

(7) क्या यह भी सही है कि छात्रों को भोजन, वस्त्र (ड्रेस), पुस्तकें आदि समय पर न दिये जाने के कारण छात्रों को कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे उनकी अनुपस्थिति कम होने के कारण परीक्षाओं में न बैठने देने की सम्भावना थी ? यदि ऐसा हुआ तो इसका दोषी कौन होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, कुछ छात्रों के साथ ऐसा हुआ।

(4) जी हां, कुछ छात्रों को दरी के स्थान पर दरी के टुकड़े दिये।

(5) जी हां, एक छात्र से 30 रु० लेने का आरोप लगाया गया था।

(6) जी हां, पर वे कमरे खाली करवा लिये गये थे ?

(7) जी हां, प्रारम्भ में ऐसा था पर बाद में सभी व्यवस्था ठीक कर दी गई थी उक्त अधीक्षक को इस विभाग से सरप्लस घोषित कर दिया गया है और वो अब इस विभाग का कर्मचारी नहीं है।

ग्राम फलासिया का छात्रावास

151. श्री नाथूदास (फलासिया): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर, तहसील फलासिया, ग्राम फलासिया में 14 साल से छात्रावास चल रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त छात्रावास के लिए भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने समय में भवन बन जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि छात्रावास में लड़के टूटे फूटे किराये के मकान में रहते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(3) छात्रावास कच्चे मकानों में है । गांव में और कोई अच्छे मकान उपलब्ध नहीं है ।

स्थगित प्रश्न
(22-3-71)

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

53. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में गत दो सालों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किस किस मद में कितना व्यय हुआ ? सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(2) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत गत दो सालों में कितनी किलोमीटर ग्रेवल एवम् डामर सड़कों का निर्माण हुआ ? आंकड़े सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(3) उक्त जिले में कितना ग्रेवल एवम् मेटल कहां कहां एकत्रित किया हुआ पड़ा है ?

(4) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो सड़कें बनी उनमें से कौन कौन सी कितनी कितनी अधूरी हैं ? जानकारी तालिका में सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

(5) उक्त अधूरी सड़कों को पूरी करने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में गत 2 सालों में अकाल कार्यों के अन्तर्गत जिस जिस मद में जितना जितना व्यय हुआ है, वह निम्न प्रकार है—

नाम मद	वित्तीय वर्ष (लाखों में) 1169-70	1970-71
सार्वजनिक निर्माण	760.40	176.18
सिंचाई विभाग	20.53	2.19
भू-संरक्षण विभाग	18.57	—
वन विभाग	9.55	—
राजस्व विभाग	6.99	—
	816.04	178.37

(अकाल सहायता मंत्री)

(2) उक्त जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत गत 2 सालों में सड़क निर्माण को स्थिति इस प्रकार है।

ग्रेवल रोड	1286.0 किलो मीटर
मेटल रोड	55.50 ,,
डामर रोड	8.9 ,,

(3) सूची (क) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) सूची (ख) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) इनमें से जो सड़कें रूरल वर्क प्रोग्राम या योजना के अन्तर्गत आयेगी, उन्हें पूरा किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

(1) श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विधान सभा को अगले माह भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है जिसमें दिनांक 28-3-71 को एक व्यक्ति की लाश दिल्ली-भरतपुर सड़क पर ग्राम मेऊ और परमदरा के बीच थाना डोग, जिला भरतपुर में पुलिस द्वारा बरामद करने आदि का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त श्री हरजीराम बुरड़क व श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा ने जयपुर (उदयपुर) जिले में स्थित श्री केसरिया जी के मंदिर के·········

श्री दौलतराम सारण : उदयपुर

श्री अध्यक्ष : कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा 29-3-71 से विधान सभा के समक्ष भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस विषय में पहले भी श्री हीराभाई, सदस्य, विधान सभा द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी जिसे सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। निम्नांकित पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के संबंध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है, ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) जिलाधीश, कोटा द्वारा मेसर्स जैन न्यूज एजेन्सी के मालिक को अपने

(श्री अध्यक्ष)

निवास स्थान पर बुलाकर अपमानित किए जाने से संबंधित श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री प्रेमसिंह सिंघवी व श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) छोटी खाटू, जिला नागौर में हरिजनों के मकान तोड़ने, हरिजन महिलाओं की पिटाई करने और उनके जेवर व अन्य सामान लूटने तथा हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विजयसिंह मकराना, श्री मनोहरसिंह मेहता श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री भगवानदास शास्त्री, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री श्रवणलाल, श्री केसरी सिंह हाड़ा, श्री वालसिंह सोढ़ा, श्री परसराम, श्री दिग्विजय सिंह, श्री डूंगाराम राजोरिया, श्री पृथ्वीसिंह चौहान, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, व श्री फतहसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) बीकानेर शहर की कई बस्तियों में नगर विकास न्यास द्वारा हरिजनों के मकानों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री रामप्रसाद बोहरा व श्री मेघराज पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे। अत: मैं इन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जब मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था तो आपने फरमाया था कि उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है तो जब सूचना एकत्रित की जा रही थी तो पहले पता लगाना चाहिए था कि क्या सूचना मिली, जेवर बरामद हुए या नहीं और जिन लोगों ने अपराध किया, उनको सजा मिली या नहीं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अगर आप फरमा देते तो उस दिन भी और तरीके से मुद्दे को उठाते। आपने बताया कि सूचना एकत्रित करके जानकारी दी जाएगी तो हम जानकारी चाहते हैं···

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने हाल ही में त्याग-पत्र देदिया। त्याग-पत्र तो कुलपति महोदय ने स्वीकार किया लेकिन उससे अनिश्चितता की स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय में हो गई। मामला गंम्भीर है क्योंकि दो महीने पहले उपकुलपति ने त्याग-पत्र दे दिया, दो महीने तक गोपनीय रखा और अब जब त्याग-पत्र स्वीकार हो गयाहै उसके बाद वह कन्टीन्यू करेंगे, एपरेंटली त्याग-पत्र स्वीकार होने के बाद····

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अभी मैंने नहीं लिया है, वह जानकारी में है, इसलिए इस पर कोई चर्चा न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन एक बात संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही कल तक चलेगी उसके बाद 10 दिन तक स्थगित हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : कल निर्णय दे दिया जायगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 10 दिन के अन्दर मेजर डिसीशन्स वाइस चांसलर द्वारा ले लिए जायेंगे जो कि आउटगोइंग वाइस चांसलर को नहीं लेने चाहिए। एक बार निर्णय ले लिया तो आने वाले वाइस चांसलर के लिए समस्या पैदा हो जाएगी रास्ता साफ नहीं रहेगा। लास्ट टाइम भी वाइस चांसलर आर० सी० महरोत्रा.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं है सदन के सामने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने रजिस्ट्रार को दो साल का एक्सटेन्शन दे दिया था तो कम से कम मंत्री महोदय का वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जैसा भी निर्णय होगा कल हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अप्रेल महीने में सलेक्शन कमेटी बैठने वाली है। तमाम महत्वपूर्ण नियुक्तियां होने वाली हैं और आने वाले उपकुलपति के लिए कुछ भी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष : सब स्थितियां हैं इसलिए कल निर्णय दे रहा हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, आपने उन पर सूचना चाही है। वैसे मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन एक प्रश्न है कि एक तरह से साम्प्रदायिक दंगे बन सकते हैं इसलिए राज्य सरकार को मजबूर करे कि कल वक्तव्य दे दे। इसी प्रकार विधान सभा वाला मामला है। कल के लिए रखा जाए। भरतपुर में हड़ताल हो रही है और दंगों की संभावना है। साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार की निश्चित नीति की घोषणा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कल निर्णय दे दिया जाएगा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : बीकानेर में यू. आई. टी. हरिजनों के मकान आए दिन......

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे, एक का जवाब नहीं आया। यू. आइ. टी. हरिजनों को बिना नोटिस दिए उनके मकान तुड़वाए....

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आपने व्यवस्था दी वह ठीक है लेकिन हालत मैं आपको बताना चाहता हूं बिना सूचना दिए हरिजनों के मकान तोड़ दिए गए। एक हरिजन बुड्ढा वहां पर था उस पर पट्टियां टूट पड़ने से चोटें आई। एक हरिजन महिला सो रही थी, उसको भी चोटें आई मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है.....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : समाजवाद के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : जिन लोगों ने मध्यावधि चुनाव में वोट नहीं दिए•••

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, चर्चा नहीं होगी।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उन लोगों को बेदखल कर दिया है। मकान तोड़ दिये गए हैं, उनकी हालत अजीब है। आप इस पर पुनः विचार करके, हरिजनों को बसाया जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : छोटीखाटू के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया था, आपने उस संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु दो तीन दिन तक उस पर अपना निर्णय नहीं दिया। मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि इस प्रश्न पर अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और साथ ही इस बात पर रोष भी प्रकट किया है कि हरिजनों के साथ इस प्रकार का अन्याय न होकर और जो लोग इसके दोषी हैं, उनको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी जानकारी होगी कि लोक सभा के माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को गम्भीर माना और वहां भी इस सम्बन्ध में चर्चा उठाई गई। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्य मंत्री और विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य और कांग्रेस दल के माननीय सदस्य, सब घटनास्थल पर गए और उन्होंने स्थिति का अपनी आंखों से अवलोकन किया। इस गम्भीर मसले पर सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है, उसकी जानकारी कम से कम सदन को दिया जाना उचित होगा। आपसे आग्रह है कि आप सरकारी पक्ष से इसमें मुकदमा करने के बाद इसमें जो प्रगति हुई है, उसकी जानकारी दिला दें तो सदन को पुलिस के प्रति और पुलिस प्रशासन के प्रति जो एक प्रकार की धारणा बन रही है कि अभियोगियों के खिलाफ पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती उसका कुछ अंश में निराकरण होगा. इसलिए आप इस सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य दिलायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने गंगानगर की नहरों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसकी जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है कि जिस स्थगन प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार किया है, उस सम्बन्ध में मैं कोई बात कहूं, फिर भी क्योंकि इस प्रश्न पर व्यग्रता है माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में। इसलिए मैंने यद्यपि इसको अस्वीकार किया है, अस्वीकार करने के बाद मैं उस पर वक्तव्य नहीं दिला सकता।

श्री भैरोंसिंह : आपकी असाधारण शक्ति है।

श्री अध्यक्ष : असाधारण शक्ति का समावेश मुझ में माननीय सदस्यों की असाधारण शक्ति पर आधारित है। मैं इतनी जरूर व्यवस्था कर सकता हूं कि जानकारी के सम्बन्ध में कि राज्य सरकार से जो तथ्य माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव में अतिरिक्त उठाए हैं, उनको जानकारी प्राप्त कर ली जाय। अधिक से अधिक मैं माननीय सदस्यों को वह जानकारी सदन में नहीं बल्कि अलग से दे सकता हूं। क्योंकि मुझे भय है कि जब मैंने अपनी व्यवस्था दे दी और उस पर इसी प्रश्न पर विशुद्ध रूप से इसी सदन में विवेचन हो चुका है, वाद-

(श्री अध्यक्ष)

विवाद हो चुका है। एक दो प्रश्नों के आधार पर दूसरा स्थगन प्रस्ताव जो रखा गया उस पर जानकारी देने का अर्थ भी वक्तव्य न दिलाते हुए मैं यदि जानकारी माननीय सदस्यों को दूं तब भी वह चर्चा का विषय हो जाता है सदन में इसलिए मैं असमर्थ हूं उसका वक्तव्य दिलाने के सम्बन्ध में। इतना अवश्य किया जा सकता है कि माननीय सदस्य और उनके साथ में सम्बद्ध मंत्री महोदय बैठ कर उन तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी ले लें और अपने आपको संतुष्ट कर लें। उसके बाद भी अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर मैं विचार कर सकता हूं। याचिका का उपस्थापन।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव केशरियाजी मंदिर के मामले में मैंने और हरजीराम जी ने प्रस्तुत किया है उसकी अनुमति आपने प्रदान नहीं की है। लेकिन काफी अर्से से वहां के कर्मचारी और अंगरक्षकों में बेचैनी हैं। वहां पर हड़ताल हुई है, आन्दोलन हुए हैं, राज्य सरकार को प्रतिवेदन किये हैं और विधान सभा के सामने भूख हड़ताल हो रही है और राज्य सरकार के मुख्य मंत्री से लेकर श्रम मंत्री और सब अधिकारियों से वे निवेदन कर चुके हैं फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आज मंहगाई के जमाने में 55 रु. और 60 रु. के मामूली वेतन पर लोगों को 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती हैं। यह प्रश्न सैंकड़ों लोगों की आजीविका से सम्बन्धित है। आप श्रम मंत्री जी से मिल कर के इस प्रश्न को हल करवाने की कृपा कीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवगत कर दूंगा। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि आजीविका का प्रश्न है और उन्होंने धरणा भी दे रखा है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से बातचीत की। वे भी कोई कदम इसमें उठाना चाहते हैं। अच्छा यही हो कि माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी और मैं बैठ कर इसको देख लें। मैंने उनसे बात की है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मैंने बीकानेर के हरिजनों के सम्बन्ध में चर्चा उठायी थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने चर्चा उठा दी। बहुत कुछ कह दिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हालत यह है कि साढे सात हजार हरिजन परिवारों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

अंकित न हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैंने इस स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों का प्रश्न है। माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं......

श्री अध्यक्ष : आपका भी है क्या ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरी भावना है।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 51

श्री अध्यक्ष : आपका तो स्थगन प्रस्ताव नहीं है। स्थान ग्रहण करिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हरिजनों के मकान ढहा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो नहीं करना चाहता लेकिन अविलम्बनीय लोक महत्व का यह अवश्य है। गरीब आदमियों को बेदखल कर दिया गया उनके मकान गिरा दिये गये हैं और वस्तुस्थिति जो है उसको देखते हुये स्वायत्त शासन मन्त्री उनकी ओर मेहरबानी करके देख सकें और व्यवस्था कर सकें इसकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। यू. आई. टी. योजना बना रही होगी। हरिजन भी इन्सान हैं। उनको भी जमीन देनी चाहिए। उनको वहां से निकाल रहे हैं और आगे जावें और आगे भी यू. आई. टी. पहुंच जाय तो वहां से भी उनको निकाला जाय यह नहीं होना चाहिये। इसलिये उनको वहां ही पट्टे दिये जाय और उन हरिजनों को वहां ही बसाने की व्यवस्था की जाय। राज्य सरकार ने घोषणा की। व्यवस्था में दखल देने का हमारा मत नहीं है लेकिन कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिये। स्वायत्त शासन मन्त्री इतनी व्यवस्था करने के लिए ध्यान नहीं दे सकते तो यहां पर घोषणा करने का क्या मूल्य है। बसे हुये लोगों को उजाड़ रहे हैं और यहां घोषणा करते रहते हैं...

श्री अध्यक्ष : क्या सुझाव देना चाह रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : उनको आवास के लिए जमीन दी जाय, जमीनों के उनको पट्टे दिये जांय और उनके मकान ढहाये गये हैं इसलिए उनको बा इज्जत और बा आबरू उनको बसाया जाय। वे इन्सान हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय दौलतराम जी सारण की भावना के साथ मेरी भी पूर्ण सहानुभूति है। कुछ न कुछ सरकार को निर्णय करना चाहिये। आखिर गरीब लोग हैं उनके लिये कोई न कोई योजना बनाना परम आवश्यक है। सरकार का उत्तर जो कुछ हो वह आ जाय, वरना आश्वासन दिया जाय कि सरकार सहानुभूति पूर्वक शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है उस सन्दर्भ में माननीय मन्त्रीजी से भी, जो तत्संबंधी स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित हैं, बात करके पुनर्विचार करने की कोशिश करूंगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : छः वार चार साल से मैं इस हाउस में स्थगन प्रस्तावों के जरिये से उठा चुका हूं। मुझे जरूर निराशा है। 7½ हजार हरिजन परिवारों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज !

अंकित न हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस प्रश्न पर...

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। मन्त्री महोदय कुछ फरमाना चाहते हैं लेकिन आसन ने इशारा कर दिया इसलिये चुप बैठे हैं। मामला बहुत गम्भीर है।

श्री दौलतराम सारण : उधर आदिवासी और हरिजनों के प्रतिनिधि बैठे हैं और बड़े इस प्रश्न पर बेचैन हैं उधर अमृतलाल जी, भीखाभाई भी बेचैन है। जोशी जी समाज कल्याण मन्त्री हैं उनको कोई बेचैनी नहीं हैं। शिकन भी नहीं है। क्या झूंठी बेचैनी हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं कहना चाहता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : चार साल से इस जुल्म को सहन करते आये हैं लेकिन....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : भाषण अंकित न हो हरिजनों के मामले पर यह बड़ी शोचनीय बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सरकार कहती है यह करेंगे वह करेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री डूंगाराम राजोरिया : कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ! माननीय श्रवणलाल। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं कुछ कह रहा हूं। मैंने यह विश्वास दिलाया है कि मैं इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भावनाएं माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं उस आधार पर और उसके साथ ही सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी लेकर इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने का मैंने विचार किया है। जिसका अर्थ यह है कि माननीय सदस्य जो व्यथा प्रकट कर रहे हैं उसका निराकरण करने में मेरी पूरी सहानुभूति है और इस प्रश्न का समाधान किया जा सके, यह मैं चाहता हूं। अभी माननीय मन्त्री महोदय कह देंगे उसमें तथ्य नहीं निकल पायेगा। समय भी काफी निकल जायगा। शान्त मन से इस पर सोचें और मुझे पुनर्विचार करने का समय दिया जाय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। चार साल से बार बार इस प्रश्न को स्थगन प्रस्ताव के रूप में मैंने उठाया और आप ने इस प्रकार को व्यवस्था दी।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न पर उद्विग्न करना चाहते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं इस पर वॉक आउट करता हूं।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया द्वारा सदन से वाक आउट)

श्री अध्यक्ष : पुनर्विचार के प्रश्न पर भी वाक आउट हो गये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, सेशन कल स्थगित होने जा रहा है। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि इसका जवाब माननीय मन्त्री जी से हमें कल मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी नहीं दे सकता। स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पुनर्विचार करने के लिये कहा है····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : पुनर्विचार का क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : कुछ मतलब नहीं। जो मैंने कहा हैं उस सन्दर्भ में वह मतलब हो सकता है।

श्री श्रवणलाल : हरिजनों का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री श्रवणलाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

माननीय सदस्य। आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। स्थान ग्रहण करें।

कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं।

माननीय श्री श्रवणलाल, स्थान ग्रहण करें।

बहुत कुछ आपने चर्चा कर ली।

श्री दौलतराम सारण : अंकित तो किया नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने तो सुन लिया।

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन। श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (अनुपस्थित)। उपनिवेशन मन्त्री अपने विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

अधिसूचनाएं विलम्ब से रखे जाने पर औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुनः व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करने को मजबूर हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बार मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि राज सरकार की विभिन्न विज्ञप्तियां और अधिसूचनाएं सदन की मेज पर काफी विलम्ब से रखी जाती हैं।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 54

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट इस हाउस में जब चार साल के बाद रखी गई थी तब मैंने मुख्य मन्त्री के विरुद्ध इसके लिये विशेषाधिकार प्रस्ताव की इत्तला दी थी। इस सीमा तक हमें जाना पड़ा। आसन से भी हिदायत दी गई थी कि सरकार अधिसूचनाएं, विज्ञप्तियां या अन्य सूचनाएं सदन में समय के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाया करें। पर खेद है कि इतना विलम्ब हो जाने के पश्चात् यह आज सदन में प्रस्तुत की जा रही हैं। तीसरा अधिवेशन है यह जिसमें यह सूचना प्रस्तुत की जा रही है। इसके लिए सरकार के पास कोई कारण नहीं।

राज सरकार की ओर से खेद प्रकट कर दिया जाता है और मामला फिर भी वहीं रहता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से यह सदन का अपमान है, और सदन के विशेषाधिकारों का भी हनन है और अध्यक्षीय आसन से दी गई आज्ञाओं, आदेशों का भी उल्लंघन है, अवहेलना है। इस पर आप गम्भीरता से विचार करें कि इसके लिये क्या व्यवस्था की जाय। यह निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। पर इस सम्बन्ध में मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रादि के बारे में हम व्यवस्था का प्रश्न उठाते रहें और सरकार पर कभी कोई असर ही न हो उसका तो क्या इस स्थिति से मुकाबला करने के लिये कारगर उपाय या कार्यवाही आसन से नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्षः ऐसा ही प्रश्न माननीय सदस्य ने अभी कुछ दिनों पूर्व भी उठाया था और जिससे एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस सन्दर्भ में उस विलम्ब के कारण राज सरकार की तरफ से खेद भी प्रकट किया गया था। साथ ही मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि ऐसा विलम्ब आगे न हो इसके निराकरण के लिए और इस स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए एक विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की हैं। डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर का। साथ ही मुख्य मन्त्री ने यह भी विश्वास दिलाया था कि ऐसे ही कई प्रश्न जिनमें विलम्ब होता है, देरी होती है, उन पर पुनः विचार करने के लिये अन्य माननीय सदस्यों के साथ, माननीय दल के नेताओं के साथ इस पर विचार करके जो भी सुझाव आवेंगे उनके आधार पर इस विलम्ब को दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा तथा अन्य प्रश्न भी जो माननीय सदस्यों ने उठाये थे उनके सन्दर्भ में भी निराकरण करने का प्रयत्न किया जावेगा।

ऐसी स्थिति में आज तो मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं। यह देरी अब जो चल रही है वह पहली रिपोर्ट जो आई थी उस देरी से संबन्धित है। इसलिये अब मैं यह अपेक्षा राज्य सरकार से करूं कि ऐसे विलम्ब का निराकरण हो सकेगा। कुछ समय देने के बाद विलम्ब नहीं होगा यह आशा करनी चाहिये, पर फिर भी विलम्ब होता है तो मैं उस पर माननीय सदस्यों के विचारों के सन्दर्भ में कोई व्यवस्था दे सकता हूं।

इसलिये मैं अभी तो माननीय मुख्य-मन्त्री ने आश्वासन दिया है इस सन्दर्भ में लेकर चलना चाहता हूं और मैं कई बार इस पर रोष प्रकट कर चुका हूं। अधिक खेद प्रकट करना भी उसके प्रभाव को

(श्री अध्यक्ष)

कम करना है। इसलिये माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति ही पर्याप्त है बिना मेरे कुछ अधिक कहे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। उपनिवेशन मन्त्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय का क्या एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : अब उसको रहने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री तो कुछ कहें। यह खेद प्रकट करने का काम आसन का नहीं है, और न हमने चाहा कि आप खेद प्रकट करें। आप तो सरकार को ताड़ना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : खेद प्रकट करने का मुझ से भी सम्बन्ध नहीं था। एकाध अक्षर इधर हो गया होगा। अब उधर से भी अधिकाधिक खेद प्रकट करें तो वह भी खेद की शृंखला में एक और हो जायगा, उसका प्रभाव कम हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हमें आसन पर विश्वास है। आसन बड़ा प्रभावशाली है। अब वहीं खेद प्रकट करता जावे तो ऐसा विश्वास करके तो नहीं चलना चाहते कि आसन इतना कमजोर हो गया है कि वह आसन से दी गई व्यवस्था को ठीक तरह से पालन नहीं करा सकता।

श्री अध्यक्ष : आसन की कमजोरी तो आप खुद अनुभव कर रहे हैं प्रश्न काल के बाद जब जो स्थिति बनती है। आसन तो तब दबकर बैठा ही रहता है। मैं उस कमजोरी को आगे जैसे जैसे आपके सहयोग से कार्यवाही बढ़ाता हूं, कम होता महसूस करता हूं। तो मेरी कमजोरी माननीय सदस्यों की कमजोरी पर आधारित है। मेरी शक्ति आपकी शक्ति पर आधारित है।

श्री भैरोंसिंह : आप हमें छूट दे दें, हम तो निपट लेंगे।

श्री अध्यक्ष : खेद प्रकट करने का दौर निकल जावे और विश्वास दिया गया है उसकी लिमिटेशन निकल जावे फिर उसके बाद स्पष्टीकरण किया जावे तो प्रभावशाली हो सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : अब तो मुख्य मन्त्री जी भी आ गये हैं। इन्होंने ही सदन को आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : इसको चार पांच दिन ही तो हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री जी ने गत सत्र में भी यह बात कही थी।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर बातचीत कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : हम तो यह जानना चाहते हैं कि सदन की भावनाओं और आसन की ताड़ना का इस सरकार पर असर होता है क्या। हम पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करें। इसका कोई न कोई इलाज करना चाहिये। अब कौनसा तरीका ऐसा है जिससे आपकी ताकत मिल सकती हो कि सरकार को और ज्यादा तगड़े शब्दों में ताड़ना दें। मैं तो

(श्री भैरोंसिंह)
ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार की लीनियेन्सी बरतने से तो सदन की कार्यवाही में इसी तरह से अव्यवस्था फैलती रहेगी । जब खुद सरकार ही आपका कहना नहीं मानती तो बाकी से तो क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वह आसन के प्रति सम्मान और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति अनुशासित रह कर सम्मान प्रकट करें । सरकार को चाहिये कि वह आसन के आदेशों के प्रति जागरूक रहे उसके आदेशों का पूरी तरह से पालन करे ताकि औरों पर इसका प्रभाव पड़े । सरकार स्वयं ही आसन की उपेक्षा करेगी, उसके आदेशों का उल्लंघन करेगी तो सदन का काम आसानी से नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : जहां तक मेरा प्रश्न है । मैं पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं । जब जैसा माननीय मुख्यमन्त्री जी ने निवेदन किया था वे उस पर कदम उठा रहे हैं । तो उसके अब आने वाले प्रश्न ऐसे विलम्ब से आते हैं तो हम उस पर सदन में कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं लेकिन यह जो प्रश्न आया है वह पहले के प्रश्न से संबन्धित है । इसलिये मैं राज्य सरकार को ताड़ना दूं इस प्रश्न पर यह तो मुझे अभी उचित नहीं लगता है । इसके बाद कभी विलम्ब से आता है तो मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं के सन्दर्भ में इस स्थिति में हूं कि राज्य सरकार को कुछ कह सकूं ।

रहा दूसरा सवाल कि माननीय सदस्य दूसरे आधारों पर व्यवधान डालें या न डालें यह तो नियम अपने आप उस पर रोक लगाते हैं और नियमों के अन्तर्गत जो रोक है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये । अध्यक्ष सिर्फ सुझाव देता है । (श्री भैरोंसिंह के कहने पर) माननीय सदस्यों द्वारा पालन करना तो उनका कर्त्तव्य है । पालन करना उनका दायित्व है । मेरा कोई आग्रह नहीं स्वयं ही माननीय सदस्य को जब नियमों की किताब में लिख दिया गया है तो उसका पालन करना चाहिये । अब यहां पालन करें या न करें यह तो माननीय सदस्यों का सदन है, चलता रहेगा । मैं तो अध्यक्ष होने के नाते संकेत दे सकता हूं । कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता । यह पर्याप्त है । आपने जो प्रश्न यहां पर उठाये हैं उनका उत्तर मेरे से आपको यहां अपेक्षित है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो चेम्बर में ही कहते तो अधिक उपयुक्त होता ।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर से दांता महोदय बड़े परेशान होते हैं । इसलिये मैं चेम्बर में दर्शन नहीं लेता हूं । आज जो व्यवस्थाएं दी हैं तो कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है यही कहा है कि बात कर ली जायेगी । यह पर्याप्त होगा । राज्य सरकार भी आपकी व्यग्रता को समझ रही है और उपाय ढूंढ रही है । विधायी कार्य ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसी संबन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं और यह याद दिलाना चाहता हूं । राज्य सरकार ने कई बार इस सदन में जिक्र किया है, और कुछ मुद्दों पर आश्वासन दिया है कई रिपोर्ट पेश करने और इन्क्वायरी करने का आश्वासन दिया गया है । उन प्रश्नों पर जांच होती है या नहीं होती है और जो मुद्दे उठाये गये हैं उस पर कार्यवाही करने का जो आश्वासन सदन में दिया गया था उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है

Page No 57

(श्री दौलतराम सारण)
माननीय विरोधी पक्ष के मुखियाओं के साथ बातचीत में जांच करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलता है यह होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह अलहदा प्रश्न है। अभी जो प्रश्न चल रहा है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिये हैं इस सदन के अन्दर उसकी सदन को जानकारी दी जाये।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट।

श्री दामोदर लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पहले अधिसूचनाओं के बारे में। श्री शोभाराम जी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाये। टाइम खराब होगा।

श्री अध्यक्ष : इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री शोभाराम : यह जो अधिसूचनाएं हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले आप खेद प्रकट करें। यह तीसरा अधिवेशन है और आपकी अधिसूचनाएं मई की हैं। मई का अधिवेशन हो गया, अक्टूबर-नवम्बर में दूसरा अधिवेशन हो गया और यह तीसरा अधिवेशन चल रहा है जिसके भी 15-20 दिन हो गये हैं। और आगे अधिवेशन चलेगा या नहीं यह नहीं कह सकते हैं। यह अधिवेशन भी कल स्थगित हो रहा है। दिल्ली में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है सुखाड़िया साहब को वहां पर जाना है। अब आगे अधिवेशन होना ही नहीं है। दो महीने के लिये बजट पास कर लिया गया है। यह तो नौकरी के आखरी दिन हैं आपके।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि इनको विलम्ब से रखा जा रहा है उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं। दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि आरजी काश्तकारों को परमानेंट तौर पर जमीन का एलॉटमेंट होने के लिये एक कमेटी का निर्माण हुआ था उसमें समय समय पर चेन्जेज किये हैं। हमने यह उचित समझा कि जब तक यह चेन्जेज नहीं होते तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। यह ठीक है कि ये अधिसूचनाएं समय पर सदन में पेश की जा सकती थीं। परमानेन्ट एलॉटमेंट के बारे में जो कमेटी बनी वह रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी और उनकी रिपोर्ट नवम्बर, दिसम्बर में प्राप्त हुई है हमने इसमें यह सोचा है कि कोई रूल्स में इनमें कोई कन्ट्राडिक्शन न रहे जो टेम्परेरी कल्टीवेटर हैं उनको परमानेन्ट एलॉटमेंट रूल्स में रखा जाये। इस ख्याल से यह देरी हुई है और इस सम्बन्ध में जो अधिसूचनाएं, विज्ञप्ति जारी हुई हैं उसको सदन की मेज पर जल्दी रखा जा सकता था और जिसके लिये मैंने शुरू में कहा है कि मुझे इस बात का खेद है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री शोभाराम)

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1) रेवे./कोलो./70, दिनांक 7 मई, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टे) संशोधन शर्तें, 1970 का विवरण जारी किया गया है ।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1)/रेवे./कालो./70, दिनांक 2 जून, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टें) (द्वितीय संशोधन) शर्तें, 1970 का विवरण जारी किया गया है ।

(3) अधिसूचना संख्या जी. एस. आर./158, दिनांक 5 जून, 1970 राजस्थान कोलोनाइजेशन (भाखड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेण्ड्स एलॉटमेंट एण्ड सेल) रूल्स, 1955 में संशोधन किये गये हैं ।

(4) अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 160, दिनांक 5 जून, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर भूमि स्थायी आवंटन) नियम, 1956 में और संशोधन किये गये हैं ।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1) रेवे/कोलो./70, दिनांक 20 जून, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टे) तृतीय संशोधन शर्तें, 1970 का विवरण जारी किया गया है ।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1) रेवे./कोलो./70, दिनांक 1 अगस्त, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टे) शर्तें, 1955 में और संशोधन किये गये हैं ।

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (ए) (3) रेवे /कोलो./70, दिनांक 13 अगस्त, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीसा क्षेत्र में गैर दखलकार आसामियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्तें, 1970 का विवरण जारी किया गया है ।

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1) रेवे./कोलो./70, दिनांक 10 अगस्त, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टे) शर्तें, 1955 में और संशोधन किया गया है ।

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1) रेवे./कोल./70, दिनांक 26 सितम्बर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी खेती के पट्टे) शर्तें, 1955 में और संशोधन किये गये हैं ।

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 24 (15) रेवे./कोलो./70, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 जिसके द्वारा पूर्व अधिसूचना संख्या एफ. 3 (210) रेवे /कोलो./67, दिनांक 7 अक्टूबर, 1967 में आंशिक रूपान्तर किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : They may be treated as placed·

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, कार्य सलाहकार समिति के 33 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार दिनांक 29 मार्च, 1971 को हुई ।

समिति अपने 32 वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि दिनांक 30 व 31 मार्च, 1971 को लिये जाने वाले कार्य के लिये

(श्री रामकिशोर व्यास)

समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे:—

मंगलवार दिनांक 30 मार्च, 71	अनुपूरक अनुदानों की मांगों (द्वितीय संग्रह) 1970-71 पर मतदान।
बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 71	अनुपूरक अनुदानों की मांगों (द्वितीय संग्रह) 1970-71 से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण।

नोट:—(1) बुधवार दिनांक 31 मार्च, 1971 को सदन की बैठक प्रातः 8 बजे से होगी।

(2) उपरोक्त कार्य के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 33 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है"।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अगली बैठक का कोई समय तय नहीं किया गया है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह तो पहले ही तय कर लिया था कि 30/31 का बिजनेस क्या होगा 31 मार्च के बाद अगली बैठक कब होगी और कौनसी तारीख तय की है ? आखिर इसकी बिजनेस कब तय होगी ? यह नहीं बताया गया है। इस सदन ने बजट पर वोट ऑन अकाउन्ट इस आधार पर पास किया है कि माननीय सदस्यों को बजट पर पूरी बहस करने का मौका मिलेगा। कल भी वित्त मन्त्री महोदय ने इस सदन में यह इजहार किया था कि सारे बजट पर बहस करने का मौका मिलेगा और आज यह सारा मामला अधरझूल में है। दो माह का खर्चा आपने ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका के संवाददाता को हमारे मुख्य मन्त्री ने गोलमाल जवाब दिया है। जब उसने पूछा कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं हमारे मुख्य मन्त्री ने उसका गोलमाल जवाब दिया है और सारे मामले को अधरझूल में छोड़ दिया है। मैं इस सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण चाहूंगा और जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में गृह मन्त्री जी ने पेश किया है उससे भी इस आशंका की पुष्टि होती है कि यह सदन दुबारा नहीं मिलने वाला है और इस सदन की बैठक नहीं होगी। सरकार को साफ तौर से इस सदन में घोषणा करनी चाहिये। मुख्य मन्त्री को स्पष्ट तौर से बताना चाहिये कि हाउस की मीटिंग अब कब होगी और मध्यावधि चुनाव करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, इस पर आपने क्या निर्णय लिया है, उसकी स्पष्ट घोषणा यहां पर की जानी चाहिये। मुख्य मंत्री ने पहले यह कहा था कि 12 अप्रेल को सदन की बैठक दुबारा होगी परन्तु क्या उनकी मध्यावधि चुनाव कराने का इरादा है ? मैंने इस सम्बन्ध में आज एक प्रस्ताव की सूचना भी दी है या तो आप उस पर तैयारी कर लेंगे, दिल्ली टेलीफोन कर लें और कोई आदेश हो तो ले लें। कल तक इसका जवाब दे दीजिये कि निश्चित तौर से हाउस एडजोर्न कर रहे हैं या हाउस दुबारा मीट होगी। जो स्थिति है सरकार उसका स्पष्टीकरण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सदन की बैठक 12 तारीख को जो तय की गई है, उसी तारीख को दुबारा मिलने वाला है। इसमें पता नहीं क्यों नहीं जिक्र आया 12 तारीख को सदन की बैठक वापिस होगी। यह भी मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपने यह पूछा है कि मध्यावधि चुनाव के बारे में हमने क्या निर्णय लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व कई माननीय सदस्य : यह तो इन्दिराजी की भाषा है। गोलमाल जवाब है। इन्दिराजी ने भी लोक सभा में मध्यावधि चुनावों के एक दिन पहले यही कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तक तो कराने की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा तो नहीं है जब लोक सभा स्थगित हुई थी तब इन्दिराजी भी इसी भाषा में बोली थी।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट पढ़ी है यह और अमेन्डमेंट के तौर पर जो संशोधन है उसके अनुसार 12 अप्रेल को सदन की बैठक होगी। उसमें आर्डिनेन्स लिये जायेंगे और उसके बाद बिल और इसके बाद 12 को आगे के कार्यक्रम के लिये समिति तय करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति की यथा संशोधित रिपोर्ट के अनुसार सदन की कार्यवाही कल प्रातः 8 बजे आरम्भ होगी और उसमें आर्डिनेन्स पास किये जायेंगे—इस संशोधन के संदर्भ में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

रिपोर्ट स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को वापिस लिये जाने सम्बन्धी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह वापिस क्यों लिया जा रहा है?

श्री बी० एन० जोशी : मोर कम्प्री-हैन्सिव बिल सरकार लाने का इरादा रखती है इसलिये वापिस लिया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं—

श्री बी० एन० जोशी : I am in possession of the floor of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are in possession of the floor of the House or of your child-ren ?

श्री बी० एन० जोशी : I am in possession of the floor of the House...........

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री बी० एन० जोशी : माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है जो सूचना विधेयक

(श्री बी. एन. जोशी)

को वापिस लेने की दी है वह क्यों वापिस लिया जा रहा है मैंने निवेदन किया उससे ज्यादा कम्प्रीहैन्सिव बिल सरकार लाना चाहती है इसलिये इसको वापिस लेने का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कम्प्रीहैन्सिव बिल कब तक तैयार हो जायगा और सदन में कब प्रस्तुत हो जायगा ?

श्री बी० एन० जोशी : इसकी तारीख........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : महीना, साल।

श्री बी० एन० जोशी : ज्यादा से ज्यादा दो महीने।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव रखिये।

श्री बी. एन. जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1970 को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बी० एन० जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय हां कहने में हाथ थोड़े ही उठाना पड़ता है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, 1970 का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : मांगे प्रस्तुत की जाय।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,31,99,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ये सब मांगे एक साथ प्रस्तुत करा दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये फिर टिकेंगे नहीं।

श्री भीखा भाई (जन स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,14,66,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

मांग संख्या 28, 37, 39, 15, 9, 13, व 18 पर प्रस्तुत किए गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : (1) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता में विपुल धनराशि का अपव्यय हुआ, दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के अन्तर्गत हुए खर्चों के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)

मांग संख्या 15

(2) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार में बर्ती जा रही असमानता को दूर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 18

(3) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे कृषकों को सुविधा तथा राहत देने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 28

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : (4) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता मद के अन्तर्गत दिये गए धन का, पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिए)

(5) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में रहे अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(6) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)

(7) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाये गये नलकूपों का उपयोग नहीं कर सकने पर चर्चा के लिये)

(8) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों को अभी तक मजदूरी का पूर्ण भुगतान नहीं होने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 39

(9) मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा उत्पादित चीनी के वितरण में की गई ढील के कारण हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये)

(10) मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु०

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में लगाई गई पूंजी के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 15

(11) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला शिक्षणालय, नागौर द्वारा अस्थायी अध्यापकों के स्थिरीकरण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)

(12) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में नियुक्त अध्यापकों का शिक्षा विभाग में पदोन्नत नहीं करने पर चर्चा के लिये)

(13) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सींघाना, तहसील डीडवाना के माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये)

(14) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा सत्र के बीच माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के भारी संख्या में तबादले करने पर चर्चा के लिए)

(15) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100रु० कम कर दिया जाय (श्रीमती लाडमनोहर बाल मन्दिर, लाडनूं को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि नहीं करने पर चर्चा के लिये)

(16) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जे०बी० हायर सैकेण्डरी स्कूल, लाडनूं के अध्यापकों द्वारा की गई अपीलों पर सरकार द्वारा निर्णय नहीं करने पर चर्चा के लिये)

(17) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टीपर्पज हायर सैकेण्डरी स्कूल, लाडनूं का सरकार द्वारा कम्पलीट चार्ज नहीं लेने पर चर्चा के लिए)

(18) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जे. बी. हायर सैकेण्डरी स्कूल, लाडनूं की ऑडिट रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)

(19) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं, सुजानगढ़ जसवन्तगढ़, के बीच कॉलेज में कक्षाएं चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)

(20) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जे. बी. हायर सैकेण्डरी स्कूल, लाडनूं द्वारा चैरिटी फण्ड की राशि का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)

(21) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला

(श्री हरजीराम बुरड़क)
शिक्षणालय, नागौर के कार्यालय में अनुदान शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

(22) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-संचालक, जोधपुर के कार्यालय में विचाराधीन अध्यापकों की अपीलों पर निर्णय नहीं होने पर चर्चा के लिये)

(23) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला शिक्षणालय, नागौर के कार्यालय में लम्बे समय तक एक ही जगह पर रहने वाले कर्मचारियों के कारण फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 9

(24) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरप्लस कर्मचारियों को समय पर दूसरी जगह नियुक्त नहीं करने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)

(25) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपीलीय अधिकारियों द्वारा समय पर अपीलों का फैसला नहीं करने पर चर्चा के लिये)

(26) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाये गये आवासगृहों के एलॉटमेन्ट में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 18

(27) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के भू-संरक्षण कार्यों में किये गये घोटालों में जांच के बाद कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)

(28) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज खरीदने के लिए दी गई तकावियों का दुरुपयोग एवं दोषयुक्त बीज खरीदने पर चर्चा के लिये)

(29) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं के खिलाफ की गई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 28

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : (30) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मांग संख्या 37,

(31) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अव्यवस्था रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

(32) मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शुगर मिल्स के विकास में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

(33) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा नये स्कूल खोलने में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(34) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

(35) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की उदासीन नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 28

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : (36) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बराबर 3 साल तक अकाल पड़ जाने पर भी सरकार द्वारा लगान में छूट नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(37) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में पलू से नोहर सड़क का निर्माण कार्य अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत हुआ और वह अधूरी बनी। उसे पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(38) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में हुये भारी भ्रष्टाचारों की जांच कराने पर चर्चा के लिये)।

(39) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत तहसील नोहर में पीने के पानी के कुए खुदाने में भारी अनियमितताएं बरती गई व मजदूरों को आज तक पेमेन्ट नहीं दिया गया इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 37

(40) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (गन्दी बस्तियों में

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कार्य न होने पर के बारे में नीति का अननुमोदन)।

(41) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम घड्सा, तहसील नोहर में जल प्रदाय योजना पूर्ण हो जाने पर भी लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(42) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कस्बा नोहर में पेय जल समस्या के समाधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(43) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत नोहर, सूरतगढ़ तथा भादरा की ग्रामीण जनता के लिये पेयजल की व्यवस्था नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

(44) मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर में शुगर फैक्ट्री से काश्तकारों के नुकसान पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

(45) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर के बालिका उच्च विद्यालय में साइन्स की पढ़ाई का इन्तजाम नहीं होने से स्त्री शिक्षा में भारी रुकावट पैदा हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(46) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में कॉलेज नहीं खोलने से जनता में भारी असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

(47) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गांव गंधेली व ललाना तहसील नोहर में मिडिल स्कूल नहीं होने से जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(48) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर में हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोले जाने से जनता को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(49) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव बदविराना की जनता द्वारा 5,000 रु. 2 साल पहले जमा कराये थे, लेकिन आज तक मिडिल स्कूल की स्वीकृति नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(50) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर व सूरतगढ़ में काफी ग्रामों में आज भी

(श्री रामचन्द्र आर्य)
प्राथमिक पाठशालायें नहीं खोली गई हैं इस पर चर्चा के लिये.)

मांग संख्या 9

(51) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा सीधा दखल देने से प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार व असंतोष उत्पन्न हो गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

(52) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में घोर भ्रष्टाचार के कारण जनता बहुत दुखी है, इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 13

(53) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का भारी दुरुपयोग किया जाता है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

(54) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कृषि उत्पादन में कृषकों को उचित मार्ग दर्शन देने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

(55) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को कृषि उत्थान हेतु आवश्यक उपकरण मुहैया नहीं कये जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

(56) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को घटिया बीज दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(57) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कॉलेज गंगानगर में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर):
(58) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 37

(59) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य मांग के अन्तर्गत मेन्स सुधार कार्य पर फिजूलखर्ची पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

(60) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन न होने से शिक्षा से जो जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

(61) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग, में

(राजवी श्री रूपसिंह)
से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 13

(62) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विविध विभाग शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यों की शिथिलताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

(63) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि क्षेत्र में कृषि उन्नति हेतु कृषि विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : (64) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लथूर, बन्सोली, ओवण की सड़क व लकंड़ेश्वर महादेव की सड़क व नगर नेनवा इन्द्रगढ़ की सड़कों को अधूरा छोड़ने के बारे में चर्चा के लिये)।

(65) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1966 में जो कार्य शुरू किया वह हिन्डोली तहसील में अकाल की छाया मुतवातिर चार वर्षों तक रहने पर भी अधूरे पड़े रहने के बारे में चर्चा के लिये)।

(66) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुढ़ा गोकुलपुरा बांध का कार्य पांच वर्षों से बराबर चला कर अब काम बन्द करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 37

(67) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डोली ग्राम जल प्रदाय योजना द्वारा रेगरों के मोहल्ले में कनेक्शन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

(68) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की दुर्व्यवस्था तथा गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान देने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 9

(69) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के मंत्रिमण्डल पर होने वाले खर्चे में भारी कटौती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(70) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुख्य मंत्री द्वारा स्वेच्छानुदान के अन्तर्गत जो

Page No 69

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
राशि व्यय की जाती है, उस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 28

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):
(71) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष कार्यों के अन्तर्गत हुए सड़क निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 15

(72) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 9

(73) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त ढिलाई पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 18

(74) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों में अपेक्षित उन्नति न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 28

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):
(75) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष का मुकाबला करने के लिये स्थायी योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 37

(76) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 91—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं से पुनर्ग्रहण की गई जलप्रदाय योजनाओं के आर्थिक आधार व उनके रिटर्न पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 39

(77) मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (शुगर मिल्स लगाने एवं उनके विकास में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)

मांग संख्या 15

(78) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के सामाजीकरण की असफलता पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 9

(79) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में वांछित प्रगति नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 28

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा):
(80) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—

(श्री रामनारायण चौधरी)
दुर्मिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं तहसील के अभावग्रस्त गांवों से लगान वसूली किये जाने पर चर्चा के लिये)

(81) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, मेहूरादासी, जिला झुंझुनूं के ग्राम बाजीसर में अकाल होने पर भी उसे अकाल ग्रस्त घोषित न किये जाने पर चर्चा के लिये)

(82) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलसीसर की वाटर सप्लाई स्कीम त्रुटिपूर्ण होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

(83) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलसीसर पंचायत समिति के खारे पानी के गांवों में जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

(84) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94--जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के मैन्स का सुधार ठीक प्रकार से नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)

(85) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94— जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तूंगा (झुन्झुनू) के लिए जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

(86) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महनसर (झुन्झुनूं) में पाइप लाइन डालकर पानी सप्लाई की आवश्यता पर चर्चा के लिए)

(87) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (बिसाऊ वाटर सप्लाई स्कीम को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 15

(88) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झूनूं जिले के एस० टी० सी० ट्रेण्ड युवकों की शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 28

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :
(89) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)

(90) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कमकर दिया जाय (झालावाड़ एवम बूंदी जिले में अकाल राहत

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
कार्यों में हुए भ्रष्टाचार एवं बरती गई उपेक्षापूर्ण नीति पर चर्चा के लिए)

(91) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार, गबन व घोटालों पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 37

(92) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका नल योजना में चल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)

(93) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगरपालिका क्षेत्र में मैन्स सुधार में फैल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 39

(94) मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल्ज में चल रहे घोटालों व भ्रष्टाचार आदि पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 15

(95) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)

(96) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफेसर को अनियमित रूप से पदोन्नत कर विभागाध्यक्ष बनाने एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(97) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28— शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बारां पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों लेवा, खेडली केशो, विजयपुरा आदि में प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

(98) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अंता पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर एवं सोरसन आदि में मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)

(99) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नियुक्तियों एवं स्थानान्तरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार व किये जा रहे पक्षपातों पर चर्चा के लिये)

(100) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के प्राईमरी स्कूल्स की दुर्दशा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
व पट्टियों के अभाव एवं उनमें फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 9

(101) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों को वांछित अंतरिम सहायता नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(102) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों द्वारा टी. ए. डी. ए. आदि के नाम पर हो रहे धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)

(103) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुख्यमंत्री द्वारा स्वेच्छानुदान की रकम का राजनैतिक आधार पर एवं पक्षपातपूर्ण तरीकों से दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए)

(104) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों की संख्या कम किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

(105) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)

(106) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आइ. ए. एस. व आइ. पी. एस. आदि अधिकारियों द्वारा की जा रही नादिरशाही व धांधलियों आदि पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 13

(107) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तौल तथा माप विभाग के इन्स्पेक्टर्स द्वारा गांवों के छोटे 2 दुकानदारों के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)

(108) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऑटोमोबाइल विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार एवं तानाशाही पर चर्चा के लिये)

(109) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीमा विभाग के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार व पदों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)

(110) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग के एक उप-निदेशक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व धांधलियों पर चर्चा के लिये)

(111) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

(112) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग, बारां के इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार व उनकी धांधलियों पर चर्चा के लिये)

(113) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग के कोटा जिला कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिये)

(114) मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग में हो रहे गबन, घोटालों एवं नियुक्तियों में धांधलियों पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 18

(115) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर युनिवर्सिटी में धन का किया जाने वाला दुरुपयोग व भ्रष्टाचार तथा पदोन्नति एवं नियुक्तियों में चल रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)

(116) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास में चल रहा भ्रष्टाचार, गबन व घोटालों पर चर्चा के लिये)

(117) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां-अन्ता क्षेत्र के किसानों की खड़ी फसलों में रोग लग जाने से कृषि विकास में बाधा पहुंच रही है और इसमें विभागाधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 28

(118) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय ग्रामीण जनता को पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा पियाई के पैसे मंजूर करने के बावजूद भी आज तक पैसे देने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)

(119) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय अकाल राहत कैम्पों पर मजदूरों को पानी पिलाने वाले व्यक्तियों को आज तक मजदूरी चुकाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)

(120) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल पीड़ित जनता को समय पर व सही ढंग से अभी तक पूरा लाभ नहीं पहुंचाया गया इस पर चर्चा के लिए)

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(121) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के दौरान वृद्धों व अपंग लोगों को सरकार सहायता देने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)

(122) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जसरासर, तहसील नोखा में अकाल के दौरान पानी की पियाई हेतु राशियां मंजूर करने पर भी उसके देने में पक्षपात व सौतेला व्यवहार बरता गया, इस पर चर्चा के लिये)

(123) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के दौरान ग्राम साधासर, तहसील नोखा में अकाल पीड़ित जनता को पानी की पियाई की धनराशि देने के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)

(124) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय ग्राम लालमदेसर (छोटा), तहसील नोखा, को पीने के पानी के पियाई के रुपये मंजूर करने बाद भी अकाल पीड़ित जनता को आज तक भुगतान करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)

(125) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय ग्राम उतमामदेसर, तहसील नोखा की जनता को पीने के पानी की पियाई के रूप में धनराशि मंजूर करके ठेकेदार को आज तक भुगतान करने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)

(126) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय ग्राम लालमदेसर (बड़ा), तहसील नोखा को पियाई के पैसे देने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)

(127) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के वक्त ग्राम कूचोर, तहसील नोखा को पियाई का पूरा भुगतान आज तक करने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये)

(128) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कैम्पों पर लगे मजदूरों को मजदूरी का बकाया भुगतान करने में सरकार आज तक असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 37

(129) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर की गन्दी बस्तियों में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कार्य न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(130) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दिया जाय (बीकानेर जिले में जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत जनता को शुद्ध पानी की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(131) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के कस्बा नोखा में जलप्रदाय योजना चलाने में–सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): (132) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64– दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 37

(133) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना में योजनानुसार कार्य न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

(134) मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (बड़े उद्योग लगाने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 15

(135) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन न करने से ग्रेज्युएट भयंकर बेकारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

(136) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक तन्त्र में फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

(137) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों के साथ अच्छी खाद सप्लाई करने की आवश्यकता पर ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): (138) मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में ली गई काश्त शुदा भूमि का मुआवजा न देने पर चर्चा के लिये)।

(139) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में अकाल सहायता कार्यों पर मजदूरी न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री दिग्विजयसिंह)

मांग संख्या 37

(140) मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय योजना पूर्ण न कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

(141) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा खास में स्कूलों में अधिकांशतः स्थानीय अध्यापक नियुक्त होने से वे ठीक प्रकार से पढ़ाने में असमर्थ हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

(142) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा स्थित मिडिल एवं हाई स्कूल के अध्यापकों द्वारा मध्यावधि चुनाव में खुले रूप में पार्टी प्रचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 9

(143) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रि-मन्डल के आकार को छोटा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(144) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(145) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्य कार्य में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

(146) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में गिरती हुई प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन) : (147) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 18

(148) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : (149) मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के हजारों गांव आज भी प्राईमरी शिक्षा से वंचित हैं तथा शिक्षा का स्तर दिन-दिन गिरता जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री हंसराज आर्य)

मांग संख्या 9

(150) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, बरती जा रही अनियमितताओं एवं ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(151) मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रिमंडल के आकार को छोटा किये जाने की आवश्यकता तथा मंत्रियों द्वारा बड़ी गाड़ियों के प्रयोग पर पाबन्दी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

(152) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत किस्म का बीज न मिलने से कृषकों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, 1970 पर विचार

श्री अध्यक्ष : अब मैं दूसरी डिमान्ड्स रखने की आज्ञा नहीं प्रदान करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और क्या बची है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मणसिंह !

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मूव नहीं करना चाहता हूं। कल बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिमान्ड क्या दो ही पेश की गई हैं।

श्री अध्यक्ष : एक एक डिमान्ड को अलग अलग लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले दुर्भिक्ष वाला......

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना......

श्री अध्यक्ष : अब आपको बाद में समय दे दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है। उन पर मैं कुछ इस सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। तहसील नोहर में काफी गांवों में तीन साल से बराबर अकाल पड़ने पर भी उसमें माल गुजारी की छूट नहीं दी गई इसका कारण यह है कि वहां के अधिकारियों ने, गिरदावरों ने इस सरकार के इशारे पर एक साल की गिरदावरी न करने के कारण उन गांवों को एक साल की छूट मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। इसकी जांच कराई जाय कि वाकई उन गांवों में अकाल था या नहीं यदि अकाल था तो उन लोगों को, उन काश्तकारों को भी वह सहूलियत मिलनी चाहिये कि जिनको कानून के मुताबिक तीन साल बराबर अकाल पड़ने पर एक साल की लैन्ड रेवेन्यू में छूट मिलनी चाहिये—यह मेरा कटौती प्रस्ताव है।

Page No 78

(श्री रामचन्द्र आर्य)

दूसरा पल्लू नोहर जाने वाली रोड है उसमें पल्लू से काफी दूर तक अकाल सहायता कार्यों पर काफी रकम खर्च की गई है और वह सड़क करीब आधी से ज्यादा बन गई है इसलिये उसको पूरा करवाया जाय नहीं तो क्या होगा कि जितना रुपया लगा है—अकाल सहायता कार्यों पर वह लाखों रुपया वैसे ही चला जायगा। काफी रुपया इस सड़क पर खर्च किया गया है लेकिन इस सरकार ने इसे अपनी योजना में न लेकर अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत ही काम चलाया जाता है 20 साल से बराबर उस सड़क पर पैसा खर्च किया जाता है।

(12.44 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस सड़क को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को सड़क को अपने हाथ में लेकर और इन योजनाओं में रखकर पूरा करवाया जाय ताकि राज्य सरकार से जो खर्च किया गया है वह रुपया काम में आ जाय नहीं तो सारा रुपया बेकार जायगा।

तीसरा प्रस्ताव मेरा अकाल राहत कार्यों में हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। कई मर्तबा विधान सभा में भी सवाल उठाया गया कि फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये हैं उस सम्बन्ध में सरकार की पूरी उदासीनता है और सम्बन्धित मंत्री इस सम्बन्ध में कोई उत्तर न देकर टालमटोल करने की चेष्टा में रहते हैं। मैं यह मांग करता हूं अकाल राहत कार्यों में जितने घोटाले हुये हैं, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितने फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये हैं उन सबके लिये कमीशन नियुक्त किया जाकर जांच करवाई जाय क्योंकि अकाल राहत कार्यों में जो घोटाले हुये हैं उनमें सत्ताधारी लोगों का हाथ है। इस वजह से यहां का कोई भी अधिकारी मुकम्मिल जांच नहीं कर सकता है इसलिए निष्पक्ष जांच करवाने के लिये कमीशन नियुक्त किया जाय और जो तथ्य सामने आयें उस आधार पर दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिये तब तो यह समझेंगे कि अकाल राहत कार्यों में जो बेईमानी की गई है और जिन्होंने रुपया अपनी जेबों में डाल लिया है उनको सजा मिलेगी यदि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती है तो मैं सीधा आरोप लगाता हूं इन लोगों की सरासर बेईमानी है और इस तरह से जनता के धन पर डाका डाला गया है और अकाल राहत पर जितना रुपया खर्च हुआ है उसमें से आधा रुपया इन लोगों ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने घरों में ले जाने में सफल हुये है और इस प्रकार से अकाल राहत कार्यों के धन पर डाका डाला है। उन्होंने भयंकर चोरी की है तो मेरा यह निवेदन है आपकी मार्फत से कि यह कोई मामूली बात नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर अकाल राहत कार्य चलें और इस तरह से अकाल राहत कार्यों में घोटाले हों, फर्जी मस्टर रोल बने और शिकायत होने पर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे तो यह एक गम्भीर चुनौती है और हो सकता है कि इस राजस्थान सरकार को यह वहम हो कि हम पावर में हैं और इस बात को दबा देंगे लेकिन यह नहीं दबाई जा सकती। लोगों को पता है कि किस तरह से रुपये खाये गये हैं और किस तरह से इस धन का दुरुपयोग किया गया है। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप इसको दबा दें

(श्री रामचन्द्र आर्य)
लेकिन समय आने पर यह तमाम आरोप आपके ऊपर लगेंगे इसलिये आपको चाहिए और सरकार के मंत्रियों को भी चाहिए कि वह मुख्य मंत्री जी से कहें या लिखकर दें ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके और आप अपने पल्लू को साफ कर सकें। अगर नहीं करते हैं तो हम यही समझेंगे कि इसमें कुछ पानी तो आपका भी मरा है। यदि आप अपने आपको इतना ईमानदार समझते हैं और यह समझते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है तो फिर जांच कराने से भी गुरेज नहीं करनी चाहिए और यह कह देना कि हम जांच करवा रहे हैं तो यह मामूली जांच से मामले आप नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अकाल राहत कार्यों के घोटलों में बड़े-बड़े आदमियों के हाथ हैं और उनके द्वारा स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। आज हम जहां जाते हैं, सुनते हैं और अकाल राहत कार्यों के दौरान में जिन लोगों ने रकमें हड़पी उन्होंने राजस्थान केनाल में जाकर जमीनें मोल ली तो वह रुपया उनके पास कहां से आया? जिन लोगों के पास एक पैसा नहीं था आज भी आप उनके मकानों को देखें इतने बढ़िया मकान बनाये हैं और किस तरह से उन लोगों ने जमीनें खरीदी यदि इसकी तह में जाया जाये तो बहुत बड़े घोटाले सामने आयेंगे। और आप इसकी जांच नहीं करवाते हैं तो रुपया लोग खा गये। आने वाला समय आपको बख्शने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि इन घोटालों की जांच के लिए एक कमीशन बैठाया जाये और जहां के बारे में शिकायतें हुई हैं उन एक-एक शिकायत की जांच होनी चाहिये। जिस तरह से सादुलपुर में मस्टर रोल पकड़े गये और उनके लिए भारत सरकार और राष्ट्रपति तक लिखा गया, बड़े बड़े इश्तिहार निकाले उस इलाके में लेकिन उसकी भी आज तक कोई जांच नहीं हुई। वहां पर कोई कहता है कि मैंने 10 लाख रुपये कमाये, कोई कहता है मैंने 20 लाख रुपये कमाये। वहां पर किस तरह से लोगों ने रुपया खाया यह तो जांच से ही सिद्ध हो सकता है लेकिन बिलकुल झूठी बातें कोई चल नहीं सकती क्योंकि यह आम चर्चायें हैं और चर्चायें ही नहीं लोगों ने लिखकर दिया है, यहां तक ही नहीं लिखकर दिया बल्कि राष्ट्रपति तक को लिखकर दिया लेकिन वही ढाक के तीन पात और कोई भी शिकायत करें तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तो किस तरह से यह हुकूमत चलने वाली है। आप घाटे का बजट पेश करते हैं और दूसरी तरफ आपके खजाने पर लोग डाका डाल रहे हैं और उसकी तरफ आप कोई ध्यान नहीं देते। कोई कारण नहीं कि आप इसके ऊपर कन्ट्रोल न कर सकें, सरकार के बहुत बड़े लम्बे हाथ होते हैं और वह सब कुछ करवा सकती है लेकिन जान बूझकर इसको दबाना चाहें तो वह दूसरी बात है।

अब मेरा दूसरा प्रस्ताव है कुओं के बारे में। इससे बड़ी अनियमिततायें बरती गयी हैं। जिन लोगों ने मजदूरी की उनको पूरा पेमेंट नहीं दिया गया और लोग चक्कर काटते रहे। जिन लोगों ने तहसीलदारों को पैसा दिया उनको तो पेमेंट समय पर होता रहा और जिन्होंने पैसे नहीं दिये उनका पेमेन्ट आज भी लटक रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने भी प्रश्नों के दौरान माननीय मन्त्री जी को कहा था कि मेरे इलाके में मोटेवर नाम का गांव है वहां पर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

ठेकेदार की मजदूरी बाकी पड़ी है और यदि वह पैसे दे देता तो आप तक आने की जरूरत नहीं थी उसको पैसा मिल जाता लेकिन बारबार मांग करने पर भी पैसा नहीं मिला और इसी तरह से भेदासर पंचायत में सरपंच ने गड़बड़ियां की थीं उसकी शिकायत हुई थी और कुआ गांव में नहीं चला और पेमेन्ट उठाया गया, जयपुर और नोहर के बीच में चक्कर काटे गये और उस गांव के लोगों ने दरख्वास्त दी और उन लोगों से न पूछकर दूसरे लोगों से बयान ले लिये और मामले को रफादफा किया गया। इस प्रकार की घटना वहां हुई लेकिन उस मामले को दबा दिया गया क्यों दबा दिया गया क्यों कि वह कांग्रेस का एक पाया है और कांग्रेस की मदद करता है। इनको तो वोट चाहिये चाहे कोई कितना भी रुपया खाये या किसी आदमी को मरवाये या झगड़े करवाये या जमीनों पर नाजायज कब्जा करें—यदि इनको वोट मिल जाये तो चाहें जो काम करवा सकते हैं और ऐसे आदमियों को गांवों में पाल रखा है। ऐसी अनियमिततायें बरती गयी हैं कुए चलाने में उसकी भी जांच होनी चाहिए।

इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा एक प्रस्ताव जिन इलाकों में जो अकाल राहत कार्य चलाये गए और उन इलाकों में जिन लोगों की जमीने सड़कों के नीचे आई अभी विधान सभा में कहा गया कि ऐसा हमारे पास कोई प्राव-धान नहीं है कि उनको मुआवजा वगैरा दिया जाये। लेकिन यह कौनसा कायदा है कि किसी की खातेदारी की जमीन सड़कों के नीचे ली जायें और उसको कम्पन्सेशन तक नहीं दिया जाये और जबरदस्ती उस पर सड़क निकाल दी जाये? सरकार जमीन ले सकती है लेकिन या तो बदले में वह जमीन दे या फिर मुआवजा दे। राजस्थान में अनेक काश्तकारों की जमीनें इस प्रकार से सड़कों के नीचे ले ली गयीं। वहां मालूम हुआ और विधान सभा में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम कम्पन्सेशन या उसकी कीमत दें क्योंकि अकाल राहत कार्य में हम जमीनों के ऊपर से सड़क निकालते हैं तो गांव वालों की मर्जी से निकालते हैं। जिनके पास छोटे खेत हैं और वह सड़क के बीच में आ गया तो न तो आप जमीन देते हो और न कीमत ही देते हो यह क्या कोई न्याय की बात है? आपके पास एक ही मकान हो और वह भी सड़क के बीचे आ जाये तो आपको कितनी तकलीफ हो यहां पर मंत्रियों ने बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं और उनके बीच में से सड़क निकले तो कितना महसूस होगा कि मेरे फार्म में से सड़क नहीं निकलनी चाहिए और उधर उसका वही तो उदरपूर्ति का जरिया है और वह भी सड़क के नीचे आ जाये तो फिर कैसे होगा? आप यह कह कर टाल दें कि गांव के लोगों को बैठाकर तय किया गया तो यह तो कोई दलील नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें और छोटे लोगों की जमीनों पर अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सड़क निकल गयी तो उनको बदले में या तो आप जमीन दें या फिर उसको मुआवजा दें। लेकिन कीमत या मुआवजा देने से तो उनको कोई लाभ नहीं है आप उनको जमीन के बदले में जमीन ही दें क्योंकि हमारे राजस्थान में काफी जमीन पड़ी है। जहां जमीन नहीं हो वहां उनको कीमत

(श्री रामचन्द्र आर्य)

दी जाये लेकिन जहां जमीन है उनको जमीन के बदले में जमीन दी जाये ताकि काश्तकारों को भी नुकसान नहीं हो और सरकार भी अपनी सड़क निकाल ले। क्यों कि वे लोग अपने अधिकारों के लिए अदालतों में भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। आज न्याय इतना मंहगा है कि गरीब आदमी इस न्याय को नहीं ले सकते। अदालतों में जाने के लिए हजारों रुपया वह लोग कहां से लायेंगे? जो मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं वह सरकार से झगड़ा करके अदालतों में नहीं जा सकते और न मुआवजा ही झगड़े के जरिये ले सकते हैं। इसलिए आप गरीबी का नाजायज फायदा नहीं उठायें। गरीब जरूर हैं गांवों में लेकिन यह नहीं है कि वह कुछ नहीं समझते, वह सब समझते हैं कि इस तरह से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है और उनकी आजीविका को समाप्त किया जाता है लेकिन वह लड़ नहीं सकते।

आप इस तरह से गरीब आदमियों को न सतायें और उनको बदले में जमीन दें। मेरा यही निवेदन करना है अकाल के सम्बन्ध में। भगवान अकाल नहीं पटके इस राजस्थान में क्योंकि यह सरकार जिस दिन से सत्तारूढ़ हुई है 67 के बाद आये साल अकाल पड़ते हैं, क्योंकि सरकार की जैसी नियत है उसकी इस भावना के कारण जैसा कि कहा गया है कि पापी के राज्य में बारिश नहीं होती है और वहां की जनता दुःखी रहती है उसी तरह से आज राजस्थान की हालत है। आज राजस्थान सरकार की जो नीति है उससे लोगों के जान-माल की सुरक्षा नहीं है। इसी वजह से आज राजस्थान की सवा दो करोड़ जनता आये साल अकाल से पीड़ित है। जिस इलाके से मैं आया हूं उसमें मैंने व्यवस्था देखी है कि लगान पूरा लेते हैं टैक्स पूरा लेते हैं। और जब फसल पकने का मौका आता है तो पानी नहीं देते हैं। भगवान नहीं बरसाये तो कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रकोप है, लेकिन जब पानी अपने हाथ में है वहां पर आपके अधिकारी पैसा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो पानी नहीं देते हैं। आये दिन लोगों पर लाठिक लगा दी जाती है। नहर हजारों रुपया लेकर दूसरी तरफ खोल देते हैं। यह हालत है। चुनावों में उन अधिकारियों से चन्दा लिया जाता है। हजारों रुपया वसूल किया जाता है। पटवारी से लगाकर ओवरसियर और इन्जीनीयर तक से पैसा लिया जाता है तो वे लोग पैसा जनता से वसूल करते हैं। इसीलिए आज हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। सिंचाई विभाग के कारण भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा मिला है।

आज समाजवाद का नारा देते हैं। देखा-देखी समाजवाद नहीं आता है। इन्दिरा जी के नारे में हां में हां मिला रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अकाल पड़ता है तब आप कुछ नहीं करते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में। समय का अभाव है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रस्ताव पर थोड़ा कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पूरा हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं अकाल पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह पूरा हो चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इतना रुपया अकाल में खर्च किया जाय और वह धूल में मिल जाय और कोई चीज सामने नहीं आये। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो मंत्रिमन्डल को तो छोटा करें, अपनी कारों को जमा करायें; छोटे छोटे मकानों में रहें और फिर देखें कि किस तरह से लोग आपकी तरफ भागते हैं। आप स्वयं त्याग करने के लिये आगे नहीं आते हैं और लोगों को समाजवाद का नारा देते हैं तो नारे से न समाजवाद कभी आया है और न आने वाला है। समाजवाद तभी आयेगा जब कि आप अपनी जेबों में से निकाल कर रखेंगे और कहें कि हमारे पास यह था वह रख दिया और आगे करेंगे नहीं। लेकिन आप तो केवल नारा लगा कर समाजवाद लाना चाहते हैं। राजस्थान में जनता भूखों मर रही है। बाड़मेर के इलाके में लोग भूख से मर गये जिनके लिये आप और बात कहते हैं कि भूख से नहीं मरे। उनको बराबर राशन नहीं मिला तो वे कमजोर होकर बीमार होकर मर गये। आपके यहां जयपुर की कोठियों में तो कोई नहीं मरा, कोई मंत्री मरा हुआ नहीं देखा। बाड़मेर में मरे और इसलिये मरे कि उनको खाना नहीं मिला और पीने को पानी नहीं मिला तो उनकी जीवनी शक्ति जो उनमें थी वह नष्ट हो गई इसलिए बीमार होकर मर गये। आप कितना ही नारे लगायें, कितना ही आप खर्च करें लेकिन इससे नतीजा कोई सामने आने वाला नहीं है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अकाल के सम्बन्ध में जो बातें मैंने कही हैं उन पर विचार करें। यही कह कर मैं अपना कटमोशन प्रस्तुत करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वाद-विवाद में हिस्सा लेने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अधिक है इसलिये समय-सीमा निर्धारित की है 5-7 मिनिट।

श्री रामकिशन : 5-7 मिनिट में क्या कहेंगे। सरकार की 23 साल की गलतियों को 5 मिनिट में कहां तक बता पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह। (अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री रामकिशन : ये तो वेदना के अवतार हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 68 के अन्तर्गत मैंने तीन कटौती प्रस्ताव सदन के सामने पेश किये हैं। दो सड़कों के सिलसिले में हैं और एक बांध का कार्य जो सरकार ने अकाल-राहत कार्य में शुरू किया उसके सिलसिले में है।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के विषय में सबसे पहले मैं सदन से यह कहना चाहूंगा कि सरकार जब से सत्तारूढ़ हुई है सन् 1952 से मैं देखता आ रहा हूं कि मुतवातिर अकाल पड़ते ही आ रहे हैं। यह बहुत ही दुःख का विषय है कि आये साल अकाल पड़े, जनता दुःख पाये, देशबदर हों, राजस्थान के बाहर अपने मवेशियों को ले जायें और वापस आयें तो जब अकाल पड़े तो फिर वापिस उनको जाना पड़े। सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई भी कमेटी नियुक्त नहीं की जो कि इस पर

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
विचार करें कि अकाल आये साल क्यों पड़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनेक बार सदन में इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकार का जंगल की कटाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। देशी राज्य थे इस वक्त जंगल की कटाई बड़ी योजनाबद्ध तरीके से होती थी और जंगल की सुरक्षा की जाती थी। जब जंगल रहते थे तो बारिश होती थी। यही कारण था कि अब तक अकाल हमने नहीं देखे और 52 के बाद में तो अकाल का दौरदौरा शुरू हो गया और आज आठ साल से तो चलता आ रहा है।

माननीय जंगलात मंत्री जी को भी हमने कहा कि यह बेतरतीबी से जंगल काटे जाते हैं तो इसकी रुकावट करें। इनका तो इतना ही कहना है लोगबाग क्या करें ? भूखों मरते क्या करें ? रोटी के लिए जंगल काटते हैं। अगर सरकार आज इस बात का ध्यान न कर उसने जंगल की सुरक्षा नहीं की तो पश्चिमी पाकिस्तान की सी स्थिति चन्द वर्षों में राजस्थान की हो जायगी। इसलिए इस अकाल को रोकने के विषय में विचार करने के लिए तो निवेदन करूंगा ही।

अकाल जब पड़ता है तो लोगों के लिए घर छोड़ने की समस्या सामने आ जाती है, मगर हमारे राजनैतिक लोग जो कभी भी अकाल से पीड़ित नहीं होते हैं वे चाहते है कि प्रत्येक साल अकाल पड़े और हमें फायदा मिले। इससे उनको अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जब अकाल पड़ते हैं तो राजनैतिक लीडर या जिनका सत्ता पर प्रभाव होता है तो वे अपने अपने क्षेत्रों में जा और बेजा तरीकों से काम करते हैं। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि काम जो भी हों वह योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। एक बार जो काम शुरू हो उस काम की एक योजना बना लेनी चाहिए और वह काम आगे जाकर योजना के अन्तर्गत आये और वह काम पूरा हो तो वह काम करने से फायदा भी है, वरना उस काम की कोई उपयोगिता जनता के लिए नहीं है।

इस विषय पर दो कटौती प्रस्ताव थे, सड़कों के सम्बन्ध में उनकी चर्चा करूंगा। हिण्डोली तहसील में और नैनवा से नगर उनियारा सड़क, लथूर, बासोली, ओवरण की सड़क उन पर सरकार ने काम कराया है। नैनवा में मिट्टी का काम हुआ है। जिससे कच्ची सड़क की उपयोगिता नहीं रही है। तहसील हिण्डोली के पास काम कराया गया। पास के पहाड़ों से पत्थर जमा दिये गये। वहां बैल गाड़ियों से या मोटर बसों से चलते हैं तो भूकम्प सा आता है। सारे पुरजे हिलते हैं। इसीलिए बैलगाड़ियों वालों ने और क्या मोटर वालों ने उस पर गाड़ी चलाने से डरते हैं। उसके बगल में चलते हैं। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर पत्थर जमाने से उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। उसके ऊपर अगर मिट्टी डाली जाती तो ज्यादा उपयोगिता होती। इस तरह करने से कोई उपयोगिता नहीं होती है। जो भी खर्चा किया जाता है उसकी ज्यादा उपयोगिता होनी चाहिए। वहां जनता के पैसे की कोई उपयोगिता नहीं हैं। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा हिण्डोली के अन्दर सड़क पर पत्थर जमा किये उसके बजाय अगर कोलतार कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता ताकि लोगों

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
को बसेज में आने जाने में ज्यादा सुविधा होती। लोगों को मजदूरी नहीं दी गई इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि 66-67 में गुढ़ा गोकुलपुरा में काम कराया गया। वहां मन्त्री से उद्घाटन कराने की योजना थी। चुनावों का दौर चल रहा था। समस्त मन्त्रीगण व्यस्त थे। मगर जनता को गुमराह करने के लिए मत प्राप्त करने के लिए लोगों को यह आश्वासन दिया कि यहां बांध की योजना स्वीकार हो गई। तो महेशनारायण इन्जीनियर थे, उनसे शिलान्यास कराया गया। मुझे खुशी होती अगर तलाबों के लिए काम होता है। क्योंकि एक मात्र इसका काम ही हो सकता है। एनीकट बनाये जायें। छोटे छोटे बांध बनाये जायें ताकि जानवरों को पानी पीने की सुविधा हो सके और पेटा काश्त भी की जा सके इससे राहत मिल सके। और गांवों में कुओं में पानी आ सके। ऐसी सम्भावना हो सके। सरकार ने काम कराये हैं लेकिन दुखपूर्ण बात यह है कि उनकी उपयोगिता नहीं। सन् 67 में 7 हजार रुपये के काम कराये गये। सन् 67-68 में 50 हजार की स्वीकृति होते हुए 33,335 रु. का बांध पर काम कराया गया।

(घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो रिलेवेन्ट बोल रहा हूं। दो एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चेतावनी मात्र।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : ये बांधों का काम हो जाता है। 68-69 में 6 हजार और 69-70 में काम कराया गया। ये चार काम हुये। मुझे खुशी है कि इस काम को सरकार ने कराया। मैंने एक याचिका विधान सभा में 67 में शुरू होने पर रखी। तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने 6 लाख एक हजार रुपये की योजना इस बांध को पूर्ण करने के लिए जो उस वक्त स्वीकार नहीं हुई बाद में स्वीकार कर ली गई। गत वर्ष 6 लाख 36 हजार की योजना स्वीकार की गई है। यह स्वागत की बात है। जिस पर एक लाख रुपया ही गत साल मंजूर की गई थी। मगर दुख है कि 46,393 रु. ही व्यय हुये। पूरा 1 लाख व्यय नहीं हुआ है। मुझे हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बांध की साइट सरकार ने चेंज कर दी है। मैंने स्थगन प्रस्ताव भी रखा था। मगर मुझे यह कहा गया कि बजट की मांगों में चर्चा रखें। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालें। बांध की साइट चेंज करने से, जिसमें कि अब तक 1 लाख 30 हजार रुपया लग चुका है, वह बेकार जायेगा। अकाल राहत मन्त्री महोदय भी प्रकाश डालेंगे। उसकी साइट चेंज करने का क्यों मौका आये? ताकि सदन उस पर विचार कर सके। अकाल राहत कार्य शुरू किये गये वह किस कारण से शुरू किये गये। या मत प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये थे। यह बात स्पष्ट हो जायेगी। 3 कटौती प्रस्तावों को मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह।

श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है,

(श्री रूपसिंह):

उसकी बाबत मुझे अर्ज करना है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 80% लोग गांवों में खेती करते हैं। अगर बिजली पानी की बहुतायत हो जाये तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। हमारे राजस्थान में 2/3 बंजर है आये साल अकाल पड़ता है। राजस्थान सरकार ने आज दिन तक जनवरी, 70 तक 1 अरब 71 करोड़ रुपया खर्च किया है। मगर वास्तव में फेमिन को समाप्त करने के लिए कोई परमानेण्ट काम किये जाते तो यह प्रोब्लम समाप्त हो जाती। इस तरह से आधा पैसा बरबाद हो गया है। इसका मतलब यह है कि आयन्दा के लिए भी फेमिन बना रहेगा। राजस्थान में काफी डेजर्ट है। लेकिन गंगानगर के अन्दर कैनाल लाई गई है। उस वक्त दस करोड़ रुपये में लाई गई। उसका नतीजा यह हुआ कि आज गंगानगर का इलाका डेजर्ट न होकर एक हरा भरा इलाका है। इसी तरह से 1 अरब 75 करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल पर खर्च किया जाता है, इससे यह बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंच जाती है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पहुंचने से क्या होता है कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के इलाके में पानी की दिक्कत नहीं होती है। आज वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, वहां का पानी खारा है, इसलिए वहां तक पानी पहुंचा दिया जाता है तो पीने के पानी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। दूसरी बात यह होती है कि लाखों एकड़ जमीन सरसब्ज नजर आती है और उस जमीन पर लाखों मन अनाज पैदा होता है वहां, मवेशियों को उससे चारा मिलता है, और जो फेमिन में मवेशी समाप्त हो जाते हैं, वह नहीं होते हैं, और हजारों आदमी जो मरते हैं वह भी नहीं मरते और आयन्दा के लिए परमानेन्टली सुविधा हो जाती है। लेकिन क्या हुआ, फेमिन में परमानेन्ट-सोल्यूशन न करके दूसरी जगहों पर वह पैसा खर्च कर दिया। फेमिन के अन्दर जो सड़कें बनीं, उनके लिए निवेदन करूं कि जो सड़कें फेमिन में बनाई जाती हैं, उन सड़कों को बनाने वाले आदमी के पास आदमी होते हैं सौ, लेकिन वह लिख देते हैं एक हजार। इस तरह से पी.डब्ल्यू.डी. और दूसरे व्यक्ति लाखों रुपया करोड़ों रुपया इस तरह से खा गये हैं। इस तरह की हजारों शिकायतें आई हैं लेकिन मुश्किल से सौ केसेज दर्ज हुए हैं। इसके लिए सबने, विधायकों ने, इन सड़कों के काम के सम्बन्ध में शिकायतें कीं, और यह भी कहा कि इसके लिए कमेटी बना कर भ्रष्टाचार की जांच की जाय, लेकिन इसकी जांच नहीं कराई गई है। अगर इसकी जांच कराई जाती तो मालूम हो जाता कि आधा रुपया, अस्सी करोड़ रुपया इसी तरह से भ्रष्टाचार में खत्म हो गया है। अगर यह भ्रष्टाचार में खत्म न होकर काम में लगाया जाता, तो हमारे यहां आयन्दा के लिए फेमिन का नाम भी खत्म हो जाता। इसके अलावा जो फेमिन में सड़कें बनाई गई हैं, दूसरे जो काम कराये गये हैं; उनको डिस्ट्रिक्टवाइज कराया गया है। इससे जहां पर फेमिन नहीं होता है वहां भी फेमिन डिक्लेअर करवा लिया जाता है। इससे एक तो चुनाव के समय में लोगों के वोट मिल जाते हैं, दूसरे अपने लोगों को इमदाद दे दी जाती है। अगर ऐसी जगहों पर आप फेमिन मानते तो आप कैनाल के काम पर वह रुपया खर्च करते। इसलिए मेरा सजेशन है कि आपको

(श्री रूपसिंह)

फेमिन की प्रॉब्लम को मीट करने के लिए रुपया डिस्ट्रिक्टवाइज खर्च न करके राजस्थान कैनाल के काम पर खर्च करना चाहिए, जिससे कि यह कैनाल जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंच जाय। जहां पर लोगों को पीने के पानी की दिक्कत है वहां पर आपको नहर बनानी चाहिए और नहर चूरू वगैरह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक पहुंचाई जाय क्योंकि वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, वह लोग गर्मी के मौसम में सड़ते रहते हैं, मवेशी खारा पानी पीते हैं तो उस पानी के कारण उनमें बीमारी फैल जाती है और वह मर जाते हैं। इसलिए अगर नहर के द्वारा वहां पानी पहुंच जाता है तो एक तो वहां मीठा पानी लोगों को उपलब्ध हो जायगा और दूसरे जो पानी की दिक्कत वहां रहती है वह दूर हो जायगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भ्रष्टाचार फेमिन के कामों में होता है वह आयन्दा के लिए बन्द किया जाय और जो भ्रष्टाचार हो चुका है, उसके लिए एक कमेटी मुकर्रर की जा कर उसकी जांच कराई जाय, और जो खर्च किया जाय वह परमानेन्टली इस प्रॉब्लम का सोल्व करने वाले कामों पर खर्च किया जाय। बस मैं इतना कह कर बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में एक तरह की तीन चार डिमान्ड थी, इसलिए जप-साथ जी बोलना चाहते थे, उनको बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : दुर्भिक्ष पर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इस सम्बन्ध में दो मिनिट बोलूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मेरा कटौती प्रस्ताव है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 1 अरब 57 करोड़ रुपया हमने पिछले पांच सालों में फेमिन पर खर्च किया है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। सड़कें बनीं, नहरें बनीं, तालाब बने, एनीकट्स बने—बहुत काम हुआ है और....

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार हुआ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय सदस्य के अनुसार जो मेरे पूर्व वक्ता हैं, उनके अनुसार भ्रष्टाचार पर खर्च हुआ। मैं यह नहीं कहता क्योंकि न जांच हुई है और न एक सदस्य की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं।

श्री श्रवणलाल : यह बता दें कि सड़कें हवा में कितनी उड़ गई हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : भ्रष्टाचार पर खर्च नहीं होता है, भ्रष्टाचार में खाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार में खर्च होना मैं नहीं मानता। एनी वे, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हकीकत यह है, इन सब बातों के बावजूद भी बहुत आवश्यकता थी लाखों आदमियों को रोटी देने की, लाखों आदमियों को भूखा नहीं मरने देने की और अब तक फेमिन के सम्बन्ध में जो योजना है वह यह है कि लोगों को राहत दी जाय,

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

उनको भूखा नहीं मरने दिया जाय। इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है—इसमें दो मत नहीं हैं, लेकिन....

श्री दौलतराम सारण : आपको मालूम नहीं है, राज्य सरकार ने सदन में घोषित किया था कि हम टास्क बेसिस पर काम करवा रहे हैं। यह आपको मालूम नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह मालूम है।

श्री दौलतराम सारण : टास्क बेसिस पर काम कराने की घोषणा की थी और हमने बार बार कहा कि...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपको क्या मैं जवाब दूं। मिनिस्टर से आप जवाब लें या आप चाहते हैं कि मैं भी वैसे ही आक्रमण करूं। मुझे आक्रमण करने दीजिये, मुझे भी आक्रमण करना आता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप तो भीलवाड़ा पर आ जाइये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह योजना ली गई है, छब्बीस हजार आदमियों को रूरल एरिया में परमानेन्ट काम देने की, यह साढ़े तीन करोड़ की योजना बताई गई है। इससे परमानेन्टली छब्बीस हजार आदमियों को बेकार आदमियों को काम दिया जायगा अब यह 1 अरब 57 करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ है. क्या उसमें हमने छब्बीस हजार आदमियों को भी परमानेन्टली काम देने की प्रॉब्लम सॉल्व की—यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे ख्याल में सड़कों से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्योंकि सड़कें जहां बनी, वह पूरी नहीं हुई और जहां पर नहर बनी हैं या जहां पर टैंक बने हैं उनके लिए भी हम आश्रित हैं बरसात पर और बरसात नहीं आये तो वह टैंक बेकार हैं। तो ऐसा काम देने में, आयन्दा बेरोजगारों को काम देने में या लोगों को किसी काम पर आश्रित करने में या उनको परमानेन्टली रिलीफ देने में सरकार कामयाब नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भले ही आज नहीं, लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों और अकाल राहत मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान में अकाल हर साल रिपीट होता है, अभी जैसा माननीय पूर्व वक्ता ने कहा, उनके शब्दों में भगवान न करे कि फिर अकाल आये और बरसात अच्छी न हो तो फिर भी हम आज बरसात पर आश्रित हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को, अपोजीशन के माननीय सदस्यों को सरकार द्वारा कान्फीडेंस में लेकर कोई योजना तैयार की जाय, जिससे अकाल को सदैव के लिए हम समाप्त कर सकें और वह होगा केवल मिनरल और उद्योग धन्धों के आधार पर। बरसात पर आश्रित रहने वाले टैंक बैंक तो बहुत बन चुके हैं, बने भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी बरसात पर आश्रित हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सब माननीय सदस्यों को आप कान्फीडेंस में लें। मैं आपको यह कह दूं कि मेरे पास कोई योजना है या माननीय सदस्यों के पास में कोई योजना है, तो जैसे इतने वर्षों तक अकाल के बारे में आर्गूमेंट होते रहे हैं, इस

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

सदन में डिबेट होती रहती है, सरकार को गालियां निकालते रहे हैं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, लेकिन इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसका रास्ता निकालने का एक ही उपाय है और वह है मिनरल वेल्थ, रत्नगर्भा भूमि, इस रत्नगर्भा भूमि से लाभ उठाने की दृष्टि से इस तरह की योजना बनाई जाय जिससे हम भगवान इन्द्र पर ही आश्रित न रहें और उसके साथ साथ अपनी हाथों की शक्ति पर, और बुद्धि पर आश्रित हों और इस प्रकार अकाल से सदैव के लिए मुक्ति पाई जाय। यही मेरा अपने कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है।

श्री श्रवणलाल : जेब कैसे भरेंगी ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह भी भर जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त गाड़िया !

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह विशेष तौर से बीकानेर जिले के बारे में है। अकाल के समय में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये राहत कैम्पों को काफी लम्बा अर्सा हो जाने के बाद भी आज तक मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। करीब करीब मेरा अन्दाज है, बीकानेर जिले के मजदूरों का बकाया भुगतान है वह दो ढाई लाख से भी अधिक बकाया पड़ा है। इसी तरह से फेमिन कैम्पों पर काम करने वाले मजदूरों को जो पानी पिलाने का ठेका ठेकेदारों ने लिया था, उन लोगों का भी आज तक भुगतान बकाया पड़ा है। जो लोग गाड़ियों और टंकियों से फेमिन कैम्पों पर मजदूरों को पानी पिला रहे थे उन लोगों का पिलाई का लाखों की तादाद में आज तक भुगतान बकाया पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा समय बीत गया है और सरकार द्वारा पिलायी के पैसे मन्जूर करने के बावजूद भी आज तक उन्हें पैसे नहीं दिये गये हैं और सरकार की जो नीति थी वह असफल रही। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि मजदूरों को इसका भुगतान जल्दी से जल्दी कर देना चाहिये। इसी तरह से जिन मजदूरों ने अकाल के समय पानी के पिलाने का काम किया है उनका एक नोखा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे बीकानेर जिले के ऐसे लोगों की बकाया पड़ी है। इसी तरह अकाल के समय राज्य सरकार द्वारा गांव के लोगों के लिए जो पीने के पानी की व्यवस्था की। सरकार ने किसी को साढ़े बारह रुपये, किसी गांव में 15 रुपये, किसी गांव में 40 रुपये और किसी गांव में 45 रुपये गांव की जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए मन्जूर किये थे। इस तरह राज्य सरकार ने अकाल पीड़ित जनता को समय पर व सही ढंग से पूरा लाभ नहीं पहुंचाया था। यह नोखा गांव का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का लाखों की तादाद में बकाया भुगतान पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नोखा तहसील के ग्राम जसरासर में

Page No 89

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

अकाल के दौरान पानी की पिवाई हेतु राशि मन्जूर है फिर भी उसका भुगतान नहीं किया गया है। जो लगभग 20,000 रु. की बकाया है। इस तरह नोखा तहसील के ग्राम सालासर में अकाल पीड़ित जनता को पानी की पिवाई की धनराशि का भुगतान अभी तक पड़ा हुआ है। दूसरे ग्राम उतमादेसर, तहसील नोखा की जनता को पीने के पानी की पिवाई के रूप में धनराशि मन्जूर की गयी और उक्त ठेकेदार द्वारा पानी लेजाकर पिलाया उस पर भी उस ठेकेदार को आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इतना समय बात को बीते हो गया, दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने पानी की पिवाई के पैसे आज तक भुगतान नहीं किये हैं जो कि कर देने चाहिये थे जबकि राज्य सरकार द्वारा उस ठेकेदार को मंजूरी देने के बाद भी पैसे बकाया पड़े हैं। इस तरह से सारे के सारे बीकानेर जिले में कई जगहों की बकाया राज्य सरकार में पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये अकाल सहायता मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब जब कि साल समाप्त होने जा रहा है लोगों के ढाई साल से बकाया का भुगतान नहीं हुआ है यह पूरे बीकानेर जिले के ही शायद पड़े हुए हैं इसलिए मैंने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं और इन कटौती प्रस्तावों के जरिये से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कितनी लापरवाही बरती गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में लगातार अकाल पड़ रहा है पर राज्य सरकार ने क्या कोई व्यवस्था सोची है अकाल के बारे में? मैं समझता हूं कि इस विषय में राज्य सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा है हमको सोचना चाहिये कि सदियों से पड़ने वाले अकाल को हमेशा के लिए किस तरह से समाप्त किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव भी है कि अगर आप राजस्थान में अकाल को हमेशा के लिये खत्म करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी राजस्थान नहर को पूरा करवायें। और उस कैनाल के जरिये से छोटी कनाल और निकाली जाय और जहां जमीन बेकार पड़ी है और जिसमें खेती हो सकती है लेकिन पानी की कमी के कारण खेती नहीं कर सकते हैं। वहां पहुंचायें। अगर आप अकाल को हमेशा के लिये समाप्त करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान नहर को पूरा करना चाहिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने उस तरफ अभी तक सोचा ही नहीं है और अगर सोचा है तो उसे पूरा करने में असफल रही है। छोटी छोटी नहरों के जरिये जहां पानी नहीं पहुंच सके कुए खुदवायें और कुओं से सिंचाई की जानी चाहिये। कुओं में जहां पानी काफी ऊंचा है वहां कुओं में बिजली लगायी जाय लेकिन राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि अगर राज्य सरकार अकाल को समाप्त करना चाहती है तो सबसे पहले राजस्थान कैनाल को पूरा किया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि अगर राजस्थान कैनाल को पूरा कर दिया जावे तो उससे राजस्थान में ही नहीं अपितु हिन्दुस्तान में लाखों आदमियों को खाने का अनाज दिया जा सकेगा। लेकिन राज्य सरकार की जो पॉलिसी है वह राजस्थान के किसानों के लिये हितकर नहीं है। राज्य सरकार

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

चाहती है कि इस काम को किस तरह टाला जाय। किस तरह से लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया जाय। लेकिन राजस्थान कैनाल जैसे मसले को आज तक राज्य सरकार पूरा नहीं कर सकी है। इसलिये मैं चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि इस तरफ ध्यान जाना चाहिये। बीकानेर जिले के कई गांव नोखा, मेलासर आदि ऐसे इलाके हैं जहां के कई गांव हैं जिनके लिये अकाल सहायता मन्त्री जी जानते है कि वहां पानी काफी ऊंचा है समय समय पर अकाल ग्रस्त क्षेत्र में अकाल मन्त्री जी ने दूर किया है। वहां पानी 10-12 फीट पर है और उन गांवों में 40 कुए लोगों ने खुदा रखे हैं लेकिन सरकार की ढीली नीति होने के कारण वहां काश्तकारों को कुओं के लिए बिजली नहीं दी जा सकी है वहां काश्तकारों को कुए खोदने के लिये कोई लोन नहीं दिये गये हैं। यह सारी हालत है इससे जाहिर है कि राज्य सरकार आज तक इस संबध में जागरूक नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की नीति किसानों के लिये हितकारी नहीं है राज्य सरकार की नीति ढीली है राज्य सरकार की इसी ढील के कारण वहां के काश्तकार दुखी हैं। राज्य सरकार को चाहिये उपाध्यक्ष महोदय जहां पानी ऊंचा है वहां बिजली पहुंचाई जावे। वह इलाका ऐसा है जो बीकानेर जिले को अनाज दे सकता है। लेकिन यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उपाध्यक्ष महोदय जो लोग मजदूर थे उनकी मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया उसका भुगतान किया जावे। मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय है वह यह है कि लिफ्ट इरींगेशन से सिंचाई की योजना बनाई, वह लूणकरणसर और बीकानेर तक है। पहले यह योजना नागौर तक थी। लेकिन राज्य सरकार की कटु नीति के कारण उसको काट दिया गया है। उसको सिर्फ बीकानेर तक रखा गया है। मैं आगे आपके जरिये अकाल मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि इसको नागौर तक लाये जाने की व्यवस्था हो। पहले यह लूणकरणसर बीकानेर, नोखा होकर नागौर तक का इलाका है यहां थी। यहां का किसान जागरूक और मेहनती है अगर आप राजस्थान कैनाल को पूरा करवा दें तो भूख का नाम अकाल का नाम हमेशा के लिये खत्म हो सकता है। इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जहां ऊंचा पानी है बिजली पहुंचाई जानी जरूरी हो वहां बिजली पहुंचाई जाय ताकि वहां के काश्तकार कुए के जरिये अन्न का उत्पादन करें और अकाल से छूट सके। मैं इतना ही कहकर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि फेमिन कैम्पों पर जिन मजदूरों ने काम किया था उनकी मजदूरी लाखों की तादाद में बकाया पड़ी है जो दिलाई जावे। जो लाखों की तादाद में बकाया पड़ी है उसका राज्य सरकार तुरन्त भुगतान करने की व्यवस्था करावे। उपाध्यक्ष महोदय मैं इतना कह कर अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल वैसे एक तरह से मिट गया है लेकिन कुछ लोगों के लिये फिर से पड़ गया है। जिन असिस्टेन्ट

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

इन्जीनियर्स, श्रोवरसियर्स इनने अकाल में जो भ्रष्टाचार के काम किये थे, अकाल के बन्द होते ही उनके लिए अकाल पड़ गया है।

एक माननीय सदस्य : नेताओं के लिए भी।

श्री मनोहरसिंह : इसलिये अकाल में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, पापाचार किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। वैसे तो मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं लेकिन ऐसे लोगों के लिये अगर गोली से उड़ाने की सजा रखी जाय और गोली से उड़ा दिया जाय तो मैं कहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय यह सजा भी कम होगी। किस मुश्किल से भारत सरकार ने किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा यहां भेजा। अकाल राहत कार्यों के लिये वह सही मायने में अकाल राहत कार्यों में खर्च नहीं हुआ। मैं यह नहीं कहता कि काम कुछ भी नहीं हुआ। काम तो हुआ है। थोड़ा बहुत लेकिन अधिकांश पैसा, आधा पैसा निश्चित रूप से लोगों की जेबों में गया यह निश्चित है। मै दो चार सुझाव इसके लिये संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अकाल जब पड़ता है तो सबसे अधिक दिक्कत घास की आती है। राजस्थान में घास के बीड़ों की कमी नहीं थी पहले ऐसा होता था जब राजाओं का राज्य था तब आधे पर घास कटवाते थे और आधा घास की गज्जियां लगवा लेते थे, जो अकाल में खुलती थी अब वह बीड़ पंचायतों को दे दी जाती है जिससे घास खत्म हो जाता है और सरकार को फायदा नहीं होता है। सभापति महोदय आपकी मारफत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल गज्जियां रखी जाय ताकि जब अकाल पड़े उन गज्जियों का उपयोग हो सके। दूसरी बात अकाल में पेड़ाक्स का महत्व है यहां घने जंगल थे, खूब बारिश होती थी लेकिन आज जंगलों का सत्यनाश हो गया है।

"काट लिया सब रूंखड़ा, वन का सेंपड़ पाट,
कां भांके बरसात को जदी जीवड़ा बाट।"

इसलिए पेडाक्स अधिक से अधिक लगाए जायं, उनका संरक्षण किया जाए, जितने जंगल लगेंगे बारिश खूब होगी और हमारा लाभ होगा। जो जंगल बरबाद हो गए हैं, वह फिर हरेभरे हो जायेंगे। जब हम में यह वृत्ति पैदा होगी कि अकाल स्लो पॉइजनिंग है तब ही कल्याण होगा। लेकिन जहां अकाल पड़ता है वहां नेता लोग यह कहते हैं कि हे भगवान निरन्तर अकाल पड़ता रहे ताकि हमारे वोट सुरक्षित हो जायें और रुपया कमायें। राज्य पक्ष में बैठने वाले क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, वह मांग करते हैं, चुपचाप प्रार्थना करते हैं कि अकाल पड़ता रहे लेकिन यह उन्होंने नहीं सोचा कि यह स्लो पॉइजनिंग है। एक बार अकाल की आदत पड़ गई तो लोग कामचोर हो जाते हैं झूठी हाजिरियों के आदी हो जाते हैं इसलिये इनको समझना चाहिए कि यह स्लो पॉइजनिंग है। दुर्भाग्य से अकाल को वरदान माना जाता है इसलिए इसको स्लो पॉइजनिंग समझ कर काम करें।

अकाल में सिंचाई के कुछ काम हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं किए गए हैं, किए गये हैं आधा पैसा ही लेकिन लगा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तो है। उन सिंचाई के अधूरे कामों को पूरा कराया जाए। मझे दुःख हुआ जब एक ओर भयंकर अकाल था और दूसरी तरफ शराब की दुकानें चल रही थी। इधर पैसे का चुकारा होता था, दूसरी तरफ शराब वाले पैसा ले जाते। गरीबों की जेबों से इस तरह पैसा जाता है। शराबबन्दी की ओर सरकार ने बढ़कर सरकार सर्वनाश की ओर तेजी से बढ़ रही है। रोदन तो करना है क्योंकि विधान सभा में बैठे हैं, बाकी सरकार की नीयत भ्रष्टचार कम करने की नहीं, अकाल को मिटाने की नहीं, शराब बंद करने की नहीं, जुआ बंद करने की नहीं क्योंकि हमें चिल्लाना है इसलिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन आशा है कि अकाल मंत्री पैडाक्स लगवायेंगे, घास की गजियां लगवायेंगे और तालाब बनवायेंगे और ग्रामोद्योग जो चलते थे वह नष्ट हो गए। इन्हें फिर से चलायेंगे अगर ग्रामोद्योग चलते तो यह स्थिति नहीं होती। जहां भी मिल खड़ा किया है, वहां ग्रामउद्योग नष्ट हो गया है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मेरे दो कटौती के प्रस्ताव अकाल के सम्बन्ध में हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने फरमाया उनसे मैं भी सहमत हूं कि अकाल के दौरान बार बार सदन में यह आवाज उठाई गई कि राज्य सरकार को एक जांच आयोग गठित करना चाहिये ताकि जो हमारे कार्य हुए हैं और जो कुछ खर्चा राज्य सरकार ने किया है, उसकी सही तरीके से जांच कर सकें।

मैंने इस सत्र में प्रश्नों के जरिये पूछा था कि जिन काश्तकारों से खुदकाश्त भूमि आपने राहत कार्यों में ले ली है, उनको न मुआवजा दिया और न ही उनकी लगान को कम किया। आप लगान सम्पूर्ण भूमि का लिए जा रहे हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनको मुआवजा देने पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने फरमाया था कि नेगोसिएशन्स से जमीन ले लेते हैं, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द जी जैन ने फरमाया था कि उनके इलाके में नेगोसिएशन्स प्रथा न चले तो अकाल राहत कार्य बन्द हो जाएं। उस दृष्टि से मैं सहमत हूं लेकिन जो नेगोसिएशन्स करें उसकी लिखापढ़ी होती है कि इतनी जमीन को लेते हो। आज दिन तक हमारे इलाके में अकाल कम पड़ा है और अकाल के अन्दर वाकई भ्रष्टाचार और पक्षपात का रवैया चलता है। सन् 1967 में जब आम चुनाव थे उस समय मेरे यहां अकाल था और उस समय की मजदूरी आज भी बेचारे मजदूरों की बाकी है और मैंने प्रश्न किया था। जवाब में मुझे जानकारी दी गई है कि अकाल राहत कार्यों पर टोंक जिले में अब तक 30,145) बाकी है। उस दौरान जब 1968 के अन्दर तहसीलदारों को हिदायत की गई कि वह गांवों में जाएं तो चैकिंग करें तो तहसीलदार गांवों में पहुंचे। मैं भी उन क्षेत्रों का दौरा करता हुआ उसी गांव में पहुंचा। उन्होंने एक आदमी को बुलवाया। गांव वाले उपस्थित थे। गांव वालों ने स्पष्ट कहा कि इस नाम का आदमी न कभी गांव में था न रहता था न गांव में पैदा हुआ। इस तरह के झूठे नाम उसमें दर्ज किए गए हैं। इस समय तक भी चले आ रहे हैं जो आदमी कभी था ही नहीं। ऐसे केसेज में मंत्री महोदय को जांच करवानी चाहिए।

(श्री दिग्विजयसिंह)

सन् 1970 में हमारे यहां टोंक प्रापर में तहसील में ओलावृष्टि में नुकसान हुआ। उस नुकसान के कारण राज्य सरकार ने उस क्षेत्र को अभाव ग्रस्त घोषित किया। इसमें दो राय नहीं कि हमारी सरकार भी पक्षपूर्ण तरीके से कार्य करती है। उस समय वहां पर विधान सभा का उप चुनाव था। जब ओलावृष्टि के बाद गांव अभाव ग्रस्त घोषित किए गए तो रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग भी नहीं बुलाई और जिलाधीश ने अपने मन से जैसे मंत्री महोदय ने कह दिया और जो उनके कांग्रेस कार्यकर्त्ता थे उन्होंने जैसे कह दिया, उनको अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया और कार्य खोल दिए गए यहां तक कि नियमों को पालन नहीं किया गया। एक एक माइल के फासले पर काम खोल दिए गये। ऊटी टारण, सोडा गांव और खजूरिया में एक एक मील पर कार्य खोले गये। वहां बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। वहां मालूम पड़ गया कि मैं दूसरे दिन जाने वाला हूं। आप मानेंगे नहीं कि जिस दिन मेरा प्रोग्राम था, वहां उसी दिन सभी गांवों में छोटे छोटे कार्य खोल दिए गए ताकि लोगों को मौका न मिले और मेड़ के साथ उनके पास में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, प्रचार की सामग्री उनके हाथों से मैंने खुद जाकर पकड़ी। अगर इस तरह राजनैतिक दृष्टिकोण रखकर पैसा खर्च करते हैं तो शर्म की बात है। हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग कम से कम इस अकाल का पैसा जो केन्द्रीय सरकार से मिलता है और बार बार मुख्य मंत्री भी कहते हैं कि ज्यादा चर्चा न करें नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा।

26-4-70 को जिस दिन टोंक में चुनाव था उस दिन भी वहां मजदूरों की हाजरियां लगाई मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि ये मजदूर काम पर गए थे, उस दिन हाजिर थे लेकिन वहां सार्वजनिक अवकाश था, कोई कार्य नहीं हो सका। इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? इससे स्पष्ट है कि आपने पक्षपात पूर्ण अकाल राहत कार्यों में पैसा खर्च किया है।

आप ताज्जुब करेंगे कि टोंक क्षेत्र में टोंक बाम्बोर, बनेठा सड़क चालू की गई। तीन किलो मीटर सड़क पर 1.20 लाख खर्च किया गया मंत्री महोदय को उस समय वहां क्षेत्र वालों ने दरखास्त दी कि सारे मामले की जांच कराएं लेकिन सरकार की ओर से कोई जांच नहीं हुई।

मुझको भी बाड़मेर जैसलमेर जाने का मौका मिला। सदन ने जो समिति बनाई थी वह वहां गई हुई थी। जैसलमेर से दूर लाठी वहां एक नल कूप है वहां कोई श्री मोतीचन्द हैं जो वरिष्ठ नेता हैं। उनको राज्य सरकार ने वह दे रखा है लीज पर, न मालूम कैसे दिया है लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने उनको दे रखा है इस शर्त से कि काश्तकारों को पानी देंगे लेकिन उन कुओं से किसी अन्य काश्तकार को पानी नहीं देता है और अपने आप निजी लाभ उठाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के संबंध में यह तो निश्चित निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कोई परमानेन्ट मेजर्स एडोप्ट नहीं करेंगे, प्राकृतिक संकट तो हमेशा ही आते रहते हैं और उसके लिए केन्द्र की तरफ

(श्री दिग्विजयसिंह)

देखते हैं यह आपके लिए भी शोभादायक नहीं है। बिहार में जब प्रेसिडेन्ट रूल था तो वहां भी अकाल के काम कराये गये थे और जहां तक मेरी जानकारी है फोरिन एजेन्सीज ने अपने हाथ में ट्यूब वेल डिग करने का काम लिया था। जिस क्षेत्र में अकाल रहता था वहां पर 150/200 ट्यूब वेल्स डिग कर दिये और आज वहां यह स्थिति उस कारण से कि अकाल पड़ भी जाय तो उसको मीट करने में वह सक्षम है। जालोर के लिए भी निवेदन किया कि दो सो ट्यूब वेल डिग करने की योजना थी, लाटी वगैरा में अकाल पड़ता है तो वहां पर भी ट्यूब वेल क्यों नहीं डिग कराती है जहां कि पानी उपलब्ध है तो यह अकाल की समस्या थोड़ी हल तो हो सकती है। यदि यह योजना आप काम में लें तो मैं समझता हूं कि आप काफी अकाल का मुकाबला कर सकते हैं। 67,68,69,70 की जो बकाया है उसका चुकारा कराया जाय। भ्रष्टाचार और घोटाले होते हैं उसके लिए एक कमेटी गठित करके सारे मामले की जांच करके राज्य सरकार को वह कम से कम अवगत तो कराये कि जो पैसा मिला है उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा !

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज आर्य !

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय !

श्री भैरोंसिंह : मुझे भी इस पर कुछ कहना है।

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय जी, मुझे भी कहने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दुर्भिक्ष चल रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव पहले रखा था लेकिन मैं भीलवाड़ा चला गया था इसलिए कट मोशन नहीं रख सका था। उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी बाड़मेर जिले के 850 गांवों में से 125 में अकाल है। राज्य सरकार ने उनको अभावग्रस्त भी घोषित कर दिया है। इन गांवों में कहीं तीन साल से, कहीं चार साल से, पांच साल से, छः साल से अकाल है। परन्तु इन एरियाज के अकालग्रस्त घोषित हो जाने पर भी वहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं और कुछ गांवों में तो जल कष्ट की ऐसी भयंकर समस्या है कि वहां पर पानी पहुंचाने की भी राज्य सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। बाड़मेर जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां पर भयंकर जल संकट है और ट्रकों के द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की तो भयंकर स्थिति हो सकती है। शिवकर, कडलू, रावतसर, चोलू, बादरसा, केरावा, रामसर, खड़ी, पाथर। इस प्रकार बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर चार साल से, पांच साल से अकाल है और पहले लगातार पानी पहुंचाने की व्यवस्था जारी थी रेलवे टैंकों और ट्रकों के द्वारा लेकिन दो तीन महीने से वह व्यवस्था बन्द है। जहां पर भयंकर अकाल पड़ते रहे और आप पानी की

(1.55 म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

व्यवस्था नहीं करें और पीने का पानी भी दुर्लभ हो तो यह कमी जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया और यहां पर प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। जहां पर पानी का भयंकर संकट हैं, वहां पर ट्रकों और टंकियों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें और रेलों के द्वारा टंकियों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था पहले थी वैसे ही फिर से चालू करें और आगे भी रखें।

अकाल राहत कार्य नहीं खोलने से लोगों की दुर्दशा हो रही है यह बताया जाता है कि कुछ फोरेस्ट का कार्य चल रहा है इसलिए अकाल के कार्य नहीं खोले जा सकते। कुछ रूरल वर्क्स सैंक्शन हुए हैं इसलिए नहीं खोले जा सकते। रूरल वर्क्स तो ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां कि अकाल नहीं है। अभी वे शुरू नहीं हुए हैं और जहां शुरू हुए हैं वहां बहुत ही कम लोगों को एम्प्लॉय किया गया है और मजदूरी मिलती है। जब ऐसे गांव हैं जिनमें लगातार अकाल है तीन, चार, पांच, छः वर्षों से और उन गांवों में अकाल के कार्य नहीं खोलते हैं तो उनकी बहुत बुरी हालत होती है। नहीं खोलने का कारण यह बताया जाता है कि दूसरे गांवों में जहां अच्छा जमाना है तो वहां जाकर व्यवस्था करें। आपको मालूम होना चाहिये और आप अच्छी तरह जानते हैं कोई पड़ोसी भी किसी दूसरे की खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता संकट के समय में भी जिससे कि मदद देकर गुजारा चल सके यह संभव नहीं है। तीन चार वर्षों से अकाल है वहां पर जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को चाहिये कि अकाल राहत कार्य खोलें। देरी हुई है उससे बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी हालत दयनीय हो गयी है और अकाल राहत कार्य नहीं खोलेंगे तो लोगों को गांव छोड़ कर जाना पड़ेगा जिस प्रकार कुछ लोगों को गांव छोड़ कर दूसरे गांवों में जाना पड़ा है बीकानेर और दूसरी जगह उनको ठेकेदार ले गये हैं। उनको गांव छोड़ना पडा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि अधिकांश लोगों को गांव छोड़ कर जाना पड़े।

पहले भी जो काम खोले गये हैं और जो अधूरे हैं उनको सम्पूर्ण करने के लिये कार्य करने चाहिये। सुझाव के तौर पर मैं बता सकता हूं। जालापास से हतान, अधिकांश गांव अकाल में आते हैं। इसी प्रकार सिवाना से लेकर बालर, रामसर से लेकर गाडुक, ये जितनी रोड्स बनी हैं ग्रेवल रोड्स बनी हैं और वहां पर पत्थर इकट्ठे किये हुए हैं। डिफेन्स पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेन्ट है। डामर की सड़क अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बन सकती है और लोगों को रोजी मिल सकती है। इसलिये उन्हें अकाल राहत कार्य में लेना आवश्यक है।

भू-संरक्षण का कार्य भी लिया जा सकता है। असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स हैं बाड़-मेर में उनको भी कार्य में लगा सकेंगे और लोगों को रोजी भी मिल सकेगी। छोटी सिंचाई और बांध और दूसरी किस्म के काम हाथ में लिये जांय और अधूरे काम हैं उनको सम्पूर्ण कराया जाय। ये काम हाथ में लिये जाने चाहिये। इसलिए मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि अकाल राहत मन्त्री जी से कि जल्दी से जल्दी मेरे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
जिले में अकाल राहत के काम खोले जायें और जिनकी जिन्दगी खतरे में है और जिनकी हालत दयनीय हो गई है उनको मदद पहुंचाएं।

अकाल राहत के कामों के बारे में मजदूरों की बकाया है, मैंने इस बारे में प्रश्न भी पूछा था, उत्तर में जो सरकार ने लिस्ट दी है उसमें सिर्फ आदमियों के नाम लिखे हैं पिता का नाम भी नहीं है, गांव के नाम का तो सवाल नहीं रह गया। इससे बिलकुल स्पष्ट है कि यह लिस्ट फर्जी है। इनमें उल्लिखित नामों को पढ़ने से भी संकेत मिलते हैं कि नाम भी फरजी लिखे गये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : राम राम।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं तो, गांवों के नाम और पिता का नाम लिखने में क्या दिक्कत थी उनको। इससे स्पष्ट है कि जितने काम करने वाले ओवरसीयर, इन्जीनियर वगैरह से फरजी कार्यवाही करते थे और मैं तो यह चाहता हूं कि इस लिस्ट के बारे में जब सरकार के पास पूरी इन्फोरमेशन आ गई है तो इसी को बेस बना कर जांच कराई जावे और जो अधिकारी इन्जीनियर ओवरसीयर आदि कार्यकर्त्ता दोषी पाये जावें उनको सख्त से सख्त सजा दी जावे ताकि आगे से लोगों को ऐसा करने का साहस न हो सके। आखिर गांव का नाम और पिता का नाम तक न लिखने का क्या कारण हो सकता है।

इस भ्रष्टाचार के बारे में मैंने पहले भी उल्लेख किया था। बहुत सी सड़कों के नाम ले लेकर कहा था। चोहटन से रामसर की सड़क के बारे में कहा था।

श्री श्रवणलाल : क्या आपने अपनी आंखों से भी देखे हैं ये काम ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : जी हां। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। भ्रष्टाचार वहां है यह तो बिलकुल दिन की तरह स्पष्ट है। तो इसकी जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को तुरन्त सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये ताकि वह औरों के लिये नसीहत का काम कर सके। यह तो उस लिस्ट की बात है जो सरकार के पास लिखित में आ गई है। इसी को बेस बना कर जांच पड़ताल कर ली जावेगी तो इसी से पता लग जावेगा कि इस में ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो या तो बिलकुल ही फरजी हैं या जो मर गये हैं या बोगस हैं। तो इसकी जांच की जानी चाहिए।

अकाल राहत में दो करोड़ के ऋण की व्यवस्था का उल्लेख किया गया पर मेरा निवेदन है कि यह इसका स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल के लिए तो हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मदद लेनी पड़ेगी। इस समस्या को पूर्वी राजस्थान की मुख्य समस्या मान कर इसका हल खोजना होगा। एक मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचना होगा। सारा देश और राजस्थान का बाकी का सारा हिस्सा प्रगति कर सकता है पर यह इलाका तो तभी कुछ आगे बढ़ सकता है जब यहां निरन्तर पड़ने वाले अकालों का स्थायी हल निकल सके।

राजस्थान नहर का इस सन्दर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। पर इससे राजस्थान के बाड़मेर जिले को कैसे विकसित किया जा सकेगा और भी उससे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दूर पड़ने वाले अकाल पीड़ित क्षेत्रों को कैसे राहत पहुंचाई जा सकेगी इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। नर्वदा स्कीम के बारे में कहा जा सकता है। पर मुझे तो इसके आने की गुंजाइश दिखती नहीं है।

मुझे खुद को भी बहुत शर्म अनुभव होती है इस साल राजस्थान में जमाना अच्छा है और हमारे भी कुछ गांवों में जमाना अच्छा है, पर कुछ गांवों में फिर भी अकाल है, इसको हमेशा के लिए मिटाया जावे, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा।

विद्युत् प्रसार इसका एक साधन हो सकता है। इसके बिना और कोई रास्ता हमें तो सूझता नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे उधर के लोग यह नहीं पसन्द करते कि अकाल के नाम पर भीख मांगें। हम किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहते। हम तो काम चाहते हैं।

कहा गया कि अकाल के नाम पर ड्यूटी हमें माफ कर दी जावेगी। हम यह माफी नहीं चाहते। हम तो काम चाहते हैं। इस माफी के नाम को लेकर चुनाव में लोगों को बहकाया गया पर वहां की जनता जानती है कि ऐसा नहीं होने वाला है और फिर माफी के नाम पर भीख मांगना वे पसन्द नहीं करते। यह जरूर है कि जब कठिनाई हो तो ऐसे स्थगित करने की मांग करें। जहां आठ आना, बारह आना का जमाना हुआ हो वहां। पर जहां 16 आना फसल हुई है वहां आप कुछ न दें।

भारत सरकार ने, लोन दिया राज सरकार ने हमें दिया तो हम अपनी रेपुटेशन रखना चाहते हैं, साख रखना चाहते है लौटाने की नीयत रखते हैं। आगे भी संकट पड़ सकता है, हमारी साख रहेगी तो आगे भी सहायता मिलने का रास्ता खुला रहेगा। इसलिए हम यह नहीं चाहते कि सरकार हमें मुफ्त में देती रहे। हम तो कहते हैं हमें उद्योग धन्धे दो, बिजली दो, राक फास्फेट भले ही लो ग्रेड का हो, जैसलमेर में निकला है, उसे विकसित करने के साधन दो। राजस्थान का कोई भी नागरिक भीख मांगना नहीं चाहता। बिहार में अकाल पड़ा, दूसरे साल और पड़ गया उनकी हालत खराब हो गई लंगर खोले गए लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता था। हम इस स्थिति में नहीं रहना चाहते। राजस्थान के नागरिक बहादुर हैं।

पर हम भी चाहते हैं कि अकाल के स्थाई हल के रूप में हमारे यहां बिजली दी जाय, उद्योग धन्धे पनपाये जावें और इस क्षेत्र को डेवलप करने की तरफ ध्यान दिया जाय।

डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड कायम किया गया। पता नहीं उसने क्या काम किया। कई स्कीमें बनाई गई। पर एक भी इम्पलीमेन्ट नहीं हो पाई। ऐसा लगता है उसका एक तरह से खात्मा ही हो गया है। तो कोई भी स्कीम आप बनावें उसे इम्पलीमेन्ट जरूर करें।

सुरक्षा की दृष्टि से भी यह सीमावर्ती क्षेत्र है और इस नाते भी अगर हमारे क्षेत्र में कुछ ज्यादा खर्चा हो उसे देश के हित में करना चाहिए। पूर्वी राजस्थान में ज्यादा खर्चा किया जा रहा है इस शोषण के विरुद्ध पश्चिमी राजस्थान ने नारा लगाया।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मैं कह रहा हूं पश्चिमी राजस्थान का मामला सुरक्षा का मामला है सीमा का मामला है हिन्दुस्तान पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। यह क्षेत्र अब तक काफी पिछड़ा रखा गया है। तो आपको इन सारी दृष्टियों से पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में कुछ सेक्रीफाइस करना होगा और इस क्षेत्र के लिए अब ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ताकि यह पूर्वी राजस्थान के समकक्ष आ सके और देश की सुरक्षा के हित में भी यह अच्छा होगा, देश का मनोबल बढ़ेगा वहां के निवासियों का मनोबल बढ़ेगा। तो आपको अब पश्चिमी राजस्थान की प्रगति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल भी जो गांव अकाल की चपेट में हैं वहां जल्दी राहत कार्य खोले जावें और अकाल के लिये स्थायी हल ढूंढा जाय और योजनाबद्ध तरीके से इस सीमावर्ती क्षेत्र का विकास किया जाय।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करता हूं···

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, कई वर्षों से यह पहला अवसर आया है जब प्रत्यक्ष में अकाल नहीं है लेकिन अकाल के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर यहां पर मिला है। वैसे तो राजस्थान में निरन्तर अकाल की स्थिति बनी ही रहती है परन्तु जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा हो उन क्षेत्रों का यदि भ्रमण किया जाये तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी यह लगता है कि राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के इलाकों में, सभापति महोदय, आप कहीं भी जाइए एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है "अकाल राहत कार्य" इस तरह की जानकारी इस बोर्ड के द्वारा मिलती है। कोई व्यक्ति जो राजस्थान से परिचित नहीं है वह इस भ्रम में रह सकता है कि यहां पर अकाल राहत का काम चल रहा है, लेकिन राजस्थान का व्यक्ति इस भ्रम में नहीं रहेगा। लेकिन यह उसको सन्देह अवश्य पैदा होगा कि अकाल राहत कार्यों के लिये इस प्रकार का पट बनवाने में जो लगभग 7 लाख रुपये का खर्चा हुआ है उस खर्चे का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है बल्कि इस खर्च में अनियमितताएं हुई हैं और उन पर पर्दा डालने की यह चेष्टा मात्र है।

सभापति महोदय, मैं सही आंकड़े तो इस सम्बन्ध में नहीं बता सकता और मैं समझता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वह कम ही होगी। सीमावर्ती जिलों में जो अकाल राहत काम खोले हैं और जो उसमें 7 लाख रुपयों के यह केवल पट बनाये गये हैं, अभी कोई बुद्धिमान सरकार होती तो इतना अवश्य अन्दाज लगा सकती है कि राजस्थान में हर दूसरे तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है, और अकाल राहत के काम खोलने पड़ते हैं और हमें फिर से इस प्रकार के पटों की आवश्यकता होगी तो अच्छा तो यह है कि अकाल राहत कार्यों के पटों को उतारकर चाहे यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से यह करावें या और किसी विभाग के माध्यम से एकत्रित किये जाकर जब कभी भविष्य में कोई काम हो तो उस काम के लिये सुरक्षित रख लिये जायें। आज कल आदत तो यह है कि वे

(श्री भैरोंसिंह)

पट जो लगे हुए हैं उनको लोग ले जा रहे हैं और उन पटों के लिये जो लकड़ियां लगी हुई हैं उनको भी ले जा रहे हैं और कई जगह लोहे की स्टेन्ड पर यह पट लगे हुए हैं उनको भी उखाड़ उखाड़ कर लोग ले जा रहे हैं शायद वे यह समझते हैं कि राजस्थान में कोई सरकार का राज्य नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्तियों ने इस शासन को सम्भाल लिया है कि वे जनता के धन की सुरक्षा की आवश्यक नहीं समझते हैं और प्रत्यक्ष में जो सरकार के धन का लॉस हो रहा है उसको रोकने का उनमें साहस नहीं है।

सभापति महोदय, अकाल पर जब भी चर्चा हुई है सरकार की ओर से एक बात कही जाती है कि अकाल के स्थायी समाधान करने की चेष्टा की जा रही है। इस वर्ष फसल अच्छी हो गई, चारा भी ठीक है लेकिन कुछ इलाकों में जहां पशुधन बहुतायत में था वहां तो अकाल की कृपा से वह लगभग काफी संख्या में नष्ट हो गया है। अब ऐसी हालत है कि चारा तो है लेकिन चारे को खाने के लिये पर्याप्त पशु नहीं है मुझे यह जान कर बड़ा अफसोस होता है कि अकाल का जिन दिनों में भयंकर रूप था राज्य सरकार बार बार यह कहती थी कि पशुओं को बचाने के लिये चारा नहीं है और इसलिये हम उत्तर प्रदेश से चारा खरीद रहे हैं, पंजाब से चारा खरीद रहे हैं, हरियाणा और मध्य प्रदेश से चारा खरीद रहे हैं, और ला रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से भविष्य में अकाल नहीं पड़ेगा और राजस्थान को चारे की आवश्यकता नहीं होगी। इस सदन में कई बार अकाल राहत मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को बार बार दोहराया है कि हम अकाल के लिये फोडर बैंक्स की व्यवस्था कर रहे हैं। चारा का स्टॉक किस प्रकार से बनाया जाये उसका हम पूरा इन्तजाम कर रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या आज जब राजस्थान में चारा सस्ता उपलब्ध है, और हर क्षेत्र में मिल सकता है, आप यह चारा सरकारी एजेन्सियों की मारफत कटवा कर इकट्ठा कर सकते हैं। इस स्थिति में भविष्य के लिये कितना चारा आपने एकत्रित किया है? यदि आप चारा एकत्रित नहीं करते हैं तो यह स्पष्ट है कि आप अकाल के दिनों में शायद आप इन व्यवस्थाओं की घोषणा करके जनता के मानस को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं। और वास्तव में अकाल के स्थायी समाधान करने का आपका कोई इरादा नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस वर्ष चारा को इकट्ठा करने की आपने क्या कोई योजना बनायी है और जिससे कि फोडर बैंक्स स्थापित किये जा सकें और अगले वर्ष भी चारा एकत्रित किया जा सके। यदि ऐसी कोई योजना है तो कितने रुपयों की है और इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना चारा कलेक्ट किया गया है।

सभापति महोदय, पानी के संकट की चर्चा कई बार इस सदन में हुई है। और जब भी चर्चा होती है तो राजस्थान की सरकार की ओर से एक ही उत्तर मिलता है कि हमें भारत सरकार से इस वर्ष इतने नलकूप खुदवाने के लिये पैसा मिला है और उस पैसे से इतने नलकूप तैयार करवाये गये हैं। और जब इन नलकूपों की स्थिति के बारे में मन्त्री महोदय से पूछा जाय तो अकाल राहत मन्त्री जी कहेंगे कि मेरे

Page No 100

(श्री भैरोंसिंह)

जिनमे तो एक कुआं भी नहीं है, एक ट्यूब-वेल नहीं है। ट्यूबवेल आर्गेनाईजेशन के मंत्री महोदय से पूछेंगे तो उनका भी एक ही जवाब होगा, हमारा काम तो कुए खुदवाने का था, हमने कुए खोद कर कृषि विभाग को दे दिये हैं, या जंगलात विभाग को दे दिये हैं और कई अन्य विभागों के अन्दर हमने इनका वितरण कर दिया है। लेकिन प्रत्यक्ष में मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान के अन्दर अधिकांश ट्यूबवेल आज बन्द पड़े हैं। आज गांवों में जो ट्यूबवेल हैं, एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा। शिव तहसील का हैड-क्वार्टर है। शिव के अन्दर पानी आता है। आज शिव के लोग तालाब का पानी जो बीमारियों का घर है उसका पानी पीने के लिये विवश हैं लेकिन जिस ट्यूबवेल का पानी दिया जाता था उसको वहां पर बन्द कर दिया गया है। सभापति महोदय, राजस्थान में इन सीमावर्ती जिलों के अधिकांश ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन ट्यूबवेल को खुदवाने से पाने के पानी की समस्या का समाधान हो गया है? क्या इन ट्यूबवेल्स पर मशीन फिक्स अप कर दी और उसके कारण लोगों के पेट में पानी चला गया? जो लोगों के प्राकृतिक साधन थे उन साधनों को ट्यूबवेल्स के कारण उजाड़ दिया गया है और जहां जहां भी ट्यूबवेल्स हैं वहां पर लोगों के सामने इस प्रकार की समस्या खड़ी हो गई है। जहां पर ट्यूबवेल खोदे गये हैं वहां पर भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिला है। राजस्थान सरकार ने कई बार यह कहा है कि हम पम्पिंग सेट्स से पानी निकाल रहे हैं, उससे हमारा खर्चा ज्यादा आता है। यह बात सही है कि बिजली की तुलना में आज की व्यवस्था में ज्यादा खर्चा होगा लेकिन सरकार को रोका किसने कि वह उन क्षेत्रों में बिजली नहीं ले जायें। इस सदन में कई बार चर्चा हुई है कि अकाल का स्थायी समाधान करने के लिये हमें वहां पर रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोगों को किस प्रकार का रोजगार मिले, किस किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाये और वहां किस प्रकार की व्यवस्था हो इस सम्बन्ध में सदन में कई बार विस्तार से चर्चा हुई है और यह भी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जब तक ट्यूबवेल्स पर बिजली नहीं होगी, छोटे मोटे कल कारखानों को सस्ती बिजली मुहय्या नहीं होगी, जब तक वहां के खनिज पदार्थों पर आधारित कारखाने स्थापित नहीं होंगे उन कारखानों के माध्यम से लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी और उस समय तक अकाल का स्थायी समाधान होना सम्भव नहीं है। अब राजस्थान की सरकार का यह कहना कि बाड़मेर, जैसलमेर में हाइडल पावर ले जाने से बहुत घाटा होता है मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने जो ग्राम विद्युतीकरण की योजना ली है उनमें अधिकांश योजनायें, सभापति महोदय, ऐसी हैं जो प्रोडक्टिविटि के आधार पर नहीं है बल्कि राजनैतिक पुष्टिकरण के आधार पर ली है और इसका कारण यदि आप देखें और ऑडिट रिपोर्ट को देखें तो करोड़ों रुपयों का घोटाला ग्राम विद्युतीकरण के नाम पर हो रहा है। आज राजस्थान की सरकार ग्राम विद्युतीकरण को काश्तकार के हित में कह कर चलती है

(श्री भैरोंसिंह)

और यह सही है इसलिये यह सदन इस स्थिति को भी स्वीकार करता है । मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं जिस क्षेत्र में अकाल के नाम पर आपने अब तक सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिया । यदि राजस्थान की सरकार को एक वर्ष में और एक साल से लेकर अगले पांच साल में प्रारम्भिक काल में दो तीन करोड़ का घाटा भी होता है तो क्या इस घाटे को सहन करने की स्थिति सरकार में नहीं है लेकिन सरकार का मन हो और उस क्षेत्र के प्रति गंभीर चिन्तन कर रही हो, मन से वेदना हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं राजस्थान की सरकार घाटा खाकर उस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेगी । उस कारण जो ट्यूबवैल खोदे गये हैं उनका पानी बाहर आयेगा और लोगों को सस्ता पानी मिलेगा । लोग स्वयं अपने ट्यूबवैल खोदकर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और पीने का पानी मुहैया करेंगे लेकिन आज ट्यूबवैल के खर्चे को देखकर साधारण आदमी साहस नहीं कर सकता है कि वह ट्यूबवैल खोदने की हिम्मत कर ले। अब ऐसी स्थिति में सभापति महोदय राजस्थान के पास कोई पैसे की कमी नहीं है । अकाल के नाम पर भारत सरकार से पैसा ले लिया लेकिन संकट इस बात का है पैसे का सदुपयोग करने की ताकत राजस्थान सरकार को है या नहीं । अकाल के नाम पर जितना वाद-विवाद इस विधान सभा में हुआ है उसको संतुलित रूप में देखा जाय तो उसका एक परिणाम निकलता है जिसका समर्थन सत्ता रूढ़ पार्टी के लोग, विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने सबने एक स्वर से अवाज उठाई है कि अकाल राहत के कार्यों में भयंकर रूप में भ्रष्टाचार हुआ है । सभापति महोदय यह राजस्थान है जहां पर पत्थर भी मौजूद है, जहां कुछ दूर पर पानी भी मौजूद है और जहां सस्ती लेबर भी मौजूद है उस राजस्थान में कई सड़कें हैं जिन पर तीन तीन लाख खर्च हुये हैं । एक सड़क भीलवाड़ा जिले में है जिसमें दो मील पर 16 लाख खर्च हुआ है । अब यह कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इन सड़कों पर इतना खर्चा हो सकता है । भीलवाड़ा जिलाधीश को अकाल के नाम पर छानबीन करने को कहा गया और छानबीन करने के बाद जो कुछ बातें मालूम करते हैं उस आधार पर लगभग 20 लाख रुपयों की अनियमितता पाई गई । इस सदन में चर्चा हुई और सदन के बाहर भी कहा गया, मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि भीलवाड़ा में भयंकर रूप से अनियमितता प्रकट हुई है । कलेक्टर ने जांच की और जांच करने बाद जो व्यक्ति दोषी था उसमें उसका संकेत था । उसकी जिम्मेदारी में कितनी ही अनियमिततायें हुई हैं और उसमें उसका उल्लेख किया गया और सभापति महोदय सारी अनियमितता में किनका संरक्षण प्राप्त था उसमें, यह भी संकेत दिया गया है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कलेक्टर ने कुछ ऐसे भी मामले पकड़े हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में राजस्थान के एक वरिष्ठ मंत्री का भी हाथ है । जब ये बातें समाचार पत्रों में आई तो लोगों के चर्चा का विषय बन गया तो सभापति महोदय हमारी सरकार की एक आदत हो गई है चाहे वह केन्द्र की सरकार हो और चाहे कोई भी

(श्री भैरोंसिंह)
प्रादेशिक सरकार हो किसी भी गंभीर मसले को दबाना है तो कोई कमीशन नियुक्त कर दिया जाय या किसी तरह की और व्यवस्था कर दी जाय ताकि उस समय तक वह स्थिति भूल जाय और वह खामोशी में पड़ी रहे और कोई एक्शन न लिया जाय। मैं अकाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने निर्वाचित कर आपको इस सदन में भेजा है और सौभाग्य से आप राजस्थान के अकाल राहत मंत्री बन गये। क्या आप कह सकते हैं भीलवाड़ा में जिस प्रकार की अनियमितताये हुई हैं उसमें कलेक्टर ने जो जांच की है क्या आप उन दोषी व्यक्तियों का डाइरेक्ट प्रोसीक्यूशन नहीं करवा सकते हैं। उन लोगों को डाइरेक्ट पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता है। आपने तीन अधिकारियों की एक समिति नियुक्त कर दी वह अधिकारी सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं आज के आपके युग में साहस नहीं कर सकता है किसी भी बात के कहने को जिसमें सरकार के वरिष्ठ लोगों का हाथ हो वह कोई संकेत अपने प्रतिवेदन में कर दें। इस सबके लिये सरकार लीपापोती करने जा रही है।

इसी तरह सभापति महोदय, पाली जिले में भयंकर अनियमितताये और काण्ड हुए हैं। उस समय भी सरकार ने समिति नियुक्त कर दी। वह समिति क्या कर रही है, उस समिति ने अभी तक अपना कोई प्रतिवेदन नहीं दिया तो कहने का मतलब यह है कि सरकार ने विधान सभा में किसी भी मामले को रोंग बॉक्स में फंसाते हैं तो उसको बचाने का एक ही तरीका है—हम समिति नियुक्त कर रहे हैं, हम इस मामले को पुलिस में दे रहे हैं, मामले की इन्क्वायरी करा रहे हैं ये सब बाते चलती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं पाली और भीलवाड़ा जिले में लाखों रुपयों का गबन हुआ है, लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है क्यों नहीं आप उसको पकड़ते हैं जिसके आधार पर उन लोगों के चेहरे स्पष्ट नजर आ जायं, जो ईमानदारी के नाम पर शोषण कर रहे हैं, जो अकाल के नाम पर राजस्थान की जनता का धन लूट रहे हैं लेकिन आप उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे एक नहीं सभापति महोदय बाड़मेर, जैसलमेर में कितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें इस राजस्थान सरकार को मिली है। कई सड़कों के सम्बन्ध में वहां के पंचायत के प्रधान जिनके बारे में अकाल राहत मंत्री जी अच्छी तरह जानते है उनसे कई बातों की जानकारी मिली हैं। कई बार सदन में भी कहा गया है, आप जांच करवायें लेकिन इस जांच की कोई सीमा है ? किस समय तक यह चलेगा ? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थान की सरकार को डंक मार गया है कि किसी भ्रष्टाचारी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। मैं समझता हूं सभापति महोदय या तो यह सवाल तय कर देना चाहिये कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना ही नहीं चाहेगी और यदि करना चाहेगी तो उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेगी इस सरकार से यह अहसास नहीं हो सकता है कि उसके विरोध में कोई एक्शन ले। माननीय सदस्य जो बाड़मेर से आये हैं, इस सदन में कई बार बोले हैं, बाड़मेर पंचायत समिति के प्रधान ने (विराम) रामसर चौहटन सड़क पर कितने रुपयों का गबन किया और कितना घोटला

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ है और आपने कितनी बार इस सदन में आश्वासन दिया कि जांच करवा रहे हैं। मैं जानकारी करना चाहता हूं दो तीन साल से जांच चल रही है, आप उसको क्यों नहीं पूर्ण करवा सके। उस जांच के सम्बन्ध मे आपने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया ? सभापति महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जब भी अकाल पड़ता है, राजस्थान की सरकार बड़ी गंभीरता से बात करती है और कहती है हम तो अकाल का काम खोलना चाहते हैं लेकिन फावड़े और कुदाली नहीं मिलती है। गर्मी और सर्दी की परेशानी के कारण इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई बार उनकी छाया के लिए मांग की तो कहते हैं हमें सरकियां नहीं मिल रही हैं, सरकियों के लिये सवाई माधोपुर को लिखा जा रहा है कि हमें सरकियां भेजी जायं, बाकी का इन्तजाम तो जैसे कोई महत्त्व ही नहीं रखता है। हमें सिरकियां खरीदने की फुरसत नहीं, हमें तगारी और फावड़े काफी मेहनत करने के बाद कुछ मिले हैं और मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से लेकर पिछले दस वर्षों में जितने भी आपने टूल्स और प्लान्ट्स के नाम पर खर्च किये हैं क्या उस खर्च का आपने कोई फिजिकल वेरीफिकेशन कराया ? क्या राजस्थान की सरकार इस पोजीशन में है ? जो कहा गया कि आज से 1 साल पहले हमने 5 हजार फावड़े खरीदे थे, 10 हजार परातें खरीदी थीं, 20 हजार सिरकियां खरीदी थीं—यह खरीदी हुई चीजें आज के दिन इनटेक्ट हैं। सभापति महोदय जिस समय अकाल का काम बन्द होता है उस समय सामान की बिक्री लगती है टूटी हुई परातें लेना, पैसा लेना और नयी परातें उनको देना—यह सामान इस तरह वितरित किया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि यह मामला पहले भी सदन में आया और जिस समय अकाल राहत के कार्य खुले उस समय भी पूछा गया था असेम्बली में कि अकाल पहले वर्षों में कितने टूल्स और प्लान्ट्स के नाम पर जो सामान का क्रय किया उसका आपने हिसाब किया या नहीं किया। सभापति महोदय आपको ताज्जुब होगा कि जोधपुर के कलेक्टर ने सिरकियां खरीदी, सिरकियां डिफेक्टिव थी और जो सिरकियों का नाप दिया गया वे उस नाप की नहीं थी और जांच चल रही है मेरी जानकारी के अनुसार......

श्री वृद्धिचन्द जैन : कौन सी जगह ?

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर में। अब वह सिरकियां तो गायब हो गयी और उनकी अब जांच होगी। उसी तरह से सामान तक गायब हो रहा है। वैसे मैं नहीं कहता मंत्री महोदय जानते हैं कि अकाल के नाम पर क्या क्या चीज खरीदी गयी थीं। अकाल के नाम पर पर्दे खरीदे गये, अकाल के नाम पर कुर्सियां खरीदी गयीं, अकाल के नाम पर मेजें खरीदी गयीं, अकाल के नाम पर घड़ियां खरीदी गयीं, अकाल के नाम पर रेडियो खरीदे गये। जो कुछ जिस अधिकारी के जच गया अकाल के नाम पर सारी खरीद फरोख्त की गयीं....

श्री वृद्धिचन्द जैन : घड़ियां और रेडियो नहीं खरीदे होंगे,

श्री भैरोंसिंह : आपको तो बाड़मेर का ही नहीं पता। मंत्री जी बैठे हैं उनसे कहलवा दो।

Page No 104

श्री वृद्धिचन्द जैन : वह कह देंगे ?

श्री भैरोंसिंह : मैं बता देता हूं झालावाड़ में खरीद की गयी।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमें पैसा दिया। भारत सरकार के पैसे देने के बावजूद जो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस पैसे का सदुपयोग हो तो स्पष्ट रूप से राजस्थान की सरकार पर चार्ज है कि राजस्थान की सरकार ने इस अकाल के काल में इतनी प्रशासनिक अयोग्यता दिखाई है कि जिस अयोग्यता के कारण लोगों को जितनी रिलीफ मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय शायद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां सड़कें नहीं बनाई गई वहां पर मिट्टी खुदवाई और वहां पत्थर पहाड़ों से तुड़वाये गये और उसकी छोटी-छोटी रोड़ियां बनवाई गई और उसके बाद नाप जांच से उनका पेमेन्ट किया। अब मंत्री महोदय केवल एक ही बात का जवाब दे दें उनकी योग्यता का और प्रशासन के नाते उनका इस विभाग पर कितना कन्ट्रोल है ? आज यह कह कर बच जायें तो कह नहीं सकते कि सारे काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से होते हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज लगायें तो कहेंगे कि नवाब साहब जानें और नवाब साहब से बात करेंगे तो वह कहेंगे कि परसराम जी मेरी चलने नहीं देते हैं और मैं तो नाम मात्र का मंत्री हूं मेरी कोई नहीं सुनता। और उनको यदि ज्यादा उत्तेजना दिलाई जाये और कहा जाये कि नवाब साहब आप सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं और आप उनसे ज्यादा सीनियर भी हैं तो वे जोश में टेलीफोन करेंगे चीफ इन्जीनियर को तो टेलीफोन पर चीफ इन्जीनियर नहीं हैं। खैर, सुखाड़िया जी ने पिंजरापोल भर रखा है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस स्थिति के अन्दर जिस गिट्टी का जिस हिसाब से पेमेन्ट किया गया है गिट्टी उठाने का कॉन्ट्रैक्ट आपने जिन लोगों को दिया क्या गिट्टी की जितनी रकम मिलनी चाहिए थी वह आपको मिल गयी ? आपका हिसाब जिस समय आयेगा उस समय आपको स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि न तो गिट्टी खुदी थी जितना आपने पेमेन्ट किया। आपने सब चीजों के माप निर्धारित कर रखे हैं कि इतनी रोड़ी तोड़ेंगे तो इतना पेमेन्ट, इतनी गिट्टी खोदेंगे तो इतना पेमेन्ट होगा। वह गिट्टी तो खुद गयी, पेमेन्ट पूरा किया गया है। अब उस आधार पर गिट्टी को दूसरी जगह डलवा रहे हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो एक तो सभापति महोदय गिट्टी खुदी नहीं और उतने का पेमेन्ट कर दिया। उस जगह राजस्थान की सरकार को घाटा हुआ। अब जितनी गिट्टी का पेमेन्ट हिसाब से सरकार ने कर दिया 700 का तो 700 के हिसाब से जितनी गिट्टी तोड़ी हैं उसको हटाने का राजस्थान की सरकार ने टेण्डर मांगा। तो टेण्डर लिया वह जानते थे कि हमें बहुत कम उठानी थी इस लिए बहुत अच्छी रेट्स के टेण्डर मन्जूर करवाये और जहां गिट्टी डालनी चाहिए थी वहां सार्वजनीक निर्माण विभाग ने कह कर कि गिट्टी कम है, रोड़ी कम है हमें और मंगानी चाहिए तो एक गलती के

(श्री भैरोंसिंह)

कारण से राजस्थान सरकार को तीन जगह भुगतान करना पड़ा। अब उस स्थिति में जिम्मेदारी किसी की है? मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि जो इस विभाग के मन्त्री हैं जिनका सुपरवाईजरी कन्ट्रोल भी है, जो अपने आपको बहुत मेहनती भी बताते हैं और मेहनती हैं, मैं भी कहूं तो आपत्ति नहीं लेकिन सारी मेहनत के उपरान्त अगर उनकी मेहनत केवल यही रही कि गांवों में घूम लें और जहां चाहें सड़कों का काम खुलवा दें, जिला परिषदों की उपेक्षा कर लें, पंचायत समितियों के प्रस्ताव नहीं लें अगर इसी में वे व्यस्त रहे तो बात दूसरी है बाकी नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से कहीं भी सुपरवाईजरी कन्ट्रोल को एक्सरसाइज किया है तो मैं एक ही उदाहरण मन्त्री महोदय का देना चाहूंगा कि उनके कारण से इस विभाग में इस सीमा तक करप्शन रुका है।

सभापति महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था और मैं भी कहना चाहूंगा कि अकाल में जो हमने सड़कों के नाम पर पैसा खर्च किया है अगर आप उन क्षेत्रों में जायें तो सड़कें या तो मस्टर रोल में मिलेगी या फिर सड़कें आपको पी० डब्लू० डी० के नक्शों में मिलेगी। बाकी अकाल के दिनों में जो सड़कें बनी उनमें और साधारण मार्ग बने हैं, उनमें कोई अन्तर नजर नहीं आता सिवाय इसके की जो साधारण तौर पर सड़कें बनी हैं, वहां तो अकाल राहत कार्य का बोर्ड नहीं है और जो सड़कें अकाल राहत के अन्तर्गत बनी हैं उन के ऊपर बोर्ड लगे हैं। मैं तो अच्छा समझता कि उस बोर्ड के ऊपर अकाल राहत मन्त्री जी का बोर्ड भी लगा दिया जाता तो कम से कम लोग यह तो महसूस करते कि ये इसके इन्तजार में बैठे हैं कि कब तो अकाल हो और कब इसका उपयोग हो। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपने सब विचार किया आप कहते थे कि हमें समय नहीं मिलता। भारत सरकार भी कहती थी कि राजस्थान की सरकार को कोई ना कोई अकाल का स्थाई समाधान करने की व्यवस्था करनी चाहिये। आप अभी तक फेमिन कोड नहीं बना पाये हैं और जो भी फेमिन कोड बना हुआ है वह भी माननीय मन्त्री महोदय जो कि अकाल राहत के हैं उनके शब्दों में वेस्ट है। और जब उनकी मर्जी का काम करना है तो उस समय फेमिन कोड का नाम ले लेंगे। यह तो फेमिन कोड नहीं हुआ बल्कि एक प्रकार का प्रोटेक्शन कोड हो गया। किसी अनियमित कार्यवाही को दबाना है तो फेमिन कोड और किसी क्षेत्र में काम नहीं खोलना हो तो फेमिन कोड नहीं। किसी क्षेत्र में अनियमित काम खोल दिये हैं तो उसको कवर अप करने के लिए फेमिन कोड। इस सदन में कई बार दोहराया गया है कि राजस्थान सरकार को एक काम्प्रीहेन्सिव फेमिन कोड बनाकर विचारार्थ इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिये। मैं राजस्थान के मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज तक आपने इस फेमिन कोड के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), अकाल के दिनों के लिए फेमिन कोड में जो व्यवस्था की गई है कि अमुक तारीख तक जिलाधीश रिपोर्ट करेगा, अमुक तारीख तक पटवारी रिपोर्ट करेगा फसल के बारे में, उसके बाद में

(श्री भैरोंसिंह)

गिरदावर जांच करेगा फिर तहसीलदार टेस्ट चैकिंग करेगा, एस० डी० ओ० और कलेक्टर टैस्ट चैकिंग करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे कि अमुक तारीख तक किस क्षेत्र में कितनी फसल हुई हैं कहां पर अकाल घोषित करना है और कहां पर अकाल राहत कार्य खोलने हैं इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे। मैं और सालों का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने इस साल भी अकाल घोषित किया है मगर मैं समझता हूं कि फेमिन कोड में दी हुई कार्य प्रणाली या आपके द्वारा निर्धारित कार्य-प्रणाली के अनुसार प्रतिवेदन आये हुए नहीं हैं।

बाड़मेर जिले में, सभापति महोदय एक अजीब बात मिली। मैं चुनाव के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां पर सड़कों के किनारे पेड़ लगाये जाने की योजना है। मैंने पूछा कि यह योजना किस विभाग के अन्तर्गत है तो कहा गया कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्तर्गत चल रही है। सारे राजस्थान में लगभग 60 लाख रुपये खर्च करने का अनुमान है। उसका कुछ हिस्सा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में है। लेकिन इस समय सर्दी में खड्डे खुद रहे हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि गर्मी के दिनों में वह खड्डे भर जायेंगे। मिट्टी वहां इतनी उड़ती है कि जिस समय बरसात आयेगी और पेड़ लगाने का सवाल पैदा होगा उस समय तक खड्डे भर जायेंगे, और यदि बरसात के शुरू में ही खड्डे खोदे जायं तो बरसात तो कोई हमेशा होती नहीं है। वहां तो कुछ समय के लिए बरसात आती है। एक बरसात के समय खड्डे खोदे जायेंगे तो दूसरी बरसात के समय तक भर गये तो उसमें पेड़ नहीं लगेंगे। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने इन पेड़ों पर 60 लाख खर्च करने की योजना बनाई है तो आपके दिल में यदि रोजगार देने की बात थी, आपके दिल में सड़कों की स्थिति सुधारने की बात थी तो जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं यदि उन सड़कों की जल्दी मरम्मत नहीं करेंगे तो पहले जितना पैसा उन पर खर्च हो गया है वह पैसा बरबाद होगा और भविष्य में फिर से उन सड़कों के बनाने की योजना हुई तो और पैसा खर्च होगा। सर्दियों में खड्डे खोदे पेड़ लगाने के लिए और गर्मियों में खड्डे भर जायेंगे और बरसात में पानी आयेगा तो न तो पानी पेड़ में जायेगा और उन खड्डों में भरेगा और राजस्थान की जनता का यह पैसा जो पानी की तरह से बहाया गया है वह बेकार जायगा। यह आपकी स्थाई योजना है अकाल का इन्तजाम करने के लिए? अगर यही आपकी स्थाई योजना है, अकाल का समाधान भी इन्हीं बातों से आप करवाना चाहते हैं तो, मंत्री महोदय, माफ करें, राजस्थान की जनता आज तक अकाल से पीड़ित रही है और अकाल से पीड़ित रहेगी और आप लोगों को करना कराना क्या है कि जिस समय अकाल आये उस समय गांवों में जाकर अकाल राहत के नाम पर लोगों को ओब्लाइज करें और उस ओब्लीगेशन को जो अकाल से पीड़ित हैं वे मजबूरी के कारण सरकार के उस अहसान को मान लें और उस अहसान से आपसे दबे रहें।

(श्री भैरोंसिंह)

अगर यही अकाल के पीछे सरकार की चिन्ता है तो मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जिसके लिए पैसा खर्च किया जाय उसको फायदा न हो और उस पैसे का भुगतान राजस्थान की बाकी की जनता को करना पड़ता है। भारत सरकार पैसा देती है तो वह हिन्दुस्तान की जनता को चुकाना पड़ता है। राजस्थान की जनता पैसा देती है तो वह अकाल के काम में आता है तो वह पूरे राजस्थान की जनता को चुकाना पड़ रहा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस अकाल के संबंध में स्थाई समाधान करें। आप इस साल मौन क्यों बैठे हैं। राजस्थान में फिर अकाल आ सकता है, भगवान करे न आये, लेकिन लगता ऐसा है कि जब से बाड़मेर के माननीय सदस्य जीतकर आये हैं अकाल लगातार पड़ रहा है.....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: मैं जीता उस समय तो बढ़िया जमाना था और इस साल भी अच्छा जमाना है। कुछ गावों में जरूर अकाल की स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आप जीते...

एक माननीय सदस्य (विपक्ष): अकाल में ही जीते हैं और अकाल में ही जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आप जीते थे उस समय फसल अच्छी थी और आपके जीतने के बाद वह फसल सूख गई है और आज तक फसल नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरे जीतने के बाद से बरसात होकर जमाना अच्छा आया था।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो रोज आपसे यही सुनता हूं कि बाड़मेर में अकाल पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। आपके मुंह से यही निकलता है तो या तो आप गलत कहते हैं या फसल खड़ी है। तो दोनों में से एक बात कहना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: आपने जब से उधर आना शुरू किया अकाल पड़ने लगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरे तो जाने से ही अकाल पड़ गया लेकिन आप चले गये तो जो कुछ धरती में पड़ा हुआ है, खोखला है वह भी सूख जायगा।

श्री सभापति : (श्री वृद्धिचन्द्र जैन के उठने पर) इट इज नाट ए चार्ज इट इज ए जोक।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दरअसल में इनका जोक प्रचार के लिए है। अमृत नाहटा सदस्य बने और इसके कारण से अकाल आया। यह इनका प्रचार था। इस वैज्ञानिक युग में इस प्रकार का प्रचार करते हैं तो इनकी बुद्धि को दाद देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह मेरी बुद्धि को दाद देना चाहते हैं...

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, खास बात तो यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी सुखाड़िया है ना इसलिए राजस्थान में सूखा हो गया।

श्री भैरोंसिंह : तो यह किसकी बुद्धि को दाद देना चाहिए और खास कर इस

Page No 108

(श्री भैरोंसिंह)
वैज्ञानिक युग में। मैंने जो यह कभी नहीं कहा। मैं माननीय सदस्य आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ें। कभी आपके किसी व्यक्ति को, राज्यपाल महोदय को जो कि इस वैज्ञानिक सरकार के शीर्ष पर हैं उनके द्वारा कभी यह कहते हुए सुना है कि हम बारिश के बहुत बड़े आभारी हैं कि इस साल फसल करदी। इस वैज्ञानिक युग में आपकी सरकार के प्रवक्ता, आपकी सरकार के हैड जो इस समय राज्यपाल महोदय हैं वे अपने अभिभाषण में इन्द्र देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं··

श्रीमत लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: इन्द्रदेव वहीं प्रकृति अनुकूल है तो प्रकृति देवता के लिए कहा है।

श्री विजयसिंह : धन्य हो लक्ष्मी जी।

श्री भैरोंसिंह : प्रकृति के नाम की पूजा की, भगवान इन्द्र देव के नाम की पूजा की है या बारिश की पूजा की है यह मैं नहीं कह सकता लेकिन जो कुछ कहा है वह यह है कि बारिश के हम बहुत कुछ आभारी हैं तो इस वैज्ञानिक युग में इतना कहें तो उचित नहीं वृद्धिचन्द्र जी के हिसाब से। उनके हिसाब से आज इस प्रकार की कृतज्ञता प्रकट नहीं करनी चाहिये···

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिचुएशन के आभारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : परिस्थितियां कई आयेंगी और कई चली गई, क्योंकि गवर्नमेंट के अभिभाषण के शब्दों में हेर फेर नहीं हो सकता है।

आज ऐसी स्थिति है कि इस वर्ष अवसर था राजस्थान सरकार के पास कि अकाल के स्थायी समाधान पर विचार करने का। इस वर्ष का अवसर था फेमिन कोड बनाने का। इस वर्ष का अवसर था राजस्थान सरकार को और अधिक ट्यूबवैल खोदने का और जो ट्यूबवैल चालू हुए हैं उनको परमानेन्ट चालू रखने की व्यवस्था पर विचार करने का इस वर्ष राजस्थान सरकार के पास फोडर था, फोडर बैंक बनाने का अवसर था, पर फोडर बैंक बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा चारा एकत्रित करने की ओर राजस्थान सरकार ने विचार नहीं किया। इस वर्ष अवसर था कि पिछले अकाल में जितनी अनियमितता हुई हैं उनकी रोकथाम करके अनियमितायें करने वालों को दण्ड देने के लिए। इस समय अवसर था कि अकाल के नाम पर आवश्यक सामग्री पर जो खर्चा हुआ है उस खरीदी हुई सामग्री को सुरक्षित भण्डारों में रखकर भविष्य में काम आयेगी इसके लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने इन मुद्दों पर कोई भी काम नहीं किया। वृद्धिचन्द्रजी और मनोहर सिंह जी मेहता कह रहे थे कि राजनैतिक दल और राजनैतिक नेता गवर्नमैंट की तरफ के अकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार जनता को ओर्गनाइज करने का, जनता पीड़ित हो और सरकार के सामने याचक के रूप में आये और वह अकाल राहत कार्य खोलकर उन पर अहसान करे, उस सारी स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एसी स्थिति में मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने अकाल के नाम पर जो काम किया है जो अकाल के सम्बन्ध में भविष्य

Page No 109

(श्री भैरोंसिंह)

के लिए इन्तजाम करने की दृष्टि से जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं अभी तक हुई हैं उनको सामने रखकर काम करना चाहिए था वह नहीं किया उसकी जितनी निन्दा की जाय उतनी ही थोड़ी है, और उसी निन्दा के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बिरदाराम (जालौर सु०): सभापति महोदय, हमारे जालौर में अकाल राहत मंत्री महोदय ने जालौर से भीनमाल, आकोली से सिवाड़ा की सड़क की मंजूरी दी थी। उस सड़क के टेन्डर भी मंजूर हो गये हैं लेकिन अभी तक उसका काम चालू नहीं हुआ है। पिछली साल जो थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था, वह काम अधूरा रह गया है। उस वक्त में इस सड़क के लिए टेन्डर नहीं दिये थे और न ही टेन्डर मंजूर हुए थे। अब मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करायें।

अटाड़ा बांध है, उसका भी काम अधूरा है। मंत्री महोदय ने इस काम की मंजूरी नहीं दी है क्योंकि अभी तक टेन्डर नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस काम को भी जल्दी से जल्दी मंत्री महोदय मंजूर करवा कर इसको पूरा करायें...

श्री श्रवणलाल : उस अकाल के पैसे से तो आप जीत कर यहां आ गये, इस लिए वह काम बन्द हो गये। आप अकाल के पैसे से यहीं जीत कर आ गये हैं।

श्री बिरदाराम : आपको क्या मालूम है। मैं तो पहले भी अपने बल पर जीता हूं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी गन्दी बातें आपस में नहीं करनी चाहिए।

श्री बिरदाराम : मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी टेन्डर करवा कर उसको मंजूर कर के इस काम को पूरा करायें।

तलाप तालाब है, वह भी महत्वपूर्ण तालाब है। उसको भी अकाल राहत मंत्री जी ने हाथ में लिया नहीं है। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करदूं, इस काम को भी हाथ में ले लिया जाय, जिससे काफी जमीन में सिंचाई होगी और हमेशा के लिए अकाल से भी मुक्ति मिलेगी

मैं एक सड़क के बारे में निवेदन करूं कि भिनमाल से साइला तक की सड़क पिछली साल हाथ में ली गई थी। वह सड़क आज अधूरी है, उसको इस साल हाथ में नहीं लिया गया है। वह सड़क उम्मेदावास तक बन गई है, अब केवल साइला तक अधूरी है। उस सड़क को बनाने के लिए रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, इससे जो मोटर गाड़ी वगैरह चलती है उनको काफी दिक्कत पड़ती है। इसलिए इस सड़क को हाथ में लेकर इसको पूरा करवा दिया जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि जो काम अधूरे पड़े हैं, जो सड़कें टूट जाती हैं उनके कारण से बरसात में काफी दिक्कत होती है और मोटर गाड़ी उन पर नहीं चल सकती है। अगर मोटर गाड़ी उस पर चलें तो उनके टायर फट जाते हैं। हम ठेकेदार को कहते हैं तो वह कहता है कि मेरी बस, गाड़ी खराब हो जाती है, टायर फूट जाता है इसलिए नहीं चलाऊंगा। इसलिए जो काम अधूरे पड़े हुए हैं या जो सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, जहां पत्थर और

(श्री विरदाराम)

कंकरी पड़ी हुई हैं, वहां उन कामों को पूरा करवाया जाय। आज स्थिति यह है कि बस रास्ते पर नहीं चलती है, नीचे जो कच्चा रास्ता है उस पर चलती है। इससे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जालौर जिले में जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं उनको जल्दी पूरा करवाया जाय।

सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो लाल भाखरी है, कसेड़ी भाखरी है, वहां पर कैम्प थे। उन केम्पों पर काफी सामान पड़ा हुआ है, कंकरी पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और भी काफी सामान पड़ा हुआ है। पिछली साल उस सामान की माप क्या थी और अब कितनी रह गई है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस सामान की माप करवाई जाय जिससे मालूम हो सके कि जितना माल था वह आज है या नहीं कितना माल गायब हुआ है। और जो माल गायब हुआ है उसकी जांच करवाई जाय और जांच में दोषी पाये जायें उनको सजा दी जाय, मेरा निवेदन है, उस सामान की माप करवाई जाय।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि अकाल हर साल, तीसरे चौथे साल जालौर, बाड़मेर में जरूर पड़ता रहता है, अकाल से मुक्ति पाने के लिए वहां कुछ ट्यूब वैल बनावाये हैं लेकिन अभी वह चालू नहीं हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन ट्यूब वैल को जल्दी से जल्दी चालू किया जाय जो ट्यूब वैल खोदे हुए हैं और जहां पर ट्यूब वैल खोदने की योजना है, वहां पर इस काम को जल्दी कराया जाय।

इसके अलावा साहा नदी का पानी जवाई बांध में आता है और वहां से पानी जालौर में आ सकता है। उसका पानी जालौर में भेजा जाय तो उससे अकाल से राहत मिल सकती है। (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूं कि नर्वदा नदी है, इसकी एक स्कीम बनी है, जिला जालौर में इस नदी को लाने की। यदि यह नदी जालौर में आ जाती है तो इससे जालौर और बाड़मेर को काफी लाभ मिलेगा और अकाल से भी काफी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जालौर में नर्वदा नदी को जल्दी लाने की स्कीम बनाई जाय और इस स्कीम के बारे में भारत सरकार को लिखा जाय क्योंकि जल्दी ही जालौर में नर्वदा नदी का पानी लाना जरूरी है।

हमारे यहां पर बहुत सारे कुएं हैं जब बरसात नहीं होती है और अकाल पड़ता है तो उन कुओं से सिंचाई लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां लोग गरीब हैं और वह पम्पिंग सेट वगैरह नहीं लगा सकते हैं कुए पर मशीन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक मशीन पर कम से कम पांच हजार रुपये खर्च होते हैं। वह लोग गरीब होने के कारण पांच हजार एक मशीन पर खर्च खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर वहां पर बिजली पहुंचा दी जाती है तो पांच हजार के बजाय पांच सौ में उनका काम हो जाता है। इसलिए वहां पर बिजली जल्दी भेजने की जरूरत है। इस से

(श्री बिरदाराम)
काश्तकारों को अकाल से काफी मुक्ति मिल सकती है और वह अनाज भी काफी पैदा कर सकते हैं।

अब मैं निवेदन करूं कि हमारा पिछड़ा जिला है, इस पिछड़े जिले में न तो कोई इण्डस्ट्री है न कोई और धन्धा। इसलिए यहां पर उद्योग खोलने की जरूरत है क्योंकि यहां पर हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है, इसलिए अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए यहां पर कोई उद्योग खोलने से यहां के लोगों को काफी सहायता मिल सकती है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय?

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : चेयरमैन महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है लेकिन अकाल के सम्बन्ध में जो मेरे क्षेत्र की बात है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। 1967 और 1969 में मेरे क्षेत्र में अकाल राहत काम चले, और 1970 में भी अकाल राहत काम चले। इसके बाबत मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मुझे आप क्षमा करें, मैं केवल पांच मिनिट के अन्दर मेरे क्षेत्र के अकाल राहत के विषय में थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

श्री सभापति : जगन्नाथ जी, आप बोलिये।

श्री जगन्नाथ : चेयरमैन महोदय, सन 1967 में जो अकाल राहत कार्य चले, उस विषय में तो मेरी इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं एक किसान की हैसियत से इस विधान सभा का सदस्य बना था। इसलिए उस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन टोंक जिले के अन्दर सन् 1967 में जो अकाल राहत कार्य चले और निर्माण कार्य चले, दूसरे ··

श्री विजयसिंह : यह उस टाइम की बात है जब आप हमारे साथ दिल्ली गये थे।

श्री जगन्नाथ : मैं उस समय तुमको डिसमिस किया था, और क्या सुनना चाहते हो।

श्री सभापति : आप अकाल राहत के बारे में कहें।

श्री भैरोंसिंह : धीरे धीरे।

श्री जगन्नाथ : उस वक्त चार तरह के काम थे. उनमें एक सिंचाई विभाग का था, एक निर्माण विभाग का था, एक वन विभाग का था, वन विभाग की चौकियां लगाई गई थीं और एक खेतों के कटाव के बचाव के लिए कार्य हुआ था। इन कामों का मैं जिक्र मैं करूंगा। टोंक जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने तो केवल दो हजार मजदूरों की मजदूरी अनपेड रहना बताया है। उसमें से कितना गबन हुआ, उस गबन की बात तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि क्या पता, गबन हुआ या नहीं, लेकिन इन तीनों कामों में अनपेड जदूरी आज भी काफी पड़ी हुई है। अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वह सही नहीं है, हमारे पूरे जिले के अन्दर चौबिस हजार अनपेड मजदूरी पड़ी हुई है—वह हर विभाग की है इसका कारण क्या है। उस वक्त बेटी ससुराल में थी और बहू पिअर में थी। मैं मेरी बोली में ही कहूंगा····

कई माननीय सदस्य : कहिये कहिये···

श्री जगन्नाथ : उस वक्त वहां पर अकाल राहत कार्य चालू हुए थे, मैं पर्दा नशीनों के लिए नहीं कहता, लेकिन जो मजदूरी पर जाती थीं उनके लिए कहता हूं, तो जब बहू पिअर से ससुराल में आई और बेटी पिअर से ससुराल में चली गई, तो उनकी मजदूरी आज भी अनपेड पड़ी हुई है और भी हजारों की संख्या में अनपेड हैं, जिस जगह उनकी मजदूरी अनपेड है वहां पर नहीं दी जाती है. वह इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि लिस्ट में ससुराल में नाम है, और लड़की का नाम अपने पति के साथ में है। जब वह पिअर में थी, तो लड़की का नाम अपने पिता के नाम के साथ था। इस कारण उनकी आज तक अनपेड मजदूरी पड़ी हुई है····

एक माननीय सदस्य : मस्टर रोल दिखाइये।

श्री जगन्नाथ : चेयरमैन महोदय, आप थोड़ा मौका दें, तो इतना तो मैं भी बोल सकता हूं। इनकी परवाह नहीं है मुझ को, कई गांवों में गया तो लोगों ने कहा कि विकास अधिकारी के पास जाते हैं या तहसीलदार के पास जाते हैं, वह कहते हैं कि हमारे पास तो इसका नाम ही नहीं, वह नाम क्यों नहीं निकलता ? जिस जगह काम दिया है, वहां की सूची मंगाकर देखा जाये कि किस-किस जगह काम किया है। अगर बेटी अपने बाप के पास हो तो वहां पैसा दिया जाए।

अकाल राहत कार्यों के बारे में राज्य सरकार से निवेदन है कि जिस जगह पानी ज्यादा हो और कुओं में पानी ज्यादा हो वहां पर बिजली अवश्य देनी चाहिए क्योंकि आजकल ऐसा संकट आ गया कि यदि माननीय सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट के नाराज न हों तो अर्ज करूं कि क्योंकि चमड़े का चरस चलाते समय किसान को बहुत संकट होता है तो जहां कुएं हैं शीघ्रातिशीघ्र बिजली दी जाए और जिस जगह पानी नहीं है तो वह किसान उन कुओं पर जाकर अपना पालन पोषण कर सकता है और आपस में भाई बन्धुओं से जमीन ले सकता है, उससे उनका पालन पोषण हो जाता है। मेरे क्षेत्र में एक ओर 20 मील बनास नदी के पूर्व में बहुत पानी है, वहां बिजली दी जाए।

इसी प्रकार टोडा के पश्चिमी इलाके में नदी के किनारे राजमहल से थोड़ा दूर हसनपुरा गांव के आसपास पानी है, जहां बिजली दी जाए और अधूरे कामों को पूरा करें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा नाम है कटौती प्रस्तावों में।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा होगा आसन ने ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : नहीं पुकारा था।

श्री सभापति : आपके नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है।

श्री नत्थीसिंह : महिलाओं को तो इजाजत देनी चाहिए।

श्री सभापति : आपकी पैरवी की क्या जरूरत है ? श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

श्री नत्थीसिंह : कहीं जरूरत पड़ जाए आपकी आसन पर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): सभापति महोदय, प्रस्ताव तो मैंने कटौती का दिया है लेकिन शुरूआत धन्यवाद से करूंगी। पिछले वर्ष जो एक बड़ा भारी अकाल पड़ा था उसका मुकाबला जिस तरह से सरकार ने किया, उसके लिए वह वास्तव में धन्यवाद की पात्र है। जिस तरह से वह काम कर सके मैं धन्यवाद दूंगी लेकिन इस धन्यवाद के साथ साथ इतना खर्चा करने के बाद कुछ कमियां भी रहीं, और कुछ खामियां भी रहीं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा।

माननीय भैरोंसिंहजी ने जिस तरह से बताया कि नक्शे पर न सड़क थी न पानी, वह अतिरंजित चित्र है। यह जो खर्चा किया गया है। अगर ठीक ढंग से किया जाता तो जो काम हुआ उससे बहुत ज्यादा काम किया जा सकता था। इस बार पहले अकाल के मुकाबले में सरकार ने कुछ परिवर्तन किए, जैसे पहले पी. डब्ल्यू. डी. से ही काम कराते थे और वह पेमेंट करते थे लेकिन इस बार राजस्व के हाथ में देने से निसंदेह कुछ फर्क हुआ लेकिन जब यह अधिकार पी. डब्ल्यू. डी. से चला गया तो उनको एक तरह से परेशानियां पैदा करना शुरू कर दिया। इस अकाल के समय जिस तरह से गड़बड़ियां हुईं, उनकी बहुत कुछ जिम्मेदारी पी. डब्ल्यू. डी. पर मैं दूंगी। साथ ही साथ हम लोग जो वहां के चाहे प्रधान हों चाहे कार्यकर्ता हों चाहे विधायक हों, उनको भी दोष से मैं बरी नहीं कर सकती जब कि आंखों से देखते थे तो भी कुछ नहीं कहते थे। जिन सड़कों पर लोगों को काम दिया जाता था, जितना उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, हम लोग आंख मींचकर बैठे रहे चीप पाप्यूलरिटी प्राप्त करने के लिये। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उसको हम लोगों ने पूरा न किया।

बार बार अकाल पड़ने से, इस तरह से काम कराने से आज राजस्थान में एक तरह से अकाल को लाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। जिस ढंग से लोगों ने काम किया उनको चस्का पड़ गया बैठे-बैठे मजदूरी मिल जाए और काम न करना पड़े। उसका नुकसान हमें दूसरे क्षेत्रों में अधिक पड़ रहा है जबकि दूसरे लोगों को मजदूरी के लिए बुलाते हैं वह मजदूरी पर नहीं जाना चाहते उनके दिमाग में बैठ गया है उनकी आदत पड़ गई है कि हम काम कम करें और मजदूरी उनको पूरी मिल जाये। मुझे डर है कि यह मनोवृत्ति अकाल की वजह से हम लोगों के बीच में आई है, यह अपने हक के लिए खराब होगी। देश का चरित्र बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ा नीचे गिरा। हम लोग काम करने से, मेहनत से जी चुराने लगे हैं, समाज के लिए, देश के लिए, देश निर्माण के लिये मैं उचित नहीं मानती। खामियां तो रहती हैं जिनका उल्लेख दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है। लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक दो मुद्दों की ओर और अपने कटौती प्रस्ताव की ओर खींचना चाहती हूं। जो बार-बार अकाल हमारे यहां पड़ा एक अरब रुपये से ज्यादा हमने खर्च किया उससे राज्य सरकार ने क्या सबक लिया? भविष्य में वह क्या चीज रखना चाहती है जिससे कि इस तरह के अकालों को हम रोक सकें? हमने पिछले अकाल में गलतियां

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

की। हमने पिछले अकाल में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। अगर अच्छी प्लानिंग में खर्च किया होता, राजस्थान कैनाल के बनाने में लगा दिया होता तो अच्छा काम होता। ऐसी चीज बनती जो अकाल रोकने में सहायता देती लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, कार्यकर्त्ताओं पर थी। जब जब ऐसा प्रश्न आया राज्य सरकार की तरफ से ऐसी योजना रखी गई कि राजस्थान नहर पर लोगों को भेजा जाय, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। कई लोगों ने इसके खिलाफ अपने लोगों को जाने से रोका। आगे बढ़ने की बात तो दूर रही बल्कि ऐसा प्रचार किया कि उनको रोका जाय। जैसलमेर में जिस तरह से भूख हड़ताल की गई। घर बैठे लोगों को पैसा दिया गया और राजस्थान कैनाल पर काम में न लगाया गया, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको उचित नहीं समझती।

अब मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि इस वर्ष जब हमारे यहां सुकाल आया है, अच्छी घास हुई है तो इस साल घास इकट्ठी की या नहीं? राजस्थान में इस प्रकार का अकाल पड़ता रहता है और हमारे यहां तो परम्परा रही है कि जब-जब सुकाल होता तो है तो घास कटवाकर बागरें लगवा देते हैं लेकिन 20 वर्ष से राज्य सरकार ने इस परम्परा को नहीं अपनाया। जब अकाल आता है, हमारे सामने मुश्किल होती है। एक जगह से दूसरी जगह चारा उठाने में करोड़ों रुपया का व्यय होता है। समय पर घास नहीं पहुंचती है। अब घास को इकट्ठा करके क्यों नहीं रखा जाता है? हर जगह चाहे जंगल खड़ा हो चाहे बीड़ हो, बागरें लगाना निहायत जरूरी है। पुराने जमाने में जब हम विज्ञान से परिचित नहीं थे, ऐसे ऐसे बागरें लगाने वाले थे कि 30 30 साल तक घास रखी जाती थी। तो आज के वैज्ञानिक युग में आप उस पुरानी परम्परा, पद्धति के अलावा और कई तरीके निकाल सकते हैं जिससे घास को सुरक्षित रखा जा सके और समय आये तब उसको निकाला जा सके।

दूसरा फेमीन कोड के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। इस मद पर एक करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। आज तक इसको आपने बदला नहीं वही अंग्रेजों के जमाने से चला आया फेमीन कोड। आज तो उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। जब कोई काम करना नहीं होता है तो फेमीन कोड की आड़ ले ली जाती है। फेमीन कोड में भी, अभी जो दुष्काल पड़ा उस समय, कई काम नहीं होते हुए भी ऐसे काम दिये जो तारीफ काबिल हैं जैसे सिंचाई के तालाब बनाना इसलिये मेरा निवेदन है कि फेमीन कोड की किताब में सुधार करके इस प्रकार के कामों को उसमें शामिल किया जाना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि हम किस प्रकार के काम करवा सकते हैं और क्या करवाना है यह सब देख कर उसमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है।

इस अकाल के समय में पक्की सड़कें बनायी, पुलियाओं का काम किया लेकिन आज स्थिति यह है कि सैंकड़ों जगह पर सड़कें बन गई हैं पुलियाओं के खम्भे खड़े हैं इस लिये कि वहां पर मैटिरियल नहीं पहुंचा। उनका होना या न होना ही बराबर है। दूसरी जगह से लोगों को अपनी गाड़ियों को निकाल कर लेजाना पड़ता है, इसलिये

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

जो पुलियायें अधूरी रह गई हैं उनको फौरन हाथ में लें और उनको पूर्ण करायें वरना तो इनमें लाखों करोड़ों रुपया जो लगा है वह बरबाद हो जावेगा। गड्ढे वगैरा आ जाने से गाड़ी वगैरा निकालते हैं तो वहां पर एक्सीडेन्ट की स्थिति रहती है। इसलिये राजस्थान में खास तौर से ऐसा प्रबन्ध करें कि जिससे समय आने पर समुचित लाभ उठाया जा सके।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, दुर्भिक्ष की सप्लीमैन्टरी ग्रान्ट के सम्बन्ध में जो कट मोशन्स रखे गये हैं उनमें 12 माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया। मोटे तौर पर बातें कही गयी हैं उनका उत्तर देना पसन्द करूंगा।

खास कर यह बात कही गयी है कि फेमीन में काम अपूर्ण रह गये हैं उन्हें पूरा कराया जाय, अकाल का स्थायी हल निकालने के लिये योजना बनायी जाय और उसके साथ साथ चुकारा जल्दी होना चाहिये और राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ये चार बड़े मुद्दे थे जो सदन में उठाये गये।

सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्ष में संवत् 25 और संवत् 26 में राजस्थान में जिस पैमाने पर अकाल था, इतना बड़ा अकाल राजस्थान में पहले कभी नहीं पड़ा। व्यापक अकाल था और व्यापक पैमाने पर अकाल राहत कार्य खोले गये और लाखों की तादाद में लोग काम पर आये। यह स्वाभाविक था कि कुछ जगहों पर काम बन्द कर देने से कुछ अधूरे रह गये हों। सवत् 2025 में अकाल में किये गये कामों के बारे में डेली वेजेज का चुकारा बाकी रह गया हो तो उसको जल्दी से जल्दी कर दिये जाने के आदेश दिये गये। फिर भी कुछ बकाया रह गयी। संवत् 2026 के अकाल में भी राज्य सरकार ने आदेश दिये। प्रश्नों के समय भी यह मुद्दा उठाया गया था तो उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था कि अकाल राहत कार्यों पर मजदूर काम कर रहे थे और उनके डेली वेजेज का चुकारा नहीं किया गया है उसके लिये एक विस्तृत तालिका दे रहा हूं...

श्री भैरोंसिह : पहले भी यही आदेश थे।

श्री परसराम मदेरणा : चुकारा किया है। अब चुकारा जल्दी से जल्दी हो उसके लिये मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है और आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : बीच में डिस्टर्ब न करें। फिर उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। आपको उत्तर दिलवायेंगे। मैं बैठा हूं।

श्री बालसिह सोढ़ा : तब तक आप यहां नहीं बैठेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें यह उल्लेख करने जा रहे हैं कि 15 दिन के

(श्री परसराम मदेरणा)
अन्दर जिन एजेन्सीज के जरिये राहत के कार्य कराये जा रहे हैं या कराये गये और जो अनपेड हैं जिलाधीश को वे सूची दें। जिलाधीश पंचायत समिति और जिला परिषद् के हैडक्वाटर्स पर उसको प्रकाशित करायेंगे। जिस किसी माननीय सदस्य को ऐतराज है वह दे दें और प्रकाशित करने के बाद भुगतान का समय आये तो भुगतान उठायें 15 के अन्दर, कलेक्टर यह प्रबन्ध रखे कि रोजाना कितना भुगतान हुआ है, रेवेन्यू एजेन्सीज के लो। भुगतान करेंगे वह वे देंगे और हफ्ते में कितने मजदूर कौन-कौन से जिले में होते हैं उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाय। इस प्रकार के आदेश मैं एक-दो दिन में कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दें कि आपने इसी सदन में एक बार पहले भी कहा था कि रुके हुए पेमेन्ट के आदेश दे दिये हैं, मुझे पूरा याद नहीं है अमुक महीने की अमुक तारीख तक पेमेन्ट हो जावेगा। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि संवत् 2025 और सम्वत् 2026 उसके बाद निरन्तर आदेश दिये उसके बावजूद भी पेमेन्ट नहीं हुआ उसके कारण किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की गफलत मालूम हुई है और उस कारण उसको दंडित भी किया था।

श्री परसराम मदेरणा : पहले समय निर्धारित किया था उसमें काफी मजदूरों को भुगतान हो चुका। संवत् 2025 की कितनी बकाया है और किस अधिकारी के कारण यह मुझे नहीं मालूम है। दो साल में अनपेड हैं उनकी सूची बना कर प्रकाशित कर दी जाय और उसमें टाइम लिमिट रख दी जाय तो वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो पेमेन्ट करेगा। अनियमितता पायी जावेगी और लेप्सेज होंगे तो, उसका भी उल्लेख उस आदेश में कर दिया जावेगा। उस पहले वाले सरकुलर में उसका उल्लेख नहीं था, हो सकता है कि इस कारण से गलती रही हो। इससे काफी चक्कर रहा है। राज्य सरकार इस पर और सोचेगी।

अपूर्ण कार्यों के लिये एक बात कही थी। जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान में हजारों काम दिये गये थे। अकाल राहत कार्यों में सिंचाई के काम, पक्की सड़कों के काम लिये जाते हैं वे पूरे नहीं हो सकते हैं। हजारों काम अधूरे रह गये हैं और उनको करने के लिये हर जिले का मास्टर प्लान राज्य सरकार बना रही है और उनको प्राथमिकता दी जावेगी जो फैमीन में इनकम्प्लीट रह गये हैं।

सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हैं और जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है रूरल वर्क्स को उन जिलों में लिया जा रहा है जहां पर कि अकाल रहता है। ज्यादातर वे ही काम हैं जो फेमीन में अधूरे रह गये हैं। योजना बनायी गयी है और उसके साथ-साथ जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि एम्प्लॉयमेन्ट का एक प्रोग्राम राजस्थान में लागू होने जा रहा है कि एक हजार लोगों को हर जिले में रोजी दी जावेगी मुख्य मंत्रीजी ने भी यहां पर मीटिंग को थी तो वहां भी यही निर्णय लिया गया कि फेमीन में जो वर्क्स रह गये

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं उनको प्रायोरिटी दी जाय। और उस प्रायोरिटी में सिंचाई के फोरेस्ट के सॉइल कन्जर्वेशन के सड़कों के काम हैं और सबको साथ तो पूरे नहीं करवाये जा सकते। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करने के लिये रोजगार देने का प्रोग्राम अप्रैल, 71 से हम शुरू करने जा रहे हैं इसके द्वारा भी काफी सीमा तक फेमीन के इनकम्प्लीट काम पूरे कराये जावेंगे।

श्री भैरोंसिह : आपको इस फेज्ड प्रोग्राम से तो एक पंचायत क्षेत्र के एक आदमी को एम्प्लॉयमेन्ट मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : जो बिलकुल अनएम्प्लोयड हैं उनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हैं, अर्द्ध एम्प्लोयड को सेकण्ड प्रायोरिटी और सीजनली जो अनएम्प्लोयड हैं उनको तीसरी प्रायोरिटी देना तै किया है। इनको दस महीने के लिये रोजगार दिया जावेगा। यह सही है कि एक ग्राम पंचायत में अभी एक को ही मिलेगा। पर मिलेगा जरूर क्योंकि रूरल वर्किंग प्रोग्राम भी हमें चलाना है। प्लान के दूसरे काम भी चलेंगे। ये दस जिलों में चलेंगे। अब 26 जिलों में 232 पंचायत समितियों में से 200 को भी काम दिया जाता है तो यह बेकारी बेरोजगारी को दूर करने की तरफ हमारा पहला कदम होगा। धीरे-धीरे सबको मजदूरी मिल जावेगी। पर आज इन कामों से फेमीन के अनकम्प्लीट कामों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

पंचायत समितियों को माइनर इरिगेशन के लिये भी सरकार पैसा देती है। जो अपने अपने क्षेत्रों में तालाबों की मरम्मत कराने में काम लेंगी। पहले इसका प्रावधान कम था। अब दस लाख से ऊपर दिया गया है। अगले साल और रखा है।

इसको देखते हुए पंचायत समितियों में माइनर इरिगेशन के काफी काम पूरे होंगे।

नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने और नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात का खासतौर से जिक्र किया कि जो टी. आई. का अनुदान दिया जाता था उसका भुगतान नहीं किया गया। यह सही है। जैसे गंगानगर, बीकानेर जिलों में कुओं के टी आई का भुगतान नहीं हुआ है। कलक्टर को आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर प्रयास कर रहा है, तहसीलदार को रकम ड्रा करने के लिये कह दिया गया है गंगानगर में। बीकानेर में जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। उनमें एक गांव को छोड़कर कल तक पूरा हो जावेगा। जहां तक इस एक गांव सवाल है।

एक माननीय सदस्य : यह और गांवों की भी समस्या है।

श्री परसराम मदेरणा : यह देख लेंगे। तो यह जो उपमादेसर गांव की बात कही गई। प्रश्नकर्त्ता स्वयं जानते हैं। वहां जांच के लिये हमने कहा है। जांच रिपोर्ट के आने पर जैसा होगा, हम करेंगे। गांव वालों की सूचना यह है कि ठेकेदार के अलावा गांव के लोग कुओं से पानी निकालते थे और इसलिये ठेकेदार को यह अनुदान नहीं दिया जावे। तो जांच के

(श्री परसराम मदेरणा)
बाद अगर ठेकेदार लेने के लिये हकदार होगा तो दे देंगे वरना नहीं ।

सरदारशहर, नोखा, जयपुर और देवगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य एवं सदस्या ने एक बात कही कि जितना पैसा फेमिन में खर्च किया गया उसका पूरा लाभ उठाया जाय। ठीक है आज अकाल की स्थिति नहीं है। यह तो दैवी प्रकोप है। तो निवेदन करूं कि बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और इसी तरह दो तीन और जिलों में इस साल भी करीब 500 से ऊपर गांवों में 503 गांवों के आसपास में अभावग्रस्त स्थिति है। वे अभावग्रस्त घोषित भी किये जा चुके हैं।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं। इस बारे में जिलाधीश से हमने सारा विवरण मंगाया है, आने पर इसका प्रबन्ध अवश्य किया जावेगा।

नये काम खोलने के बारे में निवेदन करूं कि हम इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, सड़कों के फोरेस्ट के इरिगेशन के काम चलाने की सोच रहे हैं रूरल एम्प्लोयमेंट के कार्यक्रम में भी कुछ काम नये होंगे। इसके अलावा भी स्थिति अगर ऐसी देखी गई तो कुछ काम अकाल राहत के भी खोलेंगे। कुछ अकाल के काम दस बारह दिनों के अन्दर फेमीन कमेटी की मीटिंग में प्रस्ताव आने पर खोले जावेंगे।

राजस्थान केनाल पर ज्यादा धनराशि देने के लिये कहा गया। इसमें भारत सरकार का प्लानिंग कमीशन सलाह देता है उस तरह से प्लान में प्रावधान रखते हैं। इससे फेमीन का एक सीमा तक परमानेन्ट सोलुशन निकलेगा। जहां जहां तक इसका कमाण्ड एरिया होगा उनको तो राहत पहुंच जावेगी। पर सारे को कैसे पहुंचेगी यह सोचने की बात है।

गंगानगर जिले में भी तीन तीन सिस्टम हैं इरिगेशन के भाखरा नहर, गंग नहर और राजस्थान नहर। फिर भी अनूपगढ़ तहसील में अकाल राहत के काम खोलने पड़े।

यह सही है कि राजस्थान कैनाल की वजह से अनाज की पैदावार बढ़ेगी तो जो अकाल के वक्त अनाज मंहगा हो जाता है वह नहीं होगा, जानवरों को खाखला भी मिलेगा। पर मजदूरों को वहां ले जाकर उनको काम मुहय्या करने में सहायता मिलेगी इसका हमें अनुभव हो चुका है। इस बार भी हमने यह सोचा था। पर बहुत कम लोग वहां गये। बहुतों ने तो जाने से ही मना कर दिया कि इतनी दूर घर छोड़कर नहीं जाना चाहते।

आप स्वयं जानते है कि पश्चिमी हिस्से से प्रोडक्टिव नेचर के काम ले नहीं सकते इस कारण पांच छः साल से जो अकाल की स्थिति थी, उसमें यूटीलिटी के काम खोल कर ही लोगों को वहां लगाना पड़ा तो राजस्थान कैनाल अकेली ही सारे प्रदेश के 24 जिलों में यदा कदा पड़ने वाले अकाल से राहत दिला देगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है।

श्री रामकिशन : 24 नहीं, बीस ही रखें। हमें तो बचाओ इससे कम से कम।

श्री परसराम मदेरणा : फ्लड में भी आपके भरतपुर अलवर जिलों में करोड़ों रुपया राज सरकार ने खर्च किये हैं। तो आप यह नहीं कह सकते। अभाव तो दोनों जगह होता है कहीं अतिवृष्टि से तो कहीं अनावृष्टि से। आपके यहां अतिवृष्टि से हुआ आप भी बराबर मांग कर रहे थे। तो अतिवृष्टि से भी अकाल पड़ता है और नुकसान होता है और फसलों को नुकसान होने से जो संकट में आते हैं उनको राहत देना पड़ता है सरकार को। यह सरकार का फर्ज होता है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे यहां पर उठाये हैं। सब से पहले उन्होंने फोडर बैंक्स की बात उन्होंने कही है। आज की स्थिति में राजस्थान में फोडर बैंक्स स्थापित किये जा सकते थे और राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है या नहीं ? जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल हमने रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत चालू वर्ष में पाली जिले में 2 लाख 43 हजार रुपयों का फोडर एकत्रित किया है और इसी तरह से बीकानेर जिले में 3 हजार, कुल मिलाकर 32 हजार 500 क्वीन्टल ढ़ाई लाख रुपयों का फोडर का स्टाक किया है। इसी तरह से डेजर्ट डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत हमने बाड़मेर जिले के अन्दर 5000 क्वीन्टल चारा इकट्ठा किया है, जैसलमेर से 4000 क्वीन्टल फ़ोडर इकट्ठा किया है। इस तरह से कुल मिलाकर 9000 क्वीन्टल 31 हजार और 41 हजार रुपयों की घास का स्टाक किया है और बीकानेर के अन्दर रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर 45 हजार रुपयों की लागत से एक सेफ बनाया है ताकि वहां पर घास को सुरक्षित रूप से रखा जा सके मैं समझता हूं कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आयेगी हम उससे निबट सकेंगे। एक ही साल में लाखों क्वीन्टल फोडर का हम स्टोक नहीं कर सकते हैं और उतनी ही हमारे पास से हैं और न हम उसका सदुपयोग कर सकेंगे। तीन चार सालों में चारा खराब हो जाता है। गांव के लोग भी जो चारा स्टाक में रखते हैं, उसको वे हर साल छांटते रहते हैं क्योंकि पानी पड़ने से चारा खराब हो जाता है और अगर वे उसको नहीं छांटे तो उसमें पानी जाना स्वाभाविक है और घास खराब हो जाती है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने बिजली के सम्बन्ध में कही है। बिजली के सम्बन्ध से मैंने पहले भी निवेदन किया है और माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसमें काफी वजन है और बारबार इस सुझाव को यहां पर देते आये हैं यह प्रस्ताव हमने भारत सरकार की सैन्ट्रल स्टेडी टीम के सामने रखा था और उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। यह मैं भी मानता हूं कि जो ट्यूब वैल हैं वहां पर बिजली पहुंचा दी जाये और जो हाइड्रोलिक पावर वहां पहुंचा दी जाये तो जो खर्चा इन ट्यूब वैल को चलाने में डीजल की वजह से आता है वह नहीं आयेगा ये ऐसे मामले हैं, जिनका कि प्लान के अन्तर्गत प्रोवीजन होना चाहिये। इसके सम्बन्ध पोजीशन यह है कि मैं कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि बिजली जाये तो अच्छी बात है। ओवरआल इनको चलाने से बहुत खर्चा होता है इसलिए वहां बिजली लाना जरूरी है जो इकोनोमिक

(श्री परसराम मदेरणा)
होगी और इसका क्या रिटर्न होगा यह हमने वर्क आउट नहीं किया है और योजना के अन्तर्गत ऐसी स्कीम को लिया जाना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं हैं परन्तु आगे जाकर प्रश्न धन का आता है।

भीलवाड़ा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है। यह कहा है कि जो रिपोर्ट है उसको नहीं रखा गया है और इन्क्वायरी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आवे उसके पहले मैं कैसे यहां पर रख सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तीन महीने का समय दिया गया था कि कमेटी तीन महने में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। असलियत तो यह है कि आप कमेटी के नाम पर इस मामले को दबाना चाहते हैं। ऑफिसर्स को आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीन महीने के अन्दर अन्दर रिपोर्ट पेश कर देना चाहिये तो वह रिपोर्ट क्यों नहीं आई।

श्री परसराम मदेरणा : इसका कारण यह है कि जो स्पेशल सैक्रेटरी रिलीफ थे वे इसके कन्वीनयर थे और वे अस्वस्थ होने के कारण हास्पिटल में भरती थे। अब वे आ गये है काम पर और चूंकि वे आ गये हैं मैं समझता हूं कि जल्दी ही रिपोर्ट आ जायगी वरना मैं उन्हें शीघ्र ही रिपोर्ट देने के लिए आदेश दूंगा।

मैं यह भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जिलाधीश ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है और न इसमें किसी वरिष्ठ मन्त्री का ही हाथ है। मैंने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। जो भी रिपोर्ट आई थी वह फैक्चुअल रिपोर्ट थी और उसमें यह था कि इसकी डिटेल्ड इन्क्वायरी होना चाहिये। फैक्ट फाइन्डिंग के लिए मैंने यहां से एक सीनियर अकाउन्ट्स ऑफिसर को भेजा था और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है और जो उसमें मुद्दे उठाये गये है। वे कमेटी की जांच के लिए सौंप दिये गये हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कितना घोटाला है, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं यह सब अभी कुछ नहीं कहा जा सकेगा।

इसी तरह से पाली जिले में कमेटी नियुक्त की गई है। इसके लिए भी कन्वीनर वे ही थे और मैं समझता हूं कि वे स्वस्थ होकर आ गये हैं वरना मैं दूसरे व्यक्ति को कन्वीनियर नियुक्त कर दूंगा जो जल्दी ही इन्क्वायरी करने में सहायता करवायेंगे।

रामसर, चौहटन के बारे में बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा था। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री इसकी जांच करवा रहे हैं और जांच हो रही है और माननीय सदस्य भी समय समय पर इनके बारे में यहां पर पूछते रहते हैं किस स्टेज पर जांच चल रही है इसका मुझे पता नहीं है। इस सड़क के बारे में यहां पर चर्चा उठायी जाती है और पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब ने खुद ने ही इस मामले की जांच का काम अपने हाथ मे ले लिया है और इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो दोषी होगा उसको सजा दी जायगी।

यहां पर टी० एण्ड पी० के फीजिकल वेरीफिकेशन के बारे में एक बात जयपुर से

(श्री परसराम मदेरणा)

आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी है। यह सही है कि पिछले दो वर्षों में काफी बड़ी संख्या में टूल्स एण्ड प्लान्ट्स भेजे गये और उनका कोई वेरीफीकेशन नहीं हो पाया है। हमने इस प्रकार के आदेश दिये हैं सम्बन्धित विभागों कि जल्दी से जल्दी वे अपनी रिपोर्ट भेजें कि कितने टूल्स एण्ड प्लान्ट्स उनके पास में है। सम्बन्धित एक्स० ई० एन० को भी आदेश दिये हैं कि वे इसकी रिपोर्ट हमको भेजें और यह रिपोर्ट हमारे पास में आयेगी, उसके बाद फिजीकल वेरीफिकेशन को जो बात आपने कही है, उसको मैं मानता हूं और उसके लिए आदेश दूंगा। और होगा तो मेरे विभाग के लोगों को भेज कर इसका फिजीकल वेरीफिकेशन करवाऊंगा।

जोधपुर जिलाधीश ने जो सरकियां परचेज की है उसका मुद्दा भी यहां पर उठाया गया है। जिलाधीश ने कितनी सरकियां परचेज की है यह मुझे पता नहीं है इसके बारे में जानकारी करूंगा। लेकिन झालावाड़ के बारे में भी बात कही गई है। झालावाड़ के बारे में जो शिकायत आई है उसकी जांच करवाने के लिए मैंने उस प्रस्ताव को एडीशनल चीफ इन्जीनियर पी० डब्ल्यू० डी० का भेजा है और मैंने अपने एक एकाउन्ट्स ऑफिसर को उनके साथ में लगाया है। मुझे यही मालूम है कि उसकी अभी प्रीलिमिनरी जांच हुई है और फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है अभी उसकी जांच प्रगति पर है। और उसमें जो कोई भी दोषी पाया जायेगा उसको सजा दी जायगी।

मैटल और कॉन्क्रीट के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है। बाड़मेर और दूसरी जगह राजस्थान के अलग अलग जिलों में चूंकि पत्थर बनाने के लिए गिट्टी तुड़वाई गई थी और जो उसको तोड़ा गया वह नाप से होना चाहिये और क्योंकि वह नाप से ब्रेक नहीं हुई इसलिये उसका पेमैन्ट एक्सेस हुआ और पेमैन्ट एक्सेस में हो जाने के बाद जब उसका रोड पर से ट्रान्सपोर्टेशन कराया गया तो उतनी एक्जीस्टेन्स में नहीं थी इसलिए ठेकेदारों ने उसका नाजायज फायदा उठाया है। इस तरह की बात यहां पर कही गयी है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जितनी जगह पत्थर अवेलेबल था, और बहुत जगह पर तो हमने पहाड़ियों पर उसको तुड़वाया था आज भी वह मैजरमेन्ट के अनुसार पहाड़ियों पर पड़ा हुआ है और उसका ट्रान्सपोर्टेशन नहीं करवाया है क्योंकि सारा ही सड़कों पर नहीं ला सकते थे और ट्रान्सपोर्टेशन करवाने की उपयोगिता भी नहीं है। ज्यों ज्यों आवश्यकता पड़ेगी प्रोजेक्ट की सड़कों के लिये, डिफेन्स की सड़कों के लिए मैटल तो जरूर भेजा था। वह इसलिये भेजा था ताकि लोगों को मजदूरी मिल जाय और डिफेन्स डिपार्टमेंट की जो सड़कें बन रही हैं वह अबके परमानेन्ट रूप से बन जाय और जो मेटल बच जाय उसको फेमिन को उपलब्ध करोया जाय बाकी जो मेटल वहां पड़ा हुआ है उसके ट्रान्सपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था नहीं है। बिल्ट रोड पर ले जाने के बाद बनता है। इस प्रकार स्टेज का मेजरमेंट कर दिया और उस मेजरमेंट के बाद......

श्री भैरोंसिंह : यह सही है लेकिन दोनों तरह के टेन्डर हुये हैं आप कह रहे हैं वह भी सही है दोनों तरह के टेण्डर हुए हैं। अच्छा तो यह है जितनी रकम का आपके हिसाब से पेमेन्ट हुआ है उतना माल रोड पर पहुंचा या नहीं पहुंचा । इन दोनों को टेली करेंगे तो बात साफ हो जायगी ।

श्री परसराम मदेरणा : कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मेटल नहीं पहुंचाया गया। स्पेसिफिक रोड की बात अलग है, आप कहेंगे तो मैं उसको देख लूंगा। ट्रान्सपोर्टेशन के लिए एक अलग मेजरमेंट है और मेटल गया या नहीं गया, उसको काम में लिया या नहीं लिया, मेटल बचा या नहीं बचा यह एक अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण और कर दें—सड़कों के नाम तो मैं बता दूंगा। पहले एक जानकारी करना चाहता हूं यह पेमेन्ट किसकी वजह से रुके। जो रोड़ी थी यह फेमिन के कब्जे में थी या पी. डब्ल्यू. डी. में ट्रान्सफर किया गया था। यह थोड़ा सा स्पष्टीकरण और कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह पी. डब्ल्यू. डी. के ओवर आल पजेसन में थी और उसके बाद ट्रान्सपोर्टेशन का ठेका पी. डब्ल्यू. डी. का था जो इस ठेके को देने में सक्षम है। जितने अमाउन्ट का ठेका होता है उसके लिये अलग अलग अधिकारी हैं-डेलीगेरेड पॉवर्स हैं। उन्होंने इस काम को किया है । अब फेमिन खतम होने के बाद आप कहें किसकी जिम्मेदारी है। पी. डब्ल्यू. डी. इसलिये तैयार नहीं है कि हम इस काम को नहीं ले सकते हैं। हर चौकी पर चौकीदार रखा जाय यह भी सम्भव नहीं है। रूरल वर्क के अन्दर काफी सर्वे इन-कम्प्लीट पड़ी हुई है। बाकी जिलों में योजनान्तर्गत जितना मेटल इस्तेमाल करना चाहिये था उतना......

श्री भैरोंसिंह : आपके विभाग की जिम्मेदारी नहीं। पी. डब्ल्यू. डी. कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं फिर किसकी जिम्मेदारी है ? कौनसा डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी समझें।

श्री परसराम मदेरणा : जितना मेटल सड़कों पर है उसमें पी. डब्ल्यू. डी. की जिम्मेदारी है।

श्री भैरोंसिंह : वह इन्कार करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हमने कहा है आपके जितने रिपेयर्स का काम है और दूसरे हैड्स में जितना पैसा है उसमें चौकीदार रखिये। जितना मेटेरियल सड़कों पर पड़ा हुआ है जैसे गिट्टी, डामर, मेटल कई तरह का सामान सड़कों पर पड़ा हुआ है उसमें फेमीन को टाप प्रायोरिटी दी है....

श्री मनोहरसिंह मेहता : वैसे गिट्टी तो सही है।

श्री परसराम मदेरणा : जितना आपने सुना है उसको ज्यादा एक्जरेट किया जा रहा है मैं काफी कह चुका हूं इसलिये ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जितना परमानेन्ट और पक्का काम इस फेमीन में लिया गया हैं उतना पहले नहीं लिया गया था। विधान सभा का कोई सदस्य जो वहां गया है और देखा है वह अवश्य कहेगा जितना काम किया है बड़ा सोलिड

(श्री परसराम मदेरणा)

काम किया गया है। कोई भी माननीय सदस्य इस बात को मानने से इन्कार नहीं करेगा। मैं वैसे इसे भी स्वीकार करता हूं कुछ कमियां रही हैं और जहां कहीं भी वह ध्यान में आयेगी उसको ठीक करने की भी कोशिश की जायगी...

श्री रामचन्द्र आर्य : अबके अकाल पड़े जब कर देना।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही क्योंकि अभी रिसेंटली वे बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके का भ्रमण करके आये हैं। आज कोई भी सड़क का काम होता है और रोड़ी नहीं डाली गई तो उसका डेजर्ट एरिया में कोई एग्जीस्टेन्स नहीं रहता है। जहां कहीं समतल एरिया है जैसे जैसलमेर जिले में कुछ समतल एरिया है वह उसकी एग्जीस्टेन्स रहती है। वहां कोई अर्थ वर्क हुआ हो तब भी एग्जिस्टेन्स में रहती है लेकिन डेजर्ट इलाके में रोड की एग्जिस्टेन्स नहीं रह पाती है। जोधपुर का कुछ इलाका है जहां रेत नहीं है वहां रोड की अवश्य एग्जिस्टेन्स है। साइल रोड को कवर कर लेती है और पहले का जो काम हुआ है वह दिखता नहीं है। कई जगह अर्थ वर्क में पिट खोदे गये हैं लेकिन जहां पक्की जमीन है वहां तो ये पिट दिखाई देते हैं लेकिन और जगह ये पिट दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। जहां ग्रेवल नहीं डाला गया है वह एग्जिस्टेन्स में नहीं दिखती है इसलिये यह सवाल नहीं है कि ग्रेवल मिलता नहीं है ट्रान्सपोर्टेशन की अवश्य बात रही है।

श्री भैरोंसिंह : इतना काम तो करवा दें पी. डब्ल्यू. डी. के पास खाली ढोल पड़े हैं और वे आपके पास ही पड़े हुये हैं। उन खाली ढोलों को सड़कों के किनारों पर लगवा दें ताकि उनकी एग्जिस्टेन्स दिख सके।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने काम में भी लिये हैं, ऐसी बात नहीं है। जो खाली थे उनको काम में लिया गया है। वैसे उनका ऑक्शन कर दिया गया है और जो बाकी बचे होंगे उनके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय से बात कर लूंगा कि सड़कों पर लगा दें ताकि उसका रूप दिख सके।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय को कह दें कि वे सदस्या न कहें सदस्य ही काफी है। डॉक्टरनी या मंत्राणी नहीं होती है। इसलिए सदस्य कहना ही काफी है।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छी बात है, आप बैठिये। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं फेमिन कोड का रिवीजन अपने हाथ में ले लिया है। पिछले चार साल से फेमिन कोड का जो अनुभव हुआ है उसको बिलकुल नया फेमिन कोड तैयार करवाया जाय। चार महीने से काम हो रहा है, पूरा होने को आ गया है। मैं समझता हूं दो तीन महीने के अन्दर नया फेमिन कोड तैयार हो जायगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि अकाल के कार्य को योजनान्तर्गत नहीं लिया गया है डेजर्ट एरिया में यह भारत सरकार की योजना है और आउट साइड सीलिंग है फेमिन का काम है नहीं लेकिन भारत

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार का यह आदेश रहा है। एक तरफ कहते हैं डेजर्ट ऐरिया को कम करने के लिए जंगल लगवाये जायं और एक तरफ जंगलों को काटने के लिए भी कहा जाता है। जंगल काटे जाते हैं तो बरसात कम होती है इसलिये सब तरफ से दुविधा है। मैं समझता हूं कुल मिलाकर अन्ततोगत्वा यह भारत सरकार की योजना है। मुझे जानकारी भी पूरी नहीं हैं। 30 लाख की योजना है और बाड़मेर जिले में लागू की गई है।

यहां पर नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही और यह बात सही है पानी का अनुदान अनपेड रह गया है। उसका आदेश हो गया है और 11 रु० से 25 रु. तक के जो मामले थे उनके पेमेन्ट के आदेश हो गये और उनका पेमेन्ट जिलाधीश ने कर दिया लेकिन जो कैसेज 26 रु. प्रति दिन के थे उसका पेमेन्ट कल तक करा दिया जायगा। मैं माननीय सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सिंचाई और छोटे-छोटे कार्यों के बारे में कहा है। इसके लिये मेरा निवेदन है ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की जो योजना है इसके अन्दर सिंचाई के कास को प्राथमिकता दी जायगी, उसका निर्णय किया है। उसके साथ साथ योजना के अन्तर्गत यह प्रोग्राम लिया जा सकेगा कि फेमिन के सब काम फेमिन डिपार्टमेंन्ट ही उनको पूर्ण करा दें तो हमारे पास में धन का अभाव है और इस संबंध में मेरी असमर्थता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये क़रीब-क़रीब मैंने सभी बड़े-बड़े मुद्दों का उत्तर दे दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : और भ्रष्टाचार खाली ढोल में डाल दिया क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति जी, मुझे एक मिनट का सवाल पूछना है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां-जहां से भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं और उनमें जो सीरियस नेचर की हैं उनको पुलिस में दिया है और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को भी दिया है और यदि छोटी शिकायतें आई हैं तो हमने विभागों के अध्यक्ष को या हैड आफ दी डिपार्टमेंन्ट्स को जांच करने के लिए आदेश दिये हैं। यहां पर मेरे डिपार्टमेन्ट के अन्दर भी मैंने इन मामलों को परस्यू करने के लिए अलग से सैल खोल रखा है और कितने मामलों में क्या प्रगति है इसका मैं फोर्टनाइटली ब्यौरा ले रहा हूं और जैसा कि आप कह रहे हैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मस्टर रोल की सूची दी है उसमें कुछ नाम नहीं हैं गांवों के। हमने इस बारे में आदेश दे रखे हैं कि मस्टर रोल का मार्किंग करवाया जाये, उनको सेन्ट्रली छपवाया जाये और भी जो कमियां थीं उनको हमने दूर किया है याने जो भ्रष्टाचार पनपाना चाहते थे उसको कम करने के लिए राज्य सरकार ने कदम लिये हैं। यह मैं नहीं कहता कि गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। गड़बड़ियां हुई हैं जैसा कि डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दो बातें कहीं कि पैट्रोल और डीजल के फ़र्जी बिल बना दिए तो मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इसके संबंध में किसी का तार आया है तो वह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सैक्रेटरी का तार आया है और इसके ऊपर एक्शन लिया है।

Page No 125

(श्री परसराम मदेरणा)

जब मेरे पास शिकायत आई और हैड आॅफ दी डिपार्टमेंन्ट के पास शिकायत आई उसका पहले हमने एक्शन लिया और हम जांच करवा रहे हैं।

रिखबदेव का कहा, तो कौन ले जा रहा था, उसका तो मालूम नहीं लेकिन पुलिस में केस को रजिस्टर कराया और जब कलेक्टर को इत्तला मिली कि इस तरह से ट्रक उदयपुर जा रहा है, तो कलेक्टर और एस. पी. ने दोनों ने उसका पीछा किया और रिखबदेव में जाकर गाड़ी पकड़ी और वहां पर केस रजिस्टर कराया। तो जहां शिकायत आई है भ्रष्टाचार की तो एक्शन लिया गया है। सभापति महोदय, मैं हाउस को कान्फीडेंस में लेना चाहता हूं और किसी आदमी को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत आयेगी जैसा मैंने उसकी सीरियसनेस के लिए कहा होगा उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को भी हमने कई केसेज दिये हैं और कइयों का चालाना भी हुआ है और इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के खिलाफ भी डिसीप्लीनरी एक्शन लिया गया है। मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर के बाद माननीय सदस्य इस मांग को पास करेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : एक लाख के पेट्रोल के बिल बने थे और 80 हजार का चुकारा हो गया और 20 हजार के बाकी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह एक लाख का मामला नहीं है। यह करीब 25-30 हजार का मामला है।

श्री रोशनलाल शर्मा : उसमें टोटल बिल कितने का है और चुकारा कितने का हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : इतने फैक्ट्स तो नहीं मालूम हैं। मैं मालूम नहीं कर सका लेकिन जो इन्फर्मेशन हमारे पास कलेक्टर से आई है और हमने जो जांच की थी वह टेलीग्राम के जरिये कलेक्टर आई थी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सेक्रेटरी के पास से आई थी और यह पाया गया कि कुछ अनियमितता हो रही हैं और अब जो जांच चल रही है उसके पूरी होने पर ही बता सकूंगा कि कितना पेमेन्ट हुआ है और कितना नहीं हुआ है।

श्री बालसिंह सोढा : नोके-भदासर की इन्क्वायरी का क्या हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरे नोटिस में नहीं आई है। जांच करवाने के लिए कलेक्टर को इन्क्वायरी आॅफिसर नियुक्त किया था और मैं बाद में इसकी जानकारी दे सकूंगा।

श्री बालसिंह सोढा : मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि 3 दिन के अन्दर अन्दर मैं इन्क्वायरी करके सदन में बताऊंगा, क्या किया आपने ? और फिर आप कह रहे हैं कि हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : संरक्षण देने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं उस रोड पर गया था और कुछ जगह रोड है और कुछ जगह रोड नहीं है। तो मैंने जांच करने की बात कही थी। हमने साथ ले जाकर कितने पिट्स खोदे वह एग्जिस्टेन्स में हैं या नहीं हैं और कलेक्टर उसके बाद ही

(श्री परसराम मदेरणा)
मुझे मिले थे तो मैंने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को बुलाया था वह पहुंचे नहीं है। मेरे खयाल से रिपोर्ट आ गयी होगी वह देखकर ही बता सकता हूं।

श्री सभापति : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आॅर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्यों ने इस मांग के संबंध में वादविवाद में भाग लिया है वे केवल दो प्रश्न पूछ सकते हैं अगर उनको उत्तर नहीं मिला है तो। जिन्होंने भाग लिया है वे दो-दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मैंने यह आरोप लगाया था कि चूरू जिले में फेमीन वर्क्स में बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं और उसकी शिकायतें हुई उसके सम्बन्ध में क्या जांच हुई उसकी जानकारी चाहता हूं। राजगढ़ तहसील में, सादुलपुर में भी काफी गड़बड़ियां हुई और शिकायतें हुई और उनके ऊपर कहां तक सरकार जांच करवा पाई है और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री सभापति : और कोई प्रश्न आपका?

श्री रामचन्द्र आर्य : बस।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री सभापति : जरूरी नहीं है कि दो ही हों।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं दो ही हैं।

श्री सभापति : एक ही पूछ सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने कहा था कि घास की बागर आप नहीं लगवा रहे हैं इससे बहुत नुकसान हो रहा है। घास ऐसी चीज है कि जो हर जिले में नहीं जा सकती जबकि सरकार की बहुत ज्यादा बीड़ें है अगर हर जिले में बागर लगवा दें तो अच्छा हो। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बागर लगाने में बड़े चतुर हैं और वे एक बार पक्की बागर लगाते हैं तो वह पांच-सात साल नहीं बिखरती है। तो कृपा करके यह बतायें कि आप क्यों नहीं लगवाते हैं ?

दूसरी बात यह है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा था कि भीलवाड़ा जिले में ऐसी सड़क है 2 मील की जिसके ऊपर 14 लाख लगे हैं तो वह भाग्यशाली सड़क कौनसी है कृपा करके उसका नाम भी बतायें मंत्री महोदय।

श्री सभापति : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं इसकी जानकारी चाहता था कि जो भूमि खुदकाश्त की आपके अकाल राहत के नीचे सड़कों के बनाने में आ गयी उसका मुआवजा आप देंगे ? या देने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय मैं निवेदन कर दूं...

श्री सभापति : निवेदन लम्बा नहीं।

श्री बिरदाराम : छोटा सा मंत्री महोदय को कर दूं कि सड़क का माप हुआ था वह माप में कितनी है।

(अश्रव्य)

श्री सभापति : आप बैठे माननीय सदस्य। मैं नहीं समझा माननीय मंत्री समझ गये हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: अकाल राहत कार्यों में जो सड़कें बनी और पुलियायें नहीं बनी तो पुलियाओं का काम कब तक पूर्ण हो जायेगा। तालाब इतने छोटे हैं कि जिनको पंचायत समिति रखेगी उनको पूर्ण कराने के लिए क्या कर रहे हो इर्रीगेशन के तो इर्रीगेशन वाले करायेंगे।

श्री सभापति : पहले जिन्होंने वाद-विवाद में भाग नहीं लिया उनको बाद में चान्स देंगे। इनका उत्तर आने दें।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने यह बात कही है अधूरी पुलियाओं के सम्बन्ध में तो इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि उदयपुर जिला रूरल प्रोग्राम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है इसलिए जब कभी भी योजना में इसका प्रावधान होगा तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस योजना के अन्दर पुलियायें पूरा करेगा जैसा कि मैं कह चुका हूं कि रिलीफ डिपार्टमेंट टेम्पोरेरी डिपार्टमेंट है तो काम बन्द होने के बाद एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कोई आश्वासन इस सम्बन्ध में नहीं दे सकता।

जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने भाखरी में जो मेटर पड़ा हुआ है उसके बारे में कहा है तो यह मुझे मालूम है कि मेटर वहां पर पड़ा हुआ है। आप क्या चाहते थे उसका पता नहीं लग सका। सड़क पर जब उस मेटर की आवश्यकता होगी तो ट्रान्सफर किया जायेगा और काम में लिया जायेगा।

नीहर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जो भूमियां सड़क के अन्दर आगई हैं उनको मुआवजा दिया जाय। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न आज विधान सभा में भी पूछा गया था तो उसका उत्तर दिया गया था कि एक छोटी सी पटरी किसी खेत की काम में ली गई है सड़क के अन्दर तो उसके एवज में आल्टरनेटिवली जमीन दी जाय यह सम्भव नहीं है, क्योंकि इतनी इतनी छोटी स्ट्रिप्स उन जमीनों की है कि न तो वह जमीन काश्तकारों को पास में मिल सकती है और दूसरी जगह जाय तो वह काश्तकारों के लिये इकोनोमिकली भी ठीक नहीं होगी उनको मुआवजा देने का प्रश्न था तो इस सदन में बताया गया कि मुआवजा रजामन्दी और कन्सेन्ट से जो जमीन ली गई है उसका नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके लगान में कमी की जाय यह बात मैं मानता हूं। यह उनके रेकार्ड्स में अमल दरामद करने का प्रश्न है। इस प्रकार के पहले भी आदेश दे दिये हैं और राजस्व विभाग भी इस प्रकार के आदेश दे रहा है कि जितनी भी सड़कों के अन्दर इस प्रकार की जमीनें आई हैं उन जमीनों का जो लगान बनता है वह काश्तकार के टोटल लगान में से डिडक्ट कर दिया जाना चाहिए।

यहां पर माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने खासतौर से बागरों के बारे में कहा है। जो छोटे छोटे चरागाह है वे पंचायतों को दे दिये गये हैं यह आपको मालूम है और मवेशियों की संख्या इतनी

(श्री परसराम मदेरणा)

बढ़ गई है कि हर छोटे चरागाह से घास खरीद कर इकट्ठा करना सम्भव नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो चरागाह हैं वे फारेस्ट डिपाटमैंट के पास में है और वे हर साल घास कटवाते हैं और इकट्ठा करवाते हैं।

योजना के अन्तर्गत घास इकट्ठा करने वाली बात है तो दूसरे जिन जिलों में घास किया जाता है लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं। जहां कभी कभी घास होती हैं वहां पर इकट्ठा करने की जरूरत है। आपके जिले में अकाल तो था लेकिन उस अकाल में घास की आवश्यकता लोकल मवेशियों के लिए नहीं थी लेकिन जो माइग्रेशन के अन्दर कैटल जा रहे थे उसके लिए आपके इलाके में घास की जरूरत पड़ी। मैं आपके स्टेटमेंट को फॉरेस्ट डिपाटमैंट को भेज दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक बात छोड़ दी आपने। वह दो मील वाली सड़क कौन सी है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं ऑफ हैण्ड नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है आप माननीय सदस्य से पूछ कर बता देंगे लेकिन मैं पूछ कर जांच करवा लूंगा कि वह कौन सी सड़क थी कि जिस पर इतना खर्चा हुआ।

चूरू जिले के बारे में बात कही है जब कि आप कट मोशन पर बोल रहे थे तो चूरू जिले के बारे में तो आपका कट-मोशन नहीं था। आपने भ्रष्टाचार की बात कही थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने राजगढ़ का हवाला दिया था। मैंने कहा था आपने सुना नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : राजगढ़ की जो शिकायत हमारे पास आई है उसको जांच के लिए जिलाधीश के पास भेजा है कुछ मामलों में जांच करवाली है। कितनों में की है और कितनों में नहीं की है वह मुझे पता नहीं है। जांच की कार्यवाही करवा रहे हैं। रेकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ था। विस्तृत जानकारी मंगाकर माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा। मैं आज इस पोजीशनमें नही हूं कि डिटेल में बता सकूं।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने पहले वाद-विवाद में भाग नहीं लिया वे एक एक प्रश्न पूछ लें। श्री बिरदाराम आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बिरदाराम: जालौर जिला मां ...

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल। श्री बिरदाराम जी आप विराजें। आप बाद में बोल लें। मैंने प्रक्रिया यह अपनाई है कि जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है वे दो दो सवाल पूछेंगे और जिन्होंने भाग नहीं लिया उनको एक एक सवाल पूछने का है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : मैं माननीय सभापति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनको दो प्रश्न पूछने का समय दिया तो हमें भी दो प्रश्न पूछने की इजाजत दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि पिछले सत्र में आपने जो मजदूरी चुकाने की घोषणा की थी क्या उसी प्रकार की वह केवल घोषणा रहेगी या इसका चुकारा

(श्री श्रवणलाल)

करने लिए कोई स्पेशल नियुक्तियां करके उनको चुकारा किया जायेगा।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने जो अकाल के कार्यों में जो काम चालू किये हैं और 1 करोड़ 57 लाख का जो खर्चा हुआ है और उसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए क्या आपने अभी तक जांच की है और उन अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है क्या सजा दी है।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) : माननीय मंत्रीजी का उत्तर मैंने सुना उसमें आपने कहा कि अधूरे काम रहे हैं और उन कामों का पेमैन्ट बाकी रहा है तो वह तो हो जायगा, लेकिन जो लोग उस जिले के नहीं थे और दूसरे जिले के थे और उनका अधूरा पेमैन्ट है तो उनका क्या होगा।

दूसरा यह है कि डेवलपमेंट के अन्दर जो स्कीमें ली जायेंगी उनके लिए स्टेट लेवल पर तो एक कमेटी है वह उसका निर्देशन देगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस प्रकार से उनका निर्देशन होगा, उसका क्या होगा यह उत्तर देंगे।

तीसरा यह है कि अकाल तो नहीं है तो रिलीफ कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं वे भंग हो जायेंगी या क्रियान्वित रहेंगी और जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उसके बारे में एडवाइस देंगी। यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री बिरदाराम : मैं निवेदन करूंगा।

श्री दौलतराम (देसूरी) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक जिले में दूसरे जिले के मजदूरों ने जो कार्य किया है उनकी बकाया भुगतान किस जगह होगी ?

(2) जिन सड़कों पर डामर पड़ी हुई है उनको लिया जायगा या नहीं ?

श्री बिरदाराम : एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो कंकरी और जो माखरी पर पड़ी हुई हैं उसका माप किया है या नहीं ? पहले कितनी थी और अभी कितनी है पहले का माप कितना था और अब कितना घनफुट माल है। इसकी जांच करवायें मंत्री महोदय, और जांच करवाकर बतायें।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो काम अकाल राहत में लिये हैं उनको पूरा करवा दें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि मैटेरियल जो पहाड़ के पास में पड़ा हुआ है वह कितना है इसकी जानकारी मेरे पास में नहीं है। अगर उनको शिकायत है तो इसकी जांच करवा लेंगे।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अधूरे कामों के लिए बात कही है तो पाली ऐसा जिला है जो रूरल प्रोग्राम में आता है तो पाली में जितने काम इन्कम्प्लीट थे उनमें से जितने कामों को लिया जाता है तो फाइल भारत सरकार के पास में है। प्लानिंग कमीशन के जो प्रोग्राम एक्सपर्ट हैं और जो उनका टैक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वे खास तौर से बैठकर काम सैन्क्शन वहां से करते हैं तो पाली में

(श्री परसराम मदेरणा)
सड़कों पर जो डामर पड़ा हुआ है और सड़कों के काम में नहीं लिया गया है तो इस काम को प्रायोरिटी देना है और दूसरे काम निकाले हैं तो दो सड़कें पाली जिले में फेमीन में इनकम्प्लीट रह गई हैं और डामर खरीदा हुआ सड़कों पर पड़ा है तो कितना काम में लिया जा सकेगा या नहीं लिया जा सकेगा यह अभी नहीं कह सकता पहले जो बड़े बड़े बान्ध इनकम्प्लीट रह गये हैं। दो करोड़ की ग्रान्ट पाली जिले को मिलने वाली है उनमें सड़क का काम जरूर लिया जायेगा या अगले साल में लिया जायेगा।

श्री रतनलाल रौत (चौरासी) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो काम आरम्भ किया है उनको पूरा करने का विचार है या नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि राणकपुर तक की सड़क का जो कार्य हो रहा है ...

श्री परसराम मदेरणा : रूरल वर्क्स में नहीं किया गया है। प्लान में किया होगा। चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य ने अनपेड वेजेज के सम्बन्ध में एक बात कही है। मैं पहले ही कह चुका हूं और आदेश दे रहा हूं जल्दी से जल्दी कि अनपेड वेजेज का चुकारा किया जाय। रूरल प्रोग्राम का जहां तक सवाल है जिलाधीश की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। राज्य सरकार इस बारे में सोच रही है कि नान-ऑफिशियल्स का भी उसमें सहयोग रहे तो जिला परिषद् के साथ में फाइनल प्रोपोजल रहे या फेमीन एडवाइजरी कमेटी में यह विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिला परिषद् के सामने जाना ठीक रहेगा क्योंकि वहां पर पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव रहेंगे तो फाइनल वहां पर तैयार होगा और उसके बाद में राज्य सरकार का रोल रहेगा। मैं एक आदेश प्रसारित कर रहा हूं कि नान-ऑफिशियल्स को एसोशियेट करके उनसे सहयोग लिया जाय।

हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने अनपेड वेजेज के बारे में कहा कि स्पेशल स्टाफ लगाकर उनका पेमेन्ट किया जाय। स्पेशल स्टाफ लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि जो कुछ भी बकाया रहता है वह रेवेन्यू एजेन्सीज के मार्फत उसका भुगतान करवा दिया जाय। रेवेन्यू एजेन्सीज के पास काफी बड़ा स्टाफ है इसलिये एडीशनल स्टाफ की जरूरत नहीं है। मैं अवधि भी मुकर्रर कर रहा हूं ताकि उस अवधि के अन्दर अन्दर पेमेन्ट कर दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस सत्र के अन्त तक, मेरा मतलब है कि अभी जो अप्रेल में सत्र चलेगा उस सत्र के अन्त तक यह चुकारा सम्भव हो सकता है तो कितना चुकारा कर दिया गया है राजस्थान में उसका एक स्टेटमेंट इस सदन में दूंगा।

एक माननीय सदस्य : अप्रेल का सत्र चलेगा तो सही ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया था, सभापति महोदय, स्वयं जानते हैं।

यहां पर यह बात कही गई कि किसी अधिकारी को दण्ड दिया गया या नहीं तो कई लोगों पर एक्शन लिया गया है। कइयों को डिसमिस भी किया गया है,

Page No 131

(श्री परसराम मदेरणा)

कईयों को डिमोट किया गया है, कोर्ट में भी केसेज चल रहे हैं। वहां पर क्या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका फैसला होने के बाद में स्थिति सामने आयेगी।

श्री रतनलाल रौत : सभापति महोदय, जिन मजदूरों ने कार्य किया है उनकी बकाया भुगतान की क्या व्यवस्था होगी पाली जिले के मजदूरों ने उदयपुर जिले में काम किया है उनका पेमेन्ट का क्या होगा?

श्री रोशनलाल शर्मा : कान से राण-कपुर रोड का काफी बकाया है उसका जिक्र कर रहे हैं तो महरबानी करके उस का पेमेन्ट जल्दी कर दें।

श्री दौलतराम आगरी : वह पेमेन्ट पाली में होगा या उदयपुर में।

श्री सभापति : मैं अनुदान की अनुपूरक मांगों को मतदान के लिये रखता हूं। कोई भी सम्माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को रखने के लिए आग्रह करना चाहें तो वे रख सकते हैं अन्यथा वे स्वीकृत नहीं किये गये ऐसा मान लिया जायगा। मैं अनुपूरक अनुदान की मांग को मतदान के लिए रखता हूं। कोई माननीय सदस्य यदि अपने कटौती प्रस्ताव को पेश करना चाहें तो कर सकते है, अन्यथा कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक, 64—दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में 31, मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,31,99,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री भीखा भाई!

मैं सम्मानीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि साढ़े चार बजे मुख बन्द का प्रयोग कर दिया जायगा और उसके बाद में सब मांगों को मतदान के लिए रख दिया जायगा।

श्री भीखा भाई!

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, मैं सुमित्रा सिंह प्रस्ताव करती हूं कि अनुपूरक...

श्री सभापति : जन स्वास्थ्य मन्त्री जी कहां है?

श्रीमती सुमित्रा : मैं राज्य मन्त्री हूं, इस वास्ते मैं रख सकती हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 1,14,66,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री सभापति : मोशन मुव्ड। कटौती प्रस्ताव। श्री रामचन्द्र!

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 37

Page No 132

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मुख्य शीर्षक 94 जन स्वास्थ्य पर है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील नोहर में गांव पांडुसर में एक लाख रुपये की लागत से बना हुआ वाटरवर्क्स 10 साल से बन्द पड़ा है और उसको न चलाने से गांव के लोगों का पीने के पानी का कुआ था, उसमें मशीन फिट करने से बेकार हो गया है। इस प्रकार की अव्यवस्था से वहां की जनता बड़ी निराश है। एक तरफ तो यहां पीने के पानी की व्यवस्था करने की बात कहते हैं, घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी वह वाटर वर्क्स चालू नहीं है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि नोहर भादरा और सूरतगढ़ तहसील और रायसिंह नगर के करीब करीब चार सौ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। काफी गांव नहर के नजदीक लगते है, लेकिन रेतीला इलाका होने की वजह से वहां खांदे नहीं खोदे जा सकते, न विभाग की तरफ से मन्जूरी दी जाती है। इसलिये नहर के नजदीक वाले गांव भी पीने के पानी से वंचित है। जिला गंगानगर के नाम से अभी दस जिलों के लिए जल प्रदाय के सम्बन्ध में कुछ राशि सरकार ने इस बजट में रखी है, लेकिन गंगानगर के उन गांवों के पीने के पानी के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं रखा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन गांवों के लिए, जो गांव भाखरा के नजदीक पड़ते हैं, भाखरा से पक्की नालियां बना कर या नहर से जिन में पानी दिया जा सकता हैं, वहां पानी दिया जाय और जिनमें नालियों से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां पर पाइप लाइन लगा कर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाय। क्योंकि गंगानगर जिले का नाम है इसलिए उन गावों को अलग रख देना बुरी बात है। वह काफी गांव ऐसे हैं जिनमें कुओं का पानी मवेशी हैं वह भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि पानी खारा है और कई जानवर वह पानी पीने से मर भी जाते हैं। इस प्रकार के गांवों में तारा नगर, राजगढ़, सरदार शहर, लूणकरण सर तहसील के नजदीक पड़ने वाले गांव हैं। यह टीबों वाले गांव हैं, इनमें खारा पानी है। नहर के नजदीकी क्षेत्र में होने की वजह से जन स्वास्थ्य विभाग से मांग है कि उन गांवों के पीने के पानी के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की जाय ताकि उन लोगों की कठिनाई दूर हो सके। ऐसा नहीं हो कि गंगानगर जिले की आप इस लिए उपेक्षा करें क्योंकि गंगानगर में सारी जमीन सिंचाई की नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसको दूसरे जन प्रतिनिधियों ने भी नहीं समझा है। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है कि इस इलाके में भी भयंकर अकाल, हर दूसरे तीसरे साल आकाल पड़ते है। वहां पर पीने के पानी के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए उन गावों के लिये पीने के पानी का इन्तजाम जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से करना चाहिये। बाकी जिन कस्बों के नजदीक हरिजनों की बस्तियां हैं उनमें भी पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, इस लिए बड़ी दिक्कत है। जो सवर्णों के मोहल्ले हैं वहां पर नल वगैरह लगे हुए हैं, और बाकी जहां गन्दी बस्तियां हैं, दूर दूर बसे हुए लोग हैं उनके लिए पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है। इसलिए उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाय, क्योंकि

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वह लोग पीने के पानी के लिए भी तरसते रहते हैं, उन्हें किसी कीमत पर पानी नहीं मिलता है। इससे बढ़कर अव्यवस्था क्या हो सकती है। राजस्थान में तेईस साल के अर्से में यह राजस्थान सरकार गांवों के लोगों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर सकी है। अभी वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि शहरों के अन्दर जो सार्वजनिक नल हैं, उनको फ्री पानी दिया जायगा और उस पर करीब करीब 6 करोड़ 27 लाख रुपये जो आज भी बकाया है, उनकी भी वसूली बन्द करने की घोषणा की थी। तो एक तरफ तो हमें पीने का पानी न मिले, नगरपालिकाओं की तरफ से काफी टैक्स लगाये जाते हैं, चुंगी वसूल की जाती है और उनमें जो बकाया है, वह दूसरी तरफ माफ की जाती है और देहातों में पैसा खर्च नहीं किया जाता है। इस ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि टैक्स जो ज्यादा मिलता है वह काश्तकारों से मिलता है, उत्पादन काश्तकार करते हैं। जो कोई व्यापार करता है, उसके घर से कुछ नहीं लगता है लेकिन जो उत्पादन करता है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए उनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिये यदि उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है तो खाली इस तरह से समाजवाद की घोषणा करने से कोई काम नहीं चलता। समाजवाद में हर आदमी को रोटी, मकान, कपड़ा चाहिए और पीने के पानी की कमी, यह तो ऐसी व्यवस्था है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। गर्मियों में एक एक घड़ा पानी का एक रुपया देते पर भी नहीं मिलता है तो हम कैसे मान लें कि आज भारत में आजादी हासिल किए हुए 23 साल हो गए उसके बाद भी जिन लोगों को पानी नहीं मिला है, वह कैसे महसूस करते होंगे कि किस तरह का राज्य है। एक तरफ आप पानी की तरह पैसा बहाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीने के पानी का इन्तजाम नहीं। इस बार भी पानी पर अधिक रुपये आपने नहीं रखे हैं और इतने बड़े राज्य में जहां पानी की इतनी तकलीफ है, जहां सबसे ज्यादा रुपया पानी पर रखना चाहिए। इसलिए मेरे 4 कटौती के प्रस्ताव हैं जिनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री सभापति : मंत्री महोदय नो बॉडी टु रिप्लाई ? पब्लिक हैल्थ।

(विराम)

ही सीम्स टु बी इन वीक हैल्थ।

श्रीमती सुमित्रा : ये जितने भी कटौती प्रस्ताव यहां पर लोगों ने रखे हैं...

श्री रामकिशन : लोगों ने नहीं, माननीय सदस्यों ने।

श्रीमती सुमित्रा : हां, हां...

श्री रामचन्द्र आर्य : हम बोलने को शौकीन नहीं हैं, क्या आप कटौती प्रस्ताव मंजूर करते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं इस बारे में मेरा निवेदन है कि यह एक करोड़ से अधिक की राशि जो मांगी जा रही है यह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए

(श्रीमती सुमित्रा)

नहीं बल्कि यह वह राशि है जो हमें एल. आई. सी. से मिली थी और जो राज्य सरकार ने अपनी गारन्टी पर नगरपालिकाओं को दी थी लेकिन नगरपालिकाएं इस हालत में नहीं थीं कि उस पैसे को वे वापस अदा कर पाती उनके बिहाफ पर सारे का सारा खर्चा राज्य सरकार पर आ गया है इसलिए जो एक करोड़ के करीब धनराशि है, वह अधिक मांगने की आवश्यकता पड़ी है।

माननीय सदस्य ने अभी नोहर कस्बे और नोहर के आस पास के गांव पांडूसर की नल योजनाओं के बारे में शायद कहा। पांडूसर की योजना इसलिए बन्द पड़ी है कि जैसे माननीय सदस्य को विदित है कि जब एक ग्रामीण जल प्रदाय योजना संपूर्ण कर दी जाती है, उसका कमीशन हो जाता है, उसके बाद में वह पंचायत को सौंप दी जाती है। क्योंकि पंचायत उसका खर्चा नहीं देती है इसलिए वह योजना बन्द पड़ी है।

इसके अलावा नोहर, भादरा और रायसिंहनगर के कई गांवों में खारा पानी की जो शिकायत की है, उसके लिए निवेदन है कि क्षेत्रीय योजनायें इस संबंध में बनाई जा रही हैं और वह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस वर्ष बजट प्रावधान होने के साथ ही साथ इस संबंध में भी कार्यवाही करने की कोशिश की जाएगी।

गरीब और गन्दी बस्तियों में नल लगाने के बारे में उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव में कहा है, उस बारे में मेरा निवेदन है कि शायद माननीय सदस्य इस बात को भली प्रकार जानते होंगे कि गन्दी बस्तियों में नल लगाने के जितने बजट प्रावधान होते हैं, सारा पैसा समाज कल्याण देता है। यदि समाज कल्याण के पास वहां की नगरपालिका के और वहां की पंचायत के, जहां एक नल योजना काम कर रही है, प्रस्ताव आते तो समाज कल्याण विभाग हमें कुछ धन राशि देते या देगें तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

इस बात को अनुभव करते हुए कि यह एक करोड की धन राशि जो नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार ने एल. आई. सी. को गारंटी देकर ली थी लेकिन जिन नगरपालिकाओं को इस कर्जे को माफ करना पड़ रहा है, उस धनराशि को सदन स्वीकार करे।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने पांडूसर के बारे में कहा है कि पंचायत चलाने की स्थिति में नहीं है तो वाटर वर्क्स विभाग के सुपुर्द होना चाहिए। जब पैसे गांव वालों से वसूल करें तब सरकार चलवाएं। नहीं तो मशीनें तो कुओं से निकाल दें ताकि लोग कुएं से पानी ले सकें। या तो चालू करें या मशीनें निकलवा दें।

श्रीमती सुमित्रा : वहां पर यदि पंचायत खर्चा देने को तैयार है तो राज्य सरकार उसका संभारण कर सकती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां रोजाना अकाल पड़ते हैं। वह ऐसा इलाका है कि वारिश नहीं होती इसलिए पंचायत नहीं संभाल सकती। राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि उसको संभालना चाहिए, उसको चलाना चाहिए नहीं तो कुआ खाली करवा दें।

श्रीमती सुमित्रा : वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जो घोषणाएं की हैं, मैं समझती हूं आपकी समस्याओं के समाधान में काफी हद तक सहायता मिलने वाली है और इसलिए काफी सुधार इन योजनाओं में अब हो जाएगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसा तो 5 साल से सुन रहे हैं। आज तक पूरी नहीं हुई। वित्त मंत्री बैठे हैं। पानी के बारे में कोई घोषणा पूरी हुई है? एक बूंद भी पानी की किसी को नहीं मिली है।

श्रीमती सुमित्रा : तो फिर आप जीवित कैसे हैं?

श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : हमने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनका कम से कम मंत्री महोदय जवाब दें ताकि हमें पता लगे कि हमने जो मुद्दे रखे हैं उनका सरकार कहां तक हल करने को तैयार है।

श्री सभापति (मंत्री महोदय से) : उत्तर भिजवा सकती हैं?

श्री रूपसिंह : पानी नहीं मिल रहा है और जब शिकायत की जाती है तो कोई प्रबंध नहीं करता। तो किस काम के लिए पैसा मांगते हैं? जिस काम के लिए पैसा मांगते हैं उस पर खर्च नहीं करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : समय कम है। 4½ बजे, जैसे आपने कहा था, मुखबंद का प्रयोग किया जाएगा और माननीय सदस्य को लिखित में उत्तर इस संबंध में भेज देंगे।

मुखबन्द द्वारा शेष मांगों का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 91—जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,14,63,000) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

4½ बज चुके हैं, इसलिए सभी मांगे मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,75,000) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,96,98,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

Page No 136

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,85,000) रुपए तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,39,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 31—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,57,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,80,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,12,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 95,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18—संसद, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,91,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,57,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

(श्री सभापति)

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23— पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,27,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,83,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

(कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर)

नो टाक्स प्लीज।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,21,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,46,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

(श्री सभापति)

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,41,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(विराम)

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,36,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

कम्युनिटी डवलपमेन्ट का है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक कह रहा हूं ।

(स्वीकृत)

श्री सभापति : मांग स्वीकार की गयी ।

(विराम)

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(विराम)

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,40,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ,

(विराम)

(श्री सभापति)

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल विकास निर्माण कार्य

(वाणिज्यिक)

44. सिंचन नौचालन, तटबंधन तथा जल विकास निर्माण कार्य

(अवाणिज्यिक)

44. सिंचन (संयुक्त स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 89,76,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कों (संयुक्त) स्थापना तथा स्थिर संयंत्र पर व्यय।

52. सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65-निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68-लेखन

(श्री सभापति)

सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,54,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 78,18,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71—विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76—अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

मांग संख्या 44

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124 सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,81,06,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

Page No 142

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,54,79,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 98,79,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 4.42 मिनिट पर कल प्रातः काल 8 बजे तक के लिये सधन्यवाद स्थगित की जाती है)

—:○:—

परिशिष्ठ 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची)

रायपुरा तहसील के गांवों में अकाल राहत के अन्तर्गत कार्यों पर मजदूरों को भुगतान हेतु भेजी गई राशि का विवरण

(1) बाड़ी	
(अ) बरड़ की रपट	24,880.00
(ब) मरखी की रपट	21,557.67
(स) सांलिया घाटा	15,775.40
(द) मेव का नाका	6,883.75
(2) साहपुरा	
(अ) सोंडपुरा तालाब	17,994.17
(3) पौंग	
(अ) लीला खुर	20,768.54
(4) बितार	
(अ) फूटिया	39,891.52
(ब) गुलाब सागर	55,531.10
(5) सेढ़ा	
(अ) सेन्टका सायगढ़	15,323.22
(ब) कैसरपुरा	12,530.31
(6) रैलडा	4,744.25

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 145 की पूर्ति)

बांध काली सिन्ध, जिला झालावाड़ के सन् 1962–63 से सन् 1969–70 तक के सिंचाई आंकड़े एकड़ में

क्रम सं०	नाम बांध	सी० सी० ए०	1962–63			1963–64			1964–65		
			खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4			5			6		
1.	काली सिन्ध	30,000 / 18,000	—	1567	1567	—	1856	1856	—	3964	3964

1965-66			1966-67			1967-68			1968-69			1969-70		
खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
7			8			9			10			11		
31	265	296	977	2074	3051	—	2282	2282	1352	3841	5193	—	—	—

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची)

रबी 1970–71 से 28-2-71 तक नहरों में पानी की सप्लाई की सूची

नहर का नाम	हिस्सा	औसतन सप्लाई
(1) भाखरा नहर	1820 क्यूसेक्स	1250 क्यूसेक्स
(2) गंग नहर	1300 ,,	1556 ,,
(3) राजस्थान नहर	2170 ,,	1555 ,, (सप्लाई 14-20 मार्च तक)

—:o:—

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची)

परिशिष्ट "क"

पहले परमिट इनके पास थे	प्रस्ताव संख्या से निरस्त हुआ
(1) श्री भवानीशंकर गिरधारीलाल आर०जे०ओ० 92 मोडल	129, दिनांक 30-7-69
(2) श्री दयाराम एण्ड सन्स आर० जे० आर० 1797	21, दिनांक 30-10-69
(3) कोटा ट्रान्सपोर्ट आर० जे० आर० 16 मोडल	66, दिनांक 25-4-69
(4) श्री टीकमचन्द ड्राइवर आर० जे० आर० 1227, मोडल 1957	यह वाहन चल रही है एवं इसका परमिट आर० टी० ए० ने अपने प्रस्ताव संख्या 40, दिनांक 9-4-70 द्वारा दिनांक 13-2-70 से 12-2-73 तक का नवीनीकरण कर दिया है।

इस मार्ग पर प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, कोटा ने अनुज्ञा-पत्र दिनांक 26-10-70 से अपने प्रस्ताव संख्या 43 से निम्नलिखित प्रार्थियान को और मन्जूर किये थे :—

(1) श्री बृजमोहन शर्मा

(2) श्री उमरराज

(3) श्री प्रभुलाल कन्डक्टर

इनको परमिट उठाने की मियाद 2 माह की यानि 25-10-70 को समाप्त हो चुकी है इन तीनों में से किसी ने भी परमिट नहीं उठाया है।

—:o:—

परिशिष्ट 'ठ'

(प्र. प्र. संख्या 127 की सूची)

मास मई, 1970 से अगस्त, 1970 तक बीकानेर सिंचाई वृत्त में सिंचित क्षेत्र हेक्टर्ज में। राजस्थान विधान सभा प्रश्न संख्या 91 के उत्तर में

क्र. सं.	नाम नहर प्रणाली	मई 1970 हेक्टर्ज	जून 1970 हेक्टर्ज	जुलाई 1970 हेक्टर्ज	अगस्त 1970 हेक्टर्ज	योग मई 1970 से अगस्त 1970 हेक्टर्ज
(1)	गंग नहर प्रणाली	41646	27000	22482	15447	106575
(2)	भाखड़ा नहर प्रणाली	19200	16881	21989	23856	81926
(3)	राजस्थान नहर	6601	6619	10212	18046	41478
(4)	घग्घर डाइवरशन नहर	घग्घर डाइवरशन चैनल राजस्थान कैनाल एवं भाखरा नहर के सिंचित क्षेत्र में से गुजरती है। अतः घग्घर डाइवरशन चैनल से जो पानी लगता है वह राजस्थान तथा भाखड़ा नहरों के लिये सिंचित क्षेत्र को ही लगता है जिसका इन्द्राज भी राजस्थान एवं भाखरा नहरों के कर्मचारियों द्वारा भी किया जाता है। घग्घर नहर के पानी से हुई सिंचाई का इन्द्राज करने के लिये अलग कर्मचारी नहीं रखे हुये हैं। घग्घर डाइवरशन चैनल की टेल से पानी डिप्रेशन में डाला जाता है। इस वर्ष डिप्रेशन नं० 10 तक पानी पहुंचाया गया था तथा इस पानी के सूखने पर इस वर्ष रबी की फसल 4840 हेक्टर में बोई गई है।				

—:0:—

Page No 148

राजस्थान को मार्च, 1970 से जनवरी, 1971 तक भिन्न-भिन्न नहरों से प्राप्त होने वाले पानी की सूची

माह	गंग कैनाल क्यूसेक्स दिन	राजस्थान फीडर क्यूसेक्स दिन	भाखरा कैनाल क्यूसेक्स दिन	घग्घर नहर
1	2	3	4	5
1970				
मार्च	30890	8000	55028	6-7-70 से
अप्रेल	44266	55634	40112	12-10-70
मई	67600	89720	45109	2,05,437
जून	68060	104720	66010	क्यूसेक्स दिन
जुलाई	84320	176500	66259	
अगस्त	83900	279992	54665	
सितम्बर	81600	285000	44847	
अक्टूबर	65880	180006	45136	
नवम्बर	49980	86790	43964	
दिसम्बर	42990	47700	41697	
1971				
जनवरी	36360	41340	33622	
योग क्यूसेक्स दिन में	655846	1355472	526449	

—:o:—

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 128 की सूची)

जालौर जिले के अकाल के अधूरे कार्यों पर प्राप्त शिकायतों की सूची।

कार्य का नाम	शिकायत व उस पर की गई कार्यवाही
1	2
1. सरमान	कुछ कार्यों में मजदूरों को भुगतान कम करने के बारे में मार्च-अप्रैल, सन 1970 में स्थानीय विधायक द्वारा निम्नलिखित कार्यों में कम भुगतान करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी:— 1. सरमान 2. जाजूसन 3. चितनमाल 4. केरीया 5. रतनपुरा 6. नुपावां (टिकरोजा) 7. झालसर 8. पीत डोली 9. डकरा 10. केसूरी 11. गजीका इसकी जांच सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता, सुमेरपुर एवं अतिरिक्त सहायता आयुक्त, अकाल सहायता विभाग द्वारा की गई जांच के बाद यह पाया गया कि मजदूरी के वेतन की कटौती उनके द्वारा कम कार्य करने के कारण की गई थी कि गलती पेमाइश की वजह 30% से 50% वेतन तक वेतन में कटौती हुई थी। क्योंकि काम करने की मात्रा निर्धारित थी इसलिए यह अनिवार्य था कि काम कम करने पर वेतन में उसी हिसाब से कटौती की जाय।
2. झालासर बांध	माह मई में सांचोर तहसील के झालासर बांध पर काम कर रहे श्री मनजामी अधिदर्शक व मिस्त्री के बारे में प्राप्त में शिकायत पर उसका स्थानान्तर कर दिया गया।

Page No 150

1	2
3. भीमपुरा बांध	माह मई में भीमपुरा बांध पर कार्य कर रहे अधिदर्शक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच की गई तथा उस अधिदर्शक का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया।
4. केरीया बांध	केरीया बांध पर कार्य कर रहे अधिदर्शक श्री प्रहलाद सिंह गर्ग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पंचायत द्वारा प्राप्त होने पर उसे 30-8-70 को निलम्बित कर दिया गया।
5. बकाना बांध	इस बांध पर लग रहे अधिदर्शक के विरुद्ध जनता की शिकायत प्राप्त होने पर उसका स्थानान्तरण कर दिया गया।
6. वितलथाना	,, ,, ,,
7. दूधवा प्रथम, दूधवा 2	इस बांध को ऊंचा करने के लिए जनता की मांग आई। आवश्यक तकनीकी जांच तथा मजदूरों की स्थिति देख कर ऊंचा करा दिया गया।

Page No 151

सांचोर तहसील के किये गये अकाल के कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित तखमीना राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	चेनेल बांध	30,000	
2.	पुरबांध	25,000	
3.	टेटरेशल बांध	20,000	
4.	डूठवा बांध I	40,000	
5.	सावरी बांध	40,000	
6.	सूराचन्द बांध	40,000	
7.	केरिया II	35,000	
8.	भगत बांध	1,10,000	
9.	भाकरा बांध	40,000	
10.	सरनोऊ बांध	27,000	
11.	इसरोल बांध	25,000	इन कार्यों पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है परन्तु पक्का कार्य पीचिंग आदि बाकी है।
12.	टोड़ा बांध	28,000	
13.	गुन्दास बांध	1,40,000	
14.	बांबी बांध	40,000	
15.	बूढया बांध	55,000	
16.	हेमा गुढ़ा बांध	26,000	
17.	धामाण बांध	24,000	
18.	सांकरिया बांध	25,000	
19.	पनाढा बांध	33,000	
20.	छोटी गांव बांध	40,000	
21.	याकूसन बांध	40,000	
22.	मालासर बांध	40,000	
23.	काय बांध	20,000	
24.	खेडिया बांध	25,000	
25.	सांकड I	25,000	
26.	सांकड II	25,000	
27.	केरिया I	30,000	
28.	मिर्गपुरा बांध	30,000	
29.	चीद्रापाना बांध	24,000	
30.	रतनपुरा बांध	40,000	
31.	मलिका बांध	25,000	
32.	कपुरिया बांध	50,000	
33.	केसूरी बांध	27,000	
34.	सुवाकी साल	30,000	
35.	सोनडियाली बांध	24,000	
36.	चांवली बांध	3,00,000	

—:o:—

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 139 की सूची)

गगवाना चिकित्सालय में दिनांक 28 सितम्बर सन् 1970 से 30 दिसम्बर, सन् 1970 तक पिलायें गये बच्चों की दैनिक उपस्थिति का विवरण।

दिनांक	दैनिक उपस्थिति	दिनांक	दैनिक उपस्थिति	दिनांक	दैनिक उपस्थिति	दिनांक	दैनिक उपस्थिति
1	2	1	2	1	2	1	2
28-9-70	103			22-11-70	71	18-12-70	34
29-9-70	102	23-10-70	57	23-11-70	77	19-12-70	34
30-9-70	103	24-10-70	55	24-11-70	77	20-12-70	33
1-10-70	101	25-10-70	56	25-11-70	76	21-12-70	33
2-10-70	102	26-10-70	54	26-11-70	76	22-12-70	34
3-10-70	60	2-11-70	50	27-11-70	77	23-12-70	34
4-10-70	60	3-11-70	49	28-11-70	77	24-12-70	34
5-10-70	60	4-11-70	49	29-11-70	104	25-12-70	34
6-10-70	60	5-11-70	50	30-11-70	105	26-12-70	34
7-10-70	60	6-11-70	50	2-12-70	103	27-12-70	34
8-10-70	60	7-11-70	48	3-12-70	105	28-12-70	34

9-10-70	60	8-11-70	50	4-12-70	43	29-12-70	33
10-10-70	60	9-11-70	48	5-12-70	42	30-12-70	34
11-10-70	59	10-11-70	36	6-12-70	42		
12-10-70	59	11-11-70	35	7-12-70	43		
13-10-70	60	12-11-70	35	8-12-70	41		
14-10-70	60	13-11-70	35	9-12-70	44		
15-10-70	60	14-11-70	35	10-12-70	44		
16-10-70	60	15-11-70	35	11-12-70	43		
17-10-70	57	16-11-70	34	12-12-70	44		
18-10-70	56	17-11-70	35	13-12-70	43		
19-10-70	56	18-11-70	70	14-12-70	43		
20-10-70	56	19-11-70	69	15-12-70	43		
21-10-70	54	20-11-70	71	16-12-70	34		
22-10-70	53	21-11-70	71	17-12-70	34		

कुल योग 4835 बच्चों को 1$\frac{1}{2}$ औंस के पिलाया गया है।

—:o:—

परिशिष्ट 8

(प्र. प्र. संख्या 141 की सूची)

क्रमांक	नाम	स्पष्टीकरण मांगने के पत्र का दिनांक	राशि रु० ऐ०
1.	श्री जे० टी० शर्मा	11-11-70	1,245-20
2.	श्री हृरिवल्लभ कोठारी	6-11-70	115-94
	श्री हृरिवल्लभ कोठारी	11-11-70	32-12
3.	श्री शंकर सहाय	6-11-70	172-00

—:o:—

Page No 155

परिशिष्ट 9

(ता. प्र. संख्या 142 की सूची)

पंचायत समिति किशनगढ़ बास जिला अलवर की विभिन्न स्थाई समितियों के सदस्यों को दिये गये ऋण का विवरण।

क्रमांक	नाम सदस्य व स्थाई समिति	राशि	कार्य जिसके लिए ऋण दिया गया
1.	श्री केशरदास, सदस्य, कृषि स्थाई समिति।	2,000	पम्पिग सैट
2.	श्री तेजसिंह, सदस्य, शिक्षा एवं समाज शिक्षा स्थाई समिति।	2,000	पम्पिग सैट
		700	बकाया खाद बीज
3.	श्री पोहूमल, सदस्य, कृषि स्थाई समिति।	2,000	पम्पिग सैट
		1,500	पक्की नाली
		400	कूप निर्माण
		2,000	कूप निर्माण

—:o:—

पंचायत समिति, किशनगढ़ वास, जिला अलवर की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्यों के सम्बन्धियों को दिये गये ऋण का विवरण

क्रमांक	नाम	राशि	कार्य जिस के लिए ऋण दिया गया
1	2	3	4
1.	श्री मेणूमल पुत्र श्री टेकचन्द माई श्री पोहूमल, सदस्य, कृषि स्थायी समिति	2,500.00	कूप निर्माण हेतु
2.	श्री मेणूमल पुत्र श्री टेकचन्द माई श्री पोहूमल, सदस्य, कृषि स्थायी समिति	2,000.00	कुआं गहरा करने हेतु
3.	श्री मेणूमल पुत्र श्री टेकचन्द माई श्री पोहूमल, सदस्य, कृषि स्थायी समिति	980.00	भू-संरक्षण हेतु
4.	श्री मेणूमल पुत्र श्री टेकचन्द माई श्री पोहूमल, सदस्य, कृषि स्थायी समिति	3,772.00	अल्पकालीन ऋण
5.	श्री टेकचन्द पुत्र श्री जसूमल साला श्री पोहूमल, सदस्य, स्थाई समिति कृषि	242.00	अल्पकालीन बकाया है
6.	श्री टीकम मल पुत्र श्री जसूमल साला श्रीपोहूमल, सदस्य, स्थाई समिति कृषि	545.00	खाद बीज
7.	श्री टीकममल पुत्र श्री जसूमल साला श्रीपोहूमल, सदस्य, स्थाई समिति कृषि	700.00	पम्पिंग सेट हेतु
8.	श्री चेलामल पुत्र श्री जसूमल साला श्री पोहूमल, सदस्य, कृषि स्थाई समिति	1200.00	खाद बीज के बकाया
9.	श्री रामपत श्री खिहतुराम व श्री बनवारी पुत्र श्री गंगासिंह, सदस्य, स्थायी समिति प्रशासन	2,000.00	पम्पिंग सेट
10.	श्री किशोरसिंह पुत्र श्री गंगासिंह माई श्री फतेहसिंह सदस्य स्थायी समिति समाज शिक्षा	1,000.00	पम्पिंग सेट हेतु

1	2	3	4
11.	श्री उदयसिंह पुत्र श्री गंगासिंह भाई श्री फतेहसिंह, सदस्य, स्थायी समिति	60.00	भू-संरक्षण हेतु
12.	श्री सहदेवसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह, भाई श्री सूर्यदेवसिंह, प्रधान एवं अध्यक्ष, स्थायी समिति प्रशासन ।	2,000.00 1,000.00 1,500.00	पम्पिंग सेट हेतु नाली निर्माण हेतु खाद -बीज हेतु
13.	श्रीमती गुलाब कवंर पत्नी श्री किशोर सिंह मृतक भाई श्री फतेहसिंह, सदस्य, स्थाई समिति समाज शिक्षा ।	2,000.00	पम्पिंग सेट हेतु

—:o:—

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. संख्या 149 की सूची)

समाज कल्याण विभाग से पंचायत समितियों को धनराशि वर्ष 1965–66 से 1969–70 तक आवंटित की गई उसका विवरण पत्र

क्रमांक	लेखा शीर्षक	आवंटित धनराशि विवरण				
		1965–66	66–67	67–68	68–69	69–70
(1)	अनुसूचित जन जातियों के कल्याण कार्य योजना					
	मकान सहायता	1,00,000/-	—	66,000/-	—	25,000/-
	सिंचाई कूप	3,00,000/-	2,54,000/-	4,00,000/-	40,000/-	25,000/-
	पेय जल कूप	1,40,000/-	—	—	—	—
	बैल क्रय, औजार	—	1,00,000/-	30,000/-	—	—
(2)	अनुसूचित जातियों के कल्याणकारी योजना					
	मकान सहायता	1,90,000/-	89,000/-	50,000/-	1,25,000/-	22,000/-
	पेय जल कूप	1,30,000/-	—	90,000/-	50,000/-	25,000/-
	कुटीर उद्योग	40,000/-	—	20,000/-	—	—

Order copy No. F. 24 (40) F. (A & I)/62, Dated Jaipur the 28 Oct., 1970 From—M. Mukerji, Financial Commisisoner & Secretary to Government Finance (Accounts & Investment) Department, To—All Heads of the Departments.

In supersession of the Finance Department Order No. F. 24 (40) FD (A-I)/GRAR/62, dated 26-5-69 and 25-5-70, the Governor has been pleased to order that the following amendments shall be made in the General Financial and Accounts Rules, namely:—

The following shall be inserted as Government of Rajasthan decision below rule 307:—

1. The mode and manner of submission of the utilisation certificates in respect of grant-in-aid released to the Panchayat Samities and statutory and non-statutory autonomous bodies like Rajasthan State Sports Council, various State Academies, Universities, Malvia Regional Engineering College etc. from time to time has been under consideration of the Government for the some time past.

2. The matter has been considered very carefully and the Government has decided to lay down following procedure in regard to rendition of utilisation certificate to the Accountant General:—

(a) Transfer of funds to panchayat Samities shall be proposed by each Head of the Department concerned in respect of each scheme operated by them under the following Heads:—

Name of the Scheme ____________________

Heads of Accounts	Amount Rs.
1	2
(1) Establishment charges.	

Page No 160

1	2
(2) Contingent charges including purchase of Stores.	
(3) Subsidy of individuals/institutions.	
(4) Grants for Works.	
(5) Loans.	

(b) Money for establishment charges in respect of each scheme shall be released by the Treasury on the last week of each month for meeting the establishment charges of the following month:—

(c) Funds under Heads (2) to (5) mentioned in (a) above shall be transferred to each Panchayat Samiti in respect of each scheme separately under the prescribed Heads by the concerned Heads of Departments on quarterly basis, first quarter commencing from 1st April each year.

(d) In respect of all grants/loans released after 1st April,1970, the Utilisation Certificates duly countersigned by the District Level Officers shall be furnished by the Vikas Adhikari to the Examiner, Local Fund Audit, who after necessary test check of the expenditure booked under each detailed head shall furnish them alongwith his observations to the Accountant General

—:o:—

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 30 मार्च 1971)

स्तम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
3	अन्तिम से	12	परिवतन	परिवर्तन
103		8	भी	भी
105		1	श्री अव्यक्ष	श्री अध्यक्ष
133		2	खेली	खोली
147		19	साधासर	सालासर
156		15	हूं इन	हूं कि इन
157		5	वहें	कहें
158	अन्तिम से	10	इससे	इसमें
160		17	बीचे	नीचे
162		11	साटिक	फाटक
163	शीर्षक		लनुदानों	अनुदानों
169	अन्तिम से	15	है	तो
,,	,,	14, 12 व 10	है	—
,,	,,	7, 6, 5, 4, 2 व 1	है	—
182		2 व 4	गज्जियां	गंजियां
184		1	उनकी	उनके
,,		4	देने पर सरकार ने कोई	देने पर न कोई
185		15	कार्ग	कार्य
,,	अन्तिम से	11	मेड़	मेट
189		3	कर्मो	कभी
190		15	जाला पास	जालावास
,,	अन्तिम से	2	निवेदन है कि अकाल राहत मंत्री जी	निवेदन है अकाल राहत मन्त्री जी
192	,,	13	पूर्वो	पूरे
193		2	क्षत्रों	क्षेत्रों
199	अन्तिम से	13	पाने	पीने

1	2	3	4
212	अन्तिम से 7	करन	करना
213	3	चाहूंग	चाहूंगा
220	18	ें	में
225	4	प्रस्त ाव	प्रस्ताव
231	17	आ ा	आप
260	अन्तिम से 11	चकारा	चुकारा
268	7	ह ें	हमें
,,	अन्तिम से 14	ाब	तब
291	,, 2	प्राप्त में शिकायत	प्राप्त शिकायत